



क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना

ग्राम पंचायत- अशोका

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
उत्तर प्रदेश सरकार





क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना



ग्राम पंचायत- अशोका

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
उत्तर प्रदेश सरकार



प्रकाशन

पर्यावरण निदेशालय, उत्तर प्रदेश (डीओई) (DOE) एवं उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन प्राधिकरण
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
Email: doeuplko@yahoo.com; Website: www.upenv.upsdc.gov.in

तकनीकी सहयोग

वसुधा फाउंडेशन
गोरखपुर एनवायर्नमेंटल एक्शन ग्रुप (GEAG)

मार्गदर्शन

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
श्री मनोज सिंह, आईएएस, अपर मुख्य सचिव
श्री आशीष तिवारी, आईएएस, सचिव

जिला प्रशासन

सुश्री मोनिका रानी, आईएएस, जिलाधिकारी, बहराइच
सुश्री रम्या आर, आईएएस, मुख्य विकास अधिकारी, बहराइच

वसुधा फाउंडेशन

श्री श्रीनिवास कृष्णास्वामी, सीईओ
श्री रमन मेहता, कार्यक्रम निदेशक
डॉ. एस. सतपथी, विशेषज्ञ परामर्शदाता

गोरखपुर एनवायर्नमेंटल एक्शन ग्रुप (GEAG)

डॉ. शिराज़ वजीह, अध्यक्ष

लेखक

वसुधा फाउंडेशन

श्री मोहित जेन, सुश्री मेखला शास्त्री, सुश्री कृति लूथरा, सुश्री शिविका सोलंकी, सुश्री रिनी दत्त

गोरखपुर एनवायर्नमेंटल एक्शन ग्रुप (GEAG)

श्री विजय कुमार पांडे एवं श्री के. के. सिंह

शोध समर्थन

ग्राम प्रधान, अशोका

श्री राम राज

वसुधा फाउंडेशन

डॉ. प्रीति सिंह, श्री नवीन कुमार, सुश्री मोनिका चक्रवर्ती, सुश्री फातिमा सैला

क्षेत्रीय शोध समर्थन

पंचशील डेवलपमेंट ट्रस्ट, बहराइच

श्री ध्रुव कुमार, श्री राम तेज यादव, श्री आलोकित कश्यप, सुश्री रिंकी वर्मा, सुश्री रिंकी यादव

डिज़ाइन एवं लेआउट

वसुधा फाउंडेशन

श्री संतोष कुमार सिंह, श्री रोहिन कुमार, सुश्री स्वाति बंसल, सुश्री प्रिया कालिया



मोनिका रानी, (IAS)
जिलाधिकारी,
जनपद-बहराइच



संदेश

ग्राम पंचायतों को जलवायु सजग ग्राम पंचायत बनाने हेतु समर्पित क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत अशोका, विकास खण्ड चित्तौरा, जनपद-बहराइच की कार्ययोजना हेतु संदेश लिखते हुए मुझे बहुत सम्मान का अनुभव हो रहा है। जैसा कि हम जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों को देख रहे हैं, हमारे लिये जमीनी स्तर पर तत्काल और व्यापक कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है। हमारी ग्राम पंचायतें, समुदाय के निकटतम शासन की एक आवश्यक इकाई होने के नाते जलवायु संबंधी चुनौतियों को कम करने और सतत विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। हमारे समुदाय, हमारा पारिस्थितिकी तंत्र और हमारी अर्थव्यवस्था सब आपस में जुड़े हैं और हमारे लिये ऐसी रणनीतियों को अपनाना आवश्यक है जो जलवायु से जुड़े जोखिमों को कम करती हों।

ग्राम पंचायतों हेतु तैयार यह कार्ययोजना जलवायु पर कार्य करने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है जो पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट पंचायत बनाने के लिये एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगी।

मैं इस क्लाइमेट स्मार्ट कार्ययोजना निर्माण के लिये पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश, तकनीकी सहयोगी वसुधा फाउंडेशन, नई दिल्ली, तथा स्थानीय सहयोगी संस्था गोरखपुर एनवायरमेंट एक्शन ग्रुप (जी.ई.ए.जी), गोरखपुर, उ०प्र० को धन्यवाद करती हूँ और आशा करती हूँ कि निर्मित कार्ययोजना ग्राम पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनने में सहयोगी होगी।

धन्यवाद !

(मोनिका रानी)

रम्या आर०, (IAS)
मुख्य विकास अधिकारी,
जनपद-बहराइच



संदेश


मैं क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत योजना विकसित करने में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश, तकनीकी सहयोगी वसुधा फाउंडेशन, नई दिल्ली, स्थानीय सहयोगी संस्था गोरखपुर एनवायरमेंट एक्शन ग्रुप (जी.ई.ए.जी), गोरखपुर, उ०प्र० तथा पंचशील संस्था, बहराइच, उ०प्र० के समर्पित प्रयासों के लिये हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ ।

जिस प्रकार हम और हमारी ग्राम पंचायतें जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों का सामना कर रही है उसमें यह कार्ययोजना सहयोगी होगी। स्मार्ट और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देकर हमारा लक्ष्य एक ऐसा मॉडल तैयार करना है जो न केवल हमारी पर्यावरण की रक्षा करे बल्कि समुदाय के समग्र कल्याण को भी बढ़ाये ।

यह कार्ययोजना हमारी ग्राम पंचायत में संवाद, सहयोग और क्रियान्वयन को प्रेरित करे। साथ मिलकर हम प्रभावी जलवायु नीतियों को लागू कर सकते हैं, स्थायी लक्ष्यों को अपना सकते हैं और एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं जो न केवल पर्यावरणीय रूप से मज़बूत हो बल्कि सामाजिक रूप में भी न्यायसंगत हो।

एक बार फिर क्लाइमेट स्मार्ट कार्ययोजना तैयार करने में अमूल्य योगदान के लिये आप सभी को धन्यवाद। हम योजना के सफल कार्यान्वयन और समुदाय एवं पर्यावरण पर इसके सकारात्मक प्रभाव की आशा करते हैं ।

धन्यवाद !


(रम्या आर०)

राम राज

ग्राम प्रधान

अशोका

ब्लाक : चित्तौरा

जिला-बहराइच

निवास : ग्राम सुहापारा

पो. रेवली

जिला- बहराइच

Mob : 9140638787, 7570028880

E-mail- ramsamujh597@gmail.com

पत्रांक : 6/2024

दिनांक. 20/21.2024.

ग्राम प्रधान

ग्राम पंचायत अशोका, विकास खण्ड चित्तौरा,

जनपद बहराइच

आभार

सर्वप्रथम आप सभी को प्रधान, ग्राम पंचायत अशोका, जनपद बहराइच की ओर से सादर नमस्कार और अभिनंदन। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी स्वास्थ्य होंगे। मैं अपनी ग्राम पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने की ओर हेतु बढ़ाये गये प्रथम कदम/प्रयास को आपसे साझा करते हुए रोमांचित हूँ।

जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियाँ हर दिन अधिक स्पष्ट होती जा रही हैं और हमारे समुदाय और भावी पीढ़ियों की भलाई के लिये उन पर कार्य करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। इस विषय की गम्भीरता को समझते हुए सभी ग्रामवासियों की सर्वसहमति से हमने अपनी ग्राम पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने की प्रक्रिया को प्रारम्भ किया। सर्वप्रथम आवश्यक था ग्राम पंचायत में जलवायु परिवर्तन संबंधी समस्याओं और मुद्दों की पहचान करना जिसके लिये सामुदायिक सहभागिता के साथ ग्राम सभा की बैठक एवं समूह केन्द्रित चर्चा के आयोजन के अतिरिक्त व्यक्तिगत चर्चा की गयी और आंकड़ों को एकत्र किया गया। आंकड़े एकत्र करने की प्रक्रिया को पंचायत में क्रियान्वित करने के लिये मैं स्थानीय सहयोगी संस्था गोरखपुर एनवायरमेंट एक्शन ग्रुप (जी.ई.ए.जी), गोरखपुर तथा पंचशील संस्था का तथा आंकड़ें एकत्र करने में हमारे सभी ग्रामवासियों के समर्थन और सक्रिय भागीदारी के लिये हृदय से धन्यवाद। हम सभी साथ मिलकर हमारी पंचायत में एक पर्यावरण अनुकूल वातावरण बनायेंगे जो न केवल हमारे प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करेगा अपितु प्रत्येक ग्रामीण के जीवन की समग्र गुणवत्ता को भी बढ़ायेगा।

इसके साथ ही मैं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश और तकनीकी सहयोगी पार्टनर वसुधा फाउंडेशन, नई दिल्ली, का भी आभारी हूँ जिन्होंने एकत्र किये गये आंकड़ों को कार्ययोजना का स्वरूप दिया तथा मार्गदर्शन एवं तकनीकी सहयोग प्रदान किया।

मैं सभी ग्रामवासियों अपनी पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने के लिये हाथ मिलाकर आगे बढ़ने का आग्रह करता हूँ। आइये हम सभी एक सकारात्मक बदलाव की ओर आगे बढ़ें और दूसरों के लिये उदाहरण स्थापित करें।

धन्यवाद !

रामराज
प्रधान
(ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत-अशोका
खण्ड-चित्तौरा
ग्राम पंचायत-अशोका

विषय-वस्तु

1	कार्यकारी सारांश	1
2	ग्राम पंचायत की रूपरेखा	4
	1. अशोका ग्राम पंचायत एक दृष्टि में	4
	2. जलवायु परिवर्तनशीलता प्रोफ़ाइल	5
	3. मुख्य आर्थिक गतिविधियाँ	6
	4. कार्यरत महिलाएं	7
	5. कृषि एवं पशुपालन	8
	6. प्राकृतिक संसाधन	9
	7. अशोका में सुविधाएं	10
3	कार्बन फुटप्रिंट	11
4	व्यापक मुद्दे	12
5	प्रस्तावित संस्तुतियाँ	13
	1. जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प	14
	2. सतत कृषि	18
	3. हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना	25
	4. सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	30
	5. स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच	36
	6. सतत और उन्नत गतिशीलता	46
	7. आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना	50
6	विचारार्थ अतिरिक्त संस्तुतियों की सूची	54
7	अनुकूलन, सह-लाभ और सतत विकास लक्ष्यों से जुड़ाव	60
8	आगे की राह	67
9	अनुलग्नक	68

चित्र

चित्र 1	: अशोका ग्राम पंचायत, बहराइच ज़िले का भूमि उपयोग मानचित्र	5
चित्र 2	: अशोका में वार्षिक औसत अधिकतम और न्यूनतम तापमान, 1990-2019	6
चित्र 3	: अशोका में वार्षिक वर्षा (मिमी), 1990- 2019	6
चित्र 4	: अशोका में परिवारों की आय के स्रोत	6
चित्र 5	: अशोका में घरेलू स्तर पर आय का अनुमान	7
चित्र 6	: अशोका में राशन कार्ड वाले परिवार	7
चित्र 7	: अशोका में विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में संलग्न महिलाओं की संख्या	7
चित्र 8	: अशोका में केवल कृषि पर निर्भर परिवार	8
चित्र 9	: अशोका में सकल फसल के क्षेत्र का फसलवार वितरण	8
चित्र 10	: अशोका में पशुधन का वितरण	8
चित्र 11	: 2022 में अशोका में विभिन्न गतिविधियों का कार्बन फुटप्रिंट	11
चित्र 12	: 2022 में अशोका के कार्बन फुटप्रिंट में क्षेत्रों की हिस्सेदारी	11



कार्यकारी सारांश

बहराइच जिले में अशोका ग्राम पंचायत उत्तर प्रदेश के उत्तर-पूर्वी मैदानी कृषि-जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आती है। अशोका की क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना (सीएसजीपीएपी), ग्राम पंचायत स्तर पर जलवायु संबंधी कार्यवाही को मजबूत करने और 2035 तक इसे क्लाइमेट स्मार्ट बनाने के उद्देश्य से तैयार की गई है। यह कार्ययोजना ग्राम पंचायत को दिशा प्रदान करती है जिससे पंचायत में लचीलापन, अनुकूलन क्षमता बढ़ाने, कमजोरियों और संबंधित जोखिमों को कम करने के साथ ही ग्रीनहाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने, अतिरिक्त राजस्व सृजन, समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास, बेहतर स्वास्थ्य और प्राकृतिक संसाधन के प्रबंधन जैसे अन्य सह-लाभ प्राप्त कर पाएगी।

यह कार्ययोजना, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजनाओं के विकास के लिए तैयार किए गए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के मसौदे को अपनाकर तैयार की गई है। अशोका के लिए क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना (CSGPAP) को इस प्रकार से तैयार किया गया है कि इसे अशोका ग्राम पंचायत की मौजूदा ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के साथ आसानी से और प्रभावी रूप से एकीकृत किया जा सके।

कार्ययोजना में प्रमुख जनसांख्यिकीय और सामाजिक-आर्थिक पहलुओं, उत्तर पूर्वी मैदानी कृषि-जलवायु क्षेत्र से संबंधित प्रमुख मुद्दों, जलवायु परिवर्तनशीलता, ग्राम पंचायत के कार्बन फुटप्रिंट विश्लेषण और प्राकृतिक संसाधनों की वर्तमान स्थिति से संबंधित प्रमुख मुद्दों को सम्मिलित किया गया है। कार्ययोजना में क्षेत्रीय सर्वेक्षणों, समूह केन्द्रित चर्चाओं और संबंधित सरकारी विभागों और एजेंसियों के माध्यम से एकत्र किए गए अशोका ग्राम पंचायत के समुदाय के सदस्यों के सुझावों को भी सम्मिलित किया गया है। इससे आधार बनाने और अशोका के प्रमुख मुद्दों की पहचान करने में मदद मिली है।

दृष्टिकोण

प्राथमिक सर्वेक्षण टूल का विकास

सर्वेक्षण और प्राथमिक आंकड़ों को एकत्र करना: पंचायत में सर्वेक्षण का कार्य ग्राम प्रधान और समुदाय के सदस्यों के सहयोग से किया गया। ग्रामीण सहभागी मूल्यांकन की गतिविधियों यथा समूह केन्द्रित चर्चा, गाँव का भ्रमण, सामाजिक तथा संसाधन मानचित्रण आदि की सहायता एवं निवासियों और समुदाय के सदस्यों के सहयोग से आंकड़े एकत्र किए गए।

आंकड़ों का विश्लेषण और योजना तैयार करना:

- ग्राम पंचायत की रूपरेखा तैयार करना: सर्वेक्षण प्रश्नावली द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर ग्राम पंचायत की विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई है। इस रूपरेखा में अशोका की जनसांख्यिकी, जलवायु परिवर्तनशीलता, प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ, प्राकृतिक संसाधन और सुविधाओं की जानकारी सम्मिलित हैं।
- प्रमुख मुद्दों की पहचान: सर्वेक्षण प्रश्नावली और खतरा, जोखिम, नाजुकता और क्षमता विश्लेषण (HRVCA) में प्राप्त प्रतिक्रियाओं के माध्यम से प्रमुख जलवायु, विकासात्मक और पर्यावरण संबंधी मुद्दों की एक विस्तृत सूची की पहचान की गई।
- कार्बन फुटप्रिंट अनुमान: अशोका में प्रमुख गतिविधियों* से कार्बन फुटप्रिंट का अनुमान लगाया गया है।
- प्रस्तावित सस्तुतियाँ: पहचाने गए/चित्रित पर्यावरण और जलवायु संबंधी मुद्दों के आधार पर अशोका के लिए गतिविधियाँ/सस्तुतियाँ तैयार की गईं। इन गतिविधियों/सस्तुतियों में उत्तर-पूर्वी मैदानों की प्रचलित कृषि-जलवायु विशेषताओं को भी ध्यान में रखा गया है। इसके अतिरिक्त, अशोका की क्षेत्र-वार अनुकूलन आवश्यकताओं और शमन क्षमता का निर्धारण किया गया है।

कार्ययोजना को तैयार करने के दौरान एक सहभागी दृष्टिकोण अपनाया गया। इससे जलवायु विषय पर कार्य करने के लिए समुदाय की क्षमता में वृद्धि होगी, साथ ही स्थानीय स्तर पर स्वामित्व और जवाबदेही की भावना को बढ़ावा मिलेगा।

* गतिविधियों में शामिल हैं- बिजली की खपत से उत्पन्न उत्सर्जन, आवासीय खाना पकाना, डीजल पंप के उपयोग से उत्पन्न उत्सर्जन, परिवहन, फसलों के अवशेष को जलाना, पशुधन उत्सर्जन, उर्वरक उत्सर्जन, धान की खेती और घरेलू अपशिष्ट जल।

1 ग्राम पंचायत कार्ययोजना में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, उनके प्रभावों को कम करने और जोखिम संवेदनशीलता/भेद्यता और क्षमता मूल्यांकन (HRVCA) के महत्वपूर्ण आयाम सम्मिलित किए गए हैं।

जैसा कि क्षेत्रीय सर्वेक्षणों के दौरान बताया गया है कि ग्राम पंचायत में चार राजस्व गांव, पांच बस्तियां और 625 घर हैं जिनकी कुल जनसंख्या 3,250 है²। मुख्य आर्थिक गतिविधियों में कृषि और गैर-कृषि मजदूरी सम्मिलित हैं। आधारभूत आकलन से पता चलता है कि अशोका गांव का कार्बन फुटप्रिंट ~2,860 टन कार्बन डाइऑक्साइड (tCO₂e) है³।

अशोका ग्राम पंचायत में तत्काल कार्यवाही के लिए पहचाने गए कुछ प्राथमिक क्षेत्र इस प्रकार हैं:

- हरित क्षेत्रों को बढ़ाकर, जल प्रबंधन को बेहतर करके और सतत कृषि पद्धतियों को अपनाकर जलवायु सहनशीलता को बढ़ाना।
- जल-भराव को कम करने के लिए सड़क और जल निकासी के बुनियादी ढांचे को सुधारना।
- नवीकरणीय ऊर्जा (RE) और ऊर्जा दक्षता समाधानों का उपयोग करना, जैसे कि सोलर रूफटॉप स्थापित करना, सौर-संचालित पंप, तथा घरों और सार्वजनिक उपयोगिताओं में ऊर्जा कुशल फिक्चर्स आदि।
- आजीविका में विविधता लाना और हरित नौकरियों के अवसर उत्पन्न करना

कमजोर क्षेत्रों, समूह केंद्रित चर्चाओं, क्षेत्र सर्वेक्षणों और ग्राम पंचायत में चल रही गतिविधियों से उभरकर आए मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, गतिविधियां/संस्तुतियाँ प्रस्तावित की गई हैं। गतिविधियों में कृषि, जल, स्वच्छ ऊर्जा, हरित स्थानों को बढ़ाना, सतत अपशिष्ट प्रबंधन, सतत गतिशीलता और आजीविका और हरित उद्यमिता के विषयगत क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है।

इन संस्तुतियों के अंतर्गत गतिविधियों को 3 चरणों में विभाजित किया गया है - चरण I (2024-2027), चरण II (2027-2030) और चरण III (2030-2035)। चरण-वार लक्ष्यों को ग्राम पंचायतों के विवेक के अनुसार आगे वार्षिक लक्ष्यों में विभाजित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, चरण-वार लक्ष्य, संभावित लागत, केंद्रीय और राज्य योजनाओं का समर्थन करने के साथ-साथ सुझाई गई गतिविधियों के लिए वित्तपोषण के रास्ते भी बताए गए हैं।

अशोका के लिए क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना (सीएसजीपीएपी) को इस प्रकार से तैयार किया गया है कि इसे अशोका ग्राम पंचायत की मौजूदा ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के साथ आसानी से और प्रभावी रूप से एकीकृत किया जा सकता है।

- क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना (सीएसजीपीएपी) निम्नलिखित द्वारा अशोका जीपीडीपी को पूरक और संपूरित करेगा:
- जलवायु परिप्रेक्ष्य के साथ मौजूदा विकास पहलों और गतिविधियों को व्यापक आधार देना।

जीपीडीपी में प्रस्तावित विकास गतिविधियों के साथ जलवायु परिवर्तन पर चल रहे राष्ट्रीय और राज्य कार्यक्रमों का समन्वय करना।

इस कार्ययोजना में हस्तक्षेप और वार्षिक लक्ष्यों को अशोका की ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) की योजनाबद्ध गतिविधियों के साथ जोड़ते हुए लागू किया जा सकता है। जीपीडीपी के अंतर्गत कुछ कार्यक्रमों के लिए निर्धारित मौजूदा आवंटित बजट का उपयोग इस योजना में प्रस्तावित जलवायु अनुकूलन और शमन गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) जैसी योजनाओं के माध्यम से किए गए जल निकाय कायाकल्प से जलवायु परिवर्तन अनुकूलन लाभ भी होंगे। इसी प्रकार, ग्यारहवीं अनुसूची (जीपीडीपी के आधार) के 'गैर-पारंपरिक ऊर्जा' विषय के अंतर्गत निर्धारित धनराशि का उपयोग नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है।

इस योजना के कार्यान्वयन के माध्यम से कम होने वाले कुल उत्सर्जन का अनुमान प्रति वर्ष 3,064 टन कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष (tCO₂e) है, तथा अगले 20-25 वर्षों में पृथक्करण क्षमता 71,700 tCO₂ तक बढ़ सकती है। तीन चरणों में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए अनुमानित कुल लागत लगभग ₹34 करोड़ (11 वर्षों के लिए) है, जिसमें सामुदायिक निवेश, सार्वजनिक वित्त, निजी वित्त और संभावित सीएसआर (CSR) फंडिंग शामिल हैं। इससे आवश्यक धनराशि का 30-35 प्रतिशत (लगभग ₹10-11 करोड़) केंद्रीय और राज्य योजनाओं/मिशन/कार्यक्रमों से प्राप्त किया जा सकता है, जबकि शेष लागत सीएसआर और निजी राशियों से प्राप्त की जा सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को शामिल करने और निजी वित्त जुटाने के लिए 'पंचायत-निजी-भागीदारी' का एक नवीन दृष्टिकोण अपनाया है।

2 जनगणना 2011 डेटा नोट्स: कुल जनसंख्या- 2,936


3 इसमें ग्राम पंचायत में बिजली की खपत के कारण होने वाले उत्सर्जन का दायरा 2 सम्मिलित है (UPPCL और CEA के ग्रिड उत्सर्जन फैक्टर से प्राप्त आंकड़ों)।

वर्ष 2035 तक क्लाइमेट स्मार्ट और सतत ग्राम पंचायत

जलवायु संबंधी गतिविधियों को विकास कार्यों में शामिल करना






क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ



अशोका

अशोका ग्राम पंचायत एक नजर में†

	स्थान	चितौरा ब्लॉक, बहराइच जिला
	कुल क्षेत्रफल	447.31 हेक्टेयर
	संघटन	4 राजस्व गांव और 5 मजरे
	कुल जनसंख्या ⁴	3,250
	पुरुषों की संख्या	1,750
	महिलाओं की संख्या	1,500
	कुल परिवार ⁵	625
	पंचायत अवसंरचना	4 - (ग्राम पंचायत भवन, 2 प्राथमिक विद्यालय, आंगनवाड़ी केंद्र)
	प्राथमिक आर्थिक गतिविधि	कृषि
	भूमि उपयोग ⁶	189.3 हे. कृषि भूमि 0.8 हे. सार्वजनिक भूमि 257.16 हे. शेष भूमि (बसाहट और जल निकाय)
	जल संसाधन	15 तालाब

	उत्तर-पूर्वी मैदान जलवायु की स्थिति - अधिक वर्षा वाला आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय
	कृषि-जलवायु क्षेत्र
	<ul style="list-style-type: none"> अधिकतम तापमान - 44.2°C न्यूनतम तापमान - 4.9°C औसत वार्षिक वर्षा - 1,240 मिमी मिट्टी-बलुई दोमट/जलोढ़ और चूनायुक्त मिट्टी संवेदनशीलता: बाढ़ प्रवण क्षेत्र
	जिले का समग्र संवेदनशीलता/भेद्यता सूचकांक (सीवीआई) ⁸
	कम
	जिले की क्षेत्रीय भेद्यता
	<p>आपदा प्रबंधन भेद्यता: बहुत अधिक ऊर्जा भेद्यता: बहुत अधिक ग्रामीण विकास भेद्यता: बहुत अधिक स्वास्थ्य भेद्यता: बहुत अधिक कृषि भेद्यता: अधिक जल भेद्यता: मध्यम वन भेद्यता: मध्यम</p>

† योजना की तैयारी के लिए किए गए फील्ड सर्वेक्षण से डेटा (मार्च-अप्रैल, 2023)


4 जनगणना 2011 का डेटा नोट्स: कुल जनसंख्या - 2,936; पुरुष - 1,543; महिला - 1,393

5 466 पक्के घर और 159 (मिट्टी, छप्पर, टिन) कच्चे घर

6 ग्राम पंचायत के साथ कई दौर की चर्चा के बाद प्राप्त आंकड़ें

7 उत्तर प्रदेश कृषि विभाग

8 उत्तर प्रदेश SAPCC 2.0



अशोका ग्राम पंचायत

चितौरा ब्लॉक
बहराइच जिला
उत्तर प्रदेश राज्य

Source: Space Based Information Support for Decentralized Planning
<https://bhuvan-panchayat3.nrsc.gov.in/>

चित्र 1: अशोका ग्राम पंचायत, बहराइच ज़िले का भूमि उपयोग मानचित्र

जलवायु परिवर्तनशीलता प्रोफ़ाइल

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD)⁹ से प्राप्त जलवायु परिवर्तनशीलता के आंकड़ें (तापमान और वर्षा) दर्शाते हैं कि 1990 और 2019 के बीच क्षेत्र (बहराइच जिला) में वार्षिक औसत अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है (चित्र 2 देखें)। इसी समयावधि के दौरान, सालाना वर्षा में थोड़ी वृद्धि हुई, जिसका संभवतः यह तात्पर्य है कि कम दिनों में बहुत तेज वर्षा (चित्र 3 देखें)। हालांकि, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़े पंचायत स्तर पर तापमान में होने वाली व्यापक परिवर्तनशीलता को नहीं दर्शाते हैं तथा इसके अलावा, कुछ ऐसे दिन भी हैं जिनके आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

विश्व मौसम विज्ञान संगठन की एक हालिया रिपोर्ट बताती है कि 1991 से 2023 के बीच वैश्विक भूमि और महासागर की तुलना में संपूर्ण एशिया औसत से अधिक तेजी से गर्म हुआ है और 2010-2020 के दशक में दक्षिण एशिया के बड़े हिस्से में गर्म दिनों में स्पष्ट वृद्धि देखी गई है।¹⁰ अंतर-सरकारी पैनल (आईपीसीसी)¹¹ और भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा इसी तरह के निष्कर्षों की पुष्टि भी की गई है।¹²

इसके अतिरिक्त, क्षेत्र सर्वेक्षण और समूह केंद्रित चर्चा से प्राप्त मौसम परिवर्तन पर समुदायों की धारणा से पता चलता है कि 2010-2020 के दशक में, ग्राम पंचायत में गर्मियों के दिनों की संख्या में औसतन 35 दिनों की वृद्धि और सर्दियों के दिनों की संख्या में लगभग 20 दिनों की कमी देखी गई है। इसके अतिरिक्त, यह भी जानकारी प्राप्त हुई कि बारिश के दिनों की संख्या में भी लगभग 15 दिनों की कमी आई है।¹³

ग्राम पंचायत के लिए किए गए जलवायु परिवर्तनशीलता के विश्लेषण में आईएमडी (IMD) के आंकड़ों के साथ-साथ ग्राम पंचायत में प्रचलित जलवायु परिवर्तनशीलता के संतुलित दृष्टिकोण को सामने लाने के लिए सामुदायिक धारणा दोनों को ध्यान में रखा गया।


9 बहराइच स्टेशन से लिया गया दैनिक तापमान (अधिकतम और न्यूनतम) के आंकड़े और दैनिक वर्षा के आंकड़े; वर्ष 1992, 2012, 2013 और 2014 के लिए वार्षिक औसत अधिकतम और न्यूनतम तापमान के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं; वर्ष 1992 और 2017 का वार्षिक वर्षा का आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।

10 2023 में एशिया में जलवायु की स्थिति <https://library.wmo.int/records/item/68890-state-of-the-climate-in-asia-2023>


11 AR6 संश्लेषण रिपोर्ट: जलवायु परिवर्तन 2023 (ipcc.ch) <https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/>

12 भारतीय क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन का आकलन: पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) की रिपोर्ट <https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-15-4327-2>

13 योजना को तैयार करने के लिए किए गए क्षेत्र सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़े




चित्र 2: अशोका में वार्षिक औसत अधिकतम और न्यूनतम तापमान, 1990-2019



चित्र 3: अशोका में वार्षिक वर्षा (मिमी), 1990- 2019


मुख्य आर्थिक गतिविधियाँ

ग्राम पंचायत में आय का प्रमुख स्रोत कृषि है। लगभग 48 प्रतिशत परिवार अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं। इसके बाद गैर-कृषि मजदूरी-श्रम से जुड़े हुए हैं। कुछ परिवार पशुपालन और स्थानीय दुकानों जैसे व्यवसाय आदि में सम्मिलित हैं (चित्र 4 देखें)।




चित्र 4: अशोका में परिवारों की आय के स्रोत

समूह केंद्रित चर्चा से प्राप्त घरेलू स्तर की आय के अनुमान से पता चलता है कि 53 प्रतिशत परिवार प्रति वर्ष ₹50,000 से कम कमाते हैं और केवल 3 प्रतिशत का एक छोटा सा वर्ग ही प्रति वर्ष ₹5,00,000 से अधिक कमाता है (चित्र 5 देखें)। सर्वेक्षण के समय, 150 परिवारों को गरीबी रेखा से नीचे (BPL) के रूप में वर्गीकृत किया गया है अर्थात् अशोका में कुल परिवारों का 24 प्रतिशत। राशन कार्ड के आंकड़ों से पता चलता है कि लगभग 92 प्रतिशत परिवार सार्वजनिक वितरण योजना का लाभ उठाते हैं और उनके पास राशन कार्ड हैं, इनमें से 150 परिवारों के पास अंत्योदय कार्ड हैं¹⁴(चित्र 6 देखें)।




चित्र 5: अशोका में घरेलू स्तर पर आय का अनुमान



चित्र 6: अशोका में राशन कार्ड वाले परिवार

कार्यरत महिलाएं

ग्राम पंचायत में लगभग 54 महिलाएं आर्थिक गतिविधियों में संलग्न हैं, और 10 परिवार ऐसे हैं जिनकी मुखिया महिला है।¹⁵ अशोका में ज्यादातर महिलाएं पशुपालन के कार्यों में संलग्न हैं (चित्र 7 देखें)। कुछ महिलाएं कृषि और अन्य गतिविधियों जैसे बैंकिंग, शिक्षण और सिलाई जैसे स्थानीय व्यवसाय को चलाने में भी संलग्न हैं। क्षेत्र सर्वेक्षण से यह भी पता चला है कि अशोका में स्वयं सहायता समूहों (SHG) का एक सक्रिय नेटवर्क है। ग्राम पंचायत में 17 स्वयं सहायता समूह हैं जो ज्यादातर बकरी पालन और सिलाई/टेलरिंग जैसी गतिविधियों में सम्मिलित हैं।



चित्र 7: अशोका में विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में संलग्न महिलाओं की संख्या


14 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोर्टल <https://nfsa.up.gov.in/Food/citizen/ReportNikayWise.aspx?val=NCMxNDkjUiMwMDE5OTljMDU5NTYx>

15 महिला प्रधान परिवार वे घर हैं जहाँ महिलाएँ एकमात्र/मुख्य कमाने वाली होती हैं।

कृषि एवं पशुपालन


अशोका ग्राम पंचायत में लगभग 48 प्रतिशत ऐसे परिवार हैं जो अपनी आय के लिए कृषि पर निर्भर हैं¹⁶ (चित्र 4 देखें) जो कि विभिन्न तरीकों से कृषि से जुड़े हुए हैं, जैसा चित्र 8 में दिखाया गया है।

अशोका में शुद्ध बुवाई किया जाने वाला क्षेत्रफल लगभग 189 हेक्टेयर है जबकि सकल फसल का क्षेत्रफल 302 हेक्टेयर¹⁷ है। प्रमुख खरीफ की फसलों में धान, मक्का और गन्ना हैं। गेहूं और सरसों रबी की प्रमुख फसलें हैं। इसके अतिरिक्त, केला और सब्जियाँ (आलू, मिर्च, टमाटर, आदि) भी उगाई जाती हैं।




चित्र 8: अशोका में केवल कृषि पर निर्भर परिवार

चित्र 9 ग्राम पंचायत में सकल फसल के क्षेत्रफल का फसल-वार वितरण दिया गया है। अधिकांश कृषि वर्षा पर निर्भर करती है, सिंचाई के अन्य स्रोतों में पंपसेट सम्मिलित हैं। ग्राम पंचायत सिंचाई के लिए ज्यादातर डीजल पंप पर निर्भर है।



चित्र 9: अशोका में सकल फसल के क्षेत्रफल का फसलवार वितरण

अशोका ग्राम पंचायत में लगभग 20 प्रतिशत परिवार डेयरी और मुर्गीपालन में लगे हुए हैं। जैसा कि चित्र 10 में दिखाया गया है, कुल पशुधन की जनसंख्या 2,000 है (जिसमें 100 गायें, 800 भैंसें, 1,000 बकरियाँ, 100 सूअर हैं) और 1,000 पोल्ट्री पक्षी हैं। इसके अतिरिक्त, अशोका में 4 तालाबों में मछली पालन भी किया जाता है।



चित्र 10: अशोका में पशुधन का वितरण

16 ध्यान देने योग्य बात यह है कि कई परिवार एक से अधिक तरीकों से कृषि संबंधी कार्यों में लगे हुए हैं। उदाहरण के लिए, छोटे ज़मींदार भी बड़े खेतों पर दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, बड़ी भूमि के स्वामित्व वाले किसान भी अनुबंध खेती से जुड़े हो सकते हैं।

17 सकल फसल के क्षेत्रफल का अनुमान ग्राम पंचायत के साथ की गई कई दौर की चर्चाओं से प्राप्त जानकारीयों पर आधारित है।

प्राकृतिक संसाधन

अशोका में 0.5 हेक्टेयर चिन्हित वन भूमि है। 15 तालाब हैं। क्षेत्र सर्वेक्षण के अनुसार, 0.8 हेक्टेयर ग्राम समाज की ज़मीन में से एक महत्वपूर्ण हिस्सा (लगभग 50 प्रतिशत) अतिक्रमित है। अशोका में कृषि वानिकी के रूप में वृक्षारोपण गतिविधियां आमतौर पर जुलाई के महीने में की जाती हैं, मौजूदा समय में, ये वृक्षारोपण कुल 1.5 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह वृक्षारोपण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के माध्यम से किया गया है। इन बागानों में अधिकतर ताड़, अशोक और फूल वाले पेड़ उगाए जाते हैं, जिनकी औसत जीवित रहने की दर 80 प्रतिशत है¹⁸।



18 क्षेत्र सर्वेक्षण/समुदाय से प्राप्त इनपुट के अनुसार

अशोका में सुविधाएं

बिजली और घरेलू गैस (एलपीजी)

- बिजली तक पहुंच: 100% घर
- घरेलू गैस (LPG) का कवरेज: 85-90% घर



जल

- घरेलू उपयोग और ग्राम पंचायत स्तर की आपूर्ति हेतु पानी का मुख्य स्रोत: भूजल
- घरेलू स्तर पर पाइप से जलापूर्ति:¹⁹ 100%

अपशिष्ट

- खुले में शौच से मुक्त (ODF) का दर्जा: प्राप्त
- घरेलू शौचालय कवरेज: ~71%



आवागमन एवं बाज़ार तक पहुंच²⁰

- राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-730) से दूरी: 0.5 किमी
- रेलवे स्टेशन: 9 किमी
- बस स्टेशन: 10 किमी
- किसान मंडी: 1 किमी
- ग्राम पंचायत के भीतर राशन की दुकान
- डाकघर: 1 किमी
- बैंक: 8 किमी

शिक्षण संस्थान

- 2 सरकारी प्राथमिक विद्यालय

स्वास्थ्य संस्थाएँ

- 1 आंगनवाड़ी केंद्र
- 1 पशु चिकित्सालय




¹⁹ जल जीवन डैशबोर्ड https://ejalshakti.gov.in/jjm/citizen_corner/villageinformation.aspx

²⁰ जैसा कि क्षेत्र सर्वेक्षण में बताया गया है

यद्यपि ग्रामीण क्षेत्रों से कार्बन फुटप्रिंट (दूसरे शब्दों में, ग्रीनहाउस गैस (GHG) का उत्सर्जन) महत्वपूर्ण नहीं है, यह अभ्यास ग्राम पंचायत का संपूर्ण आधार विकसित करने के लिए किया गया है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस कार्ययोजना का उद्देश्य कार्बन न्यूट्रल ग्राम पंचायत नहीं, अपितु क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकसित करना है। हालाँकि, संस्तुतियों में उत्सर्जन में कमी के लाभ को सम्मिलित किया गया है जो कहीं न कहीं ग्राम पंचायत को कार्बन न्यूट्रल बनाने या हवा में कार्बन से होने प्रदूषण को लगभग समाप्त करने में मदद करेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस अभ्यास में ग्रीन हाउस गैस (GHG) के प्रक्षेपण को सम्मिलित नहीं किया गया है।


इसके अतिरिक्त, कार्बन फुटप्रिंट, LiFE मिशन के सिद्धांतों के अनुरूप सतत विकास को सुनिश्चित करने हेतु संस्तुतियाँ प्रदान करने में भी सहायता करता है। कुल मिलाकर, 2022 में, अशोका ग्राम पंचायत ने विभिन्न गतिविधियों से लगभग 2,860 टन कार्बन डाइऑक्साइड (tCO₂e) समकक्ष उत्सर्जित किया (चित्र 11 देखें)।

ऊर्जा, कृषि और अपशिष्ट क्षेत्रों की गतिविधियों ने अशोका के कार्बन फुटप्रिंट में योगदान दिया। ऊर्जा क्षेत्र से होने वाला उत्सर्जन बिजली की खपत²¹, खाना पकाने के लिए ईंधन की लकड़ी और रसोई गैस का उपयोग, सिंचाई के लिए डीजल पंपों का उपयोग, पावर बैकअप के लिए जेनरेटर का उपयोग और परिवहन के विभिन्न साधनों में जीवाश्म ईंधन (पेट्रोल/डीजल) के उपयोग के कारण होता है। कृषि क्षेत्र में होने वाले उत्सर्जन में धान की खेती, खेतों में उर्वरक का प्रयोग, पशुधन से उत्सर्जन, पशु अपशिष्ट का प्रबंधन तथा फसल के अवशेष को जलाने से होने वाले उत्सर्जन सम्मिलित हैं। घरेलू अपशिष्ट जल के कारण होने वाले उत्सर्जन को अपशिष्ट क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है।



चित्र 11: 2022 में अशोका में विभिन्न गतिविधियों का कार्बन फुटप्रिंट

उत्सर्जन में ऊर्जा क्षेत्र का योगदान ~54 प्रतिशत था। ऊर्जा क्षेत्र में, परिवहन उत्सर्जन (लगभग 837 tCO₂e) मुख्य था, इसके बाद डीजल पंप (लगभग 315 tCO₂e) और घरेलू खाना पकाने (लगभग 168 tCO₂e), बिजली की खपत (लगभग 160 tCO₂e) और आवासीय जेनरेटर (लगभग 55 tCO₂e) का स्थान था। अशोका ग्राम पंचायत के कुल उत्सर्जन में ~41 प्रतिशत योगदान कृषि क्षेत्र का था। इस क्षेत्र में, पशुधन उत्सर्जक (लगभग 747 tCO₂e) था और धान की खेती (लगभग 322 tCO₂e) जीएचजी उत्सर्जन का प्रमुख कारण था। अपशिष्ट क्षेत्र का कुल उत्सर्जन में ~5 प्रतिशत का योगदान था।



चित्र 12: 2022 में अशोका के कार्बन फुटप्रिंट में क्षेत्रों की हिस्सेदारी

21 बिजली की खपत के कारण होने वाले उत्सर्जन को स्कोप 2 उत्सर्जन के रूप में वर्गीकृत किया गया है, क्योंकि बिजली उत्पादन के लिए ईंधन (कोयला) का दहन ग्राम पंचायत की सीमा के बाहर होता है

ग्राम पंचायत के व्यापक मुद्दों की पहचान का कार्य, ग्राम पंचायत बेसलाइन स्थापित करने के लिए एकत्र किए गए आंकड़ों और आंकड़ों के विश्लेषण, उस कृषि-जलवायु क्षेत्र की अंतर्निहित विशेषताओं, जिसमें ग्राम पंचायत स्थित है, के साथ-साथ क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान समुदाय के सदस्यों से प्राप्त जानकारी और समूह केंद्रित चर्चा के आधार पर किया गया है। जहां भी संभव हो सका है, इस जानकारी की पुष्टि उपलब्ध सरकारी आंकड़ों/स्रोतों से की गई है। हालाँकि, कुछ मुद्दे पूरी तरह से समुदाय से प्राप्त जानकारी पर आधारित हैं क्योंकि इनके लिए ग्राम पंचायत स्तर के आंकड़ें पुष्टि के लिए उपलब्ध नहीं थे। ग्राम पंचायत में पहचाने गए मुद्दों का सारांश नीचे दिया गया है। इसके अतिरिक्त, विस्तृत मुद्दों की गतिविधियों/संस्तुतियों को अनुभाग के संबंधित विषयों में सूचीबद्ध किया गया है।

व्यापक मुद्दे:

- मौसम की अवधि में परिवर्तन और अनियमित वर्षा के कारण ग्राम पंचायत में अन्य प्रभावों के साथ-साथ फसलों की बुवाई का समय, कटाई का समय और सिंचाई की जरूरतें प्रभावित हो रही हैं।
- जुलाई/अगस्त में बार-बार सूखा पड़ना तथा अगस्त से अक्टूबर तक जलभराव की समस्या रहना।
- अस्थायी कृषि और पशुपालन पद्धतियाँ।
- सीमित स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाएं।
- जल निकायों सहित प्राकृतिक संसाधनों के रखरखाव में कमी।
- खाना पकाने, कृषि और परिवहन की आवश्यकताओं के लिए जीवाश्म ईंधन (पेट्रोल/डीजल) और पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता।
- पंचायत के अंदर और बाहर सीमित आवागमन की सुविधाएं।
- जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के बारे में जानकारी का अभाव।
- स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन पर केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता का अभाव।

प्रत्येक विषयगत मुद्दों में कई हस्तक्षेप सम्मिलित हैं, जिनमें शमन और अनुकूलन दोनों पर ध्यान दिया गया है, जो पिछले अनुभाग में पहचाने/चिह्नित किए गए प्रमुख मुद्दों को संबोधित करते हैं। हस्तक्षेपों को **चरणबद्ध लक्ष्यों** और **लागत अनुमानों**²² (जहाँ तक संभव हो) के साथ वर्णित किया गया है। लक्ष्यों को तीन चरणों में बांटा गया है: चरण- I (2024-25 से 2026-27); चरण- II (2027-28 से 2029-30); और चरण-III (2030-31 से 2034-35)।

प्रत्येक चरण के अंतर्गत लक्ष्यों को प्रभावी और निगरानीपूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करते हुए आगे के वार्षिक लक्ष्यों (वर्ष-दर-वर्ष लक्ष्य) में विभाजित किया जा सकता है। साल-दर-साल लक्ष्य विकसित करने के प्रारूप को क्लाउड स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के विकास के लिए निर्मित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) दस्तावेज़ से संदर्भ लेते हुए तैयार किया जा सकता है। मानक संचालन प्रक्रिया एक चरण-दर-चरण दृष्टिकोण है जिसका उपयोग ग्राम प्रधानों, समुदाय के सदस्यों या किसी अन्य हितधारक द्वारा अपने संबंधित ग्राम पंचायतों हेतु क्लाउड स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना विकसित करने के लिए किया जा सकता है।

ग्राम पंचायत के लिए पहचाने गए वित्तपोषण के साधनों/तरीकों में केंद्रीय या राज्य योजनाएं, ग्राम पंचायत की विभिन्न टाइड और अनटाइड निधियों या सीएसआर हस्तक्षेपों के माध्यम से निजी वित्त सम्मिलित हैं। विस्तृत गतिविधियां/संस्तुतियाँ निम्नलिखित अनुभाग में हैं।

कार्ययोजना में प्रस्तावित गतिविधियां/संस्तुतियाँ निम्नलिखित विषयों पर आधारित हैं:

1. जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प
2. सतत कृषि
3. हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना
4. सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
5. स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच
6. सतत और उन्नत गतिशीलता
7. आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना

इसके अतिरिक्त, संस्तुतियों का हिस्सा न बनाते हुए, पंचायतों द्वारा विचार के लिए संभावित पहलों की एक सूची भी सूचीबद्ध की गई है। इन पहलों को भारत के कुछ हिस्सों में ग्राम पंचायतों द्वारा सफलतापूर्वक लागू किया गया है और इन्हें यहां दोहराया भी जा सकता है। हालाँकि, ये पहल उत्तर प्रदेश सरकार की वर्तमान में संचालित किसी भी योजना/कार्यक्रम में संलग्न नहीं हैं, इसलिए इस समय इन पहलों के लिए धन का वहन समुदायों द्वारा या सीएसआर और निजी स्रोतों की खोज करके किया जाएगा। इसलिए, उन्हें मुख्य अनुशंसाओं में सम्मिलित नहीं किया गया है।

²² लागत का अनुमान विभिन्न तरीकों के आधार पर लगाया गया है जैसे: ग्राम पंचायत के प्रमुख सदस्यों से प्राप्त सुझाव, या संबंधित योजनाओं और नीतियों के अनुसार लागत का अनुमान, या आवश्यक निवेश की प्रति इकाई अनुमानित लागत अथवा विभिन्न विभागों की दरों की अनुसूचियाँ।

1

जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प



संदर्भ एवं मुद्दे²³

- अशोका ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत में कृषि और घरेलू दोनो आवश्यकताओं हेतु जल का प्राथमिक स्रोत भूजल है। 2018 से 2022 के मध्य मई से अगस्त के महीनों में लगातार सूखे की घटनाएं हुई हैं। इसलिए अशोका में वाटरशेड प्रबंधन को बढ़ाने की आवश्यकता है।
- अशोका में 15 तालाब हैं, जिनमें से अधिकांश का रखरखाव ठीक से नहीं किया गया है तथा वे गाद, मलबे और कचरे से भरे हुए हैं, इसलिए उन्हें साफ और उनका कायाकल्प किए जाने की आवश्यकता है।
- ग्राम पंचायत के सभी घरों में पेयजल के लिए पाइप कनेक्शन है और उन्हें पर्याप्त मात्रा में जल मिल रहा है।
- अशोका में जलभराव एक प्रमुख चिंता का विषय है, विशेषकर बारिशके मौसम में - जुलाई से अक्टूबर तक। अकुशल और खराब जल निकासी के बुनियादी ढांचे के कारण यह समस्या और अधिक बढ़ गई है।

पिछले पांच वर्षों में भूजल पर निर्भरता और सूखे की लगातार घटनाएं जल संरक्षण और भूजल संसाधनों की पुनःपूर्ति करने के लिए वाटरशेड प्रबंधन की तत्काल आवश्यकता को दर्शाती है। अशोका में भेद्यता को कम करने, लचीलापन बनाने और जल सुरक्षा को बेहतर करने के लिए निम्नलिखित गतिविधियां प्रस्तावित हैं।

23 जैसा कि क्षेत्र सर्वेक्षणों और एफजीडी के दौरान समुदाय से समझा गया और प्रासंगिक स्रोतों द्वारा पुष्टि की गई।



जल निकायों का कायाकल्प एवं संरक्षण

चरण	I (2024-25 से 2026-27)	II (2027-28 से 2029-30)	III (2030-31 से 2034-35)
सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> 15 में से 6 तालाबों की सफाई, गाद निकालना और बाड़ा लगाना पानी के भंडारण को बेहतर करने के लिए ककरही तालाब को गहरा करना तालाबों के चारों ओर ट्री गार्ड के साथ पेड़ लगाना। जल उपयोग दक्षता और जल संरक्षण को बेहतर करने के लिए विभिन्न प्रमुख सामुदायिक समूहों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए मौजूदा ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (VWSC) की क्षमता विकास। 	<ol style="list-style-type: none"> तालाबों के चारों ओर अतिरिक्त पेड़ लगाना 15 तालाबों का नियमित रखरखाव²⁴ समुदाय एवं अन्य हितधारकों की क्षमता विकास 	15 तालाबों का नियमित रखरखाव
लक्ष्य	<ol style="list-style-type: none"> 6 तालाबों की सफाई और गाद निकाला जाना 1 तालाब को गहरा करना ट्री गार्ड (जल निकायों चारों ओर) के साथ 1,000 पेड़ लगाना 	ट्री गार्ड के साथ तालाबों चारों ओर 1,000 पेड़ लगाया जाना	सभी तालाब का रखरखाव और प्रबंधन
अनुमानित लागत	<ol style="list-style-type: none"> तालाबों की सफाई: ₹30,00,000 तालाब को गहरा करना: ₹6,00,000 जल निकायों के चारों ओर पेड़ लगाना: <हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना> अनुभाग में सम्मिलित ₹12,70,000 कुल लागत: ₹36 लाख	<ol style="list-style-type: none"> तालाबों का रखरखाव: ₹56,25,000 जल निकायों के चारों ओर पेड़ लगाना: <हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना> अनुभाग में सम्मिलित ₹12,70,000 कुल लागत: ₹56.25 लाख	तालाबों का रखरखाव: ₹56,25,000 कुल लागत: ₹56.25 लाख

24 विभिन्न बस्तियों में स्थित: अशोका खास- 6 तालाब; सासरपारा- 2 तालाब; टेमरिया- 3 तालाब; सोपारा - 3 तालाब; गौरा - 1 तालाब (एक तालाब का अनुमानित क्षेत्रफल 1.6 हेक्टेयर से अधिक है)



जल निकासी के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना

चरण	I (2024-25 से 2026-27)	II (2027-28 से 2029-30)	III (2030-31 से 2034-35)
सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> नई नालियों का निर्माण जलभराव को रोकने/कम करने के लिए मौजूदा नालियों की सफाई, गाद निकालना और मरम्मत। 	चरण I की गतिविधियाँ जारी रखना	चरण I की गतिविधियाँ जारी रखना
लक्ष्य	लगभग 1 किमी की कुल लंबाई वाले 2 स्थानों ²⁵ पर नालियों का निर्माण	ग्राम पंचायत में नालियों का नियमित रखरखाव	ग्राम पंचायत में नालियों का नियमित रखरखाव
अनुमानित लागत	1 किमी लंबी नालियों का निर्माण: ₹23,00,000 कुल लागत: ₹23 लाख	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार



वर्षा जल संचयन (RwH)

चरण	I (2024-25 से 2026-27)	II (2027-28 से 2029-30)	III (2030-31 से 2034-35)
सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> सरकारी/पंचायती राज संस्थान (PRI) के भवनों, प्राथमिक विद्यालय और सामुदायिक हॉल में वर्षा जल संचयन (RwH) संरचनाओं की स्थापना भूजल पुनर्भरण के लिए पुनर्भरण गड्ढे सभी नए भवनों में वर्षा जल संचयन (RwH) प्रणाली को सम्मिलित करना 	<ol style="list-style-type: none"> 1500 वर्ग फीट से अधिक के भूखंड वाले आवासीय भवनों में वर्षा जल संचयन (RwH) के बुनियादी ढांचे की स्थापना। पहचाने/चिन्हित किए गए जलग्रहण क्षेत्रों में अधिक पुनर्भरण गड्ढे खोदना/खाइयां बनाना सभी नए भवनों में वर्षा जल संचयन (RwH) प्रणाली को सम्मिलित करना 	<ol style="list-style-type: none"> 1000 वर्ग फुट के आवासीय भवनों में वर्षा जल संचयन (RwH) संरचनाओं की स्थापना। सभी नए भवनों में वर्षा जल संचयन (RwH) प्रणाली को सम्मिलित करना

25 स्थानों की अधिक जानकारी के लिए HRVCA देखें

1. सभी सरकारी भवनों में वर्षा जल संचयन (RwH) - 10 m³ की भंडारण क्षमता वाले पुनर्भरण गड्डों की स्थापना।
2. 4 पुनर्भरण गड्डे खोदा जाना²⁶

1. 50 पक्के घरों में 10 m³ की औसत भंडारण क्षमता वाले वर्षा जल संचयन संरचनाओं की स्थापना करना ग्राम पंचायत में बड़े घरों को पहले लक्षित किया जाना।
2. आवश्यकतानुसार अधिक पुनर्भरण गड्डे खोदना

110 पक्के घरों में 10 m³ की औसत भंडारण क्षमता वाले वर्षा जल संचयन संरचनाओं की स्थापना करना

1. वर्षा जल संचयन: 4 इकाइयों के लिए ₹1,40,000
 2. पुनर्भरण गड्डे: 4 इकाइयों के लिए ₹1,40,000
- कुल लागत: ₹2.8 लाख

1. वर्षा जल संचयन: 50 इकाइयों के लिए ₹17,50,000
 2. पुनर्भरण गड्डे: आवश्यकतानुसार लागत
- कुल लागत: ₹17.5 लाख

वर्षा जल संचयन: 110 इकाइयों के लिए ₹38,50,000

कुल लागत: ₹38.5 लाख

वर्तमान में संचालित योजनाएं और कार्यक्रम

- जल शक्ति अभियान: 'कैच द रेन' अभियान द्वारा उपलब्ध प्रावधानों और संसाधनों के माध्यम से वर्षा जल संचयन प्रणालियों का विकास किया जा सकता है।
- सिंचाई विभाग के अंतर्गत यूपी राज्य का वार्षिक बजट को ग्राम पंचायत स्तर के जल निकाय संरक्षण और जीर्णोद्धार गतिविधियों के लिए उपयोग किया जा सकता है।
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के अंतर्गत मनरेगा और वाटरशेड विकास घटक के वार्षिक बजट का उपयोग वाटरशेड विकास गतिविधियों के लिए किया जा सकता है।

वित्त के अन्य स्रोत

- जल निकायों और कुओं के अनुरक्षण और रख-रखाव में योगदान देने के लिए कॉर्पोरेट/ सीएसआर को 'जल निकाय को अपनाने' के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।

प्रमुख विभाग

- ग्राम्य विकास विभाग
- सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, जल शक्ति मंत्रालय
- उत्तर प्रदेश भूमि संसाधन विभाग

²⁶ पंचायत भवनों में पुनर्भरण गड्डों की स्थापना

2

सतत कृषि



संदर्भ एवं मद्दे

- अशोका में कृषि क्षेत्र के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल ~189 हेक्टेयर है और सकल फसल क्षेत्रफल लगभग 302 हेक्टेयर है।
- ग्राम पंचायत में 48% परिवार कृषि पर निर्भर हैं और 20% परिवार आय के स्रोत के रूप में पशुपालन पर निर्भर हैं।
- खरीफ़ और रबी के सीज़न में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें गेहूं (~95 हे०), धान (~95 हे०), गन्ना (~57 हे०), मक्का (~19 हे०), सरसों (~9 हे०), केला (~9 हे०) और सब्जियां (~ 19 हे०) हैं।
- ग्राम पंचायत ने 2018 और 2022 में जुलाई से अगस्त माह के दौरान 5 बार सूखे का अनुभव किया, जिसके कारण फसल बर्बाद हो गई थी और चारे की कमी हो गई थी²⁷।
- भीषण गर्मी और सूखे के कारण धान की बुआई का समय जून के तीसरे सप्ताह से जुलाई में स्थानांतरित हो गया है। गेहूं के विषय में, बारिश में देरी के कारण बुआई का समय नवंबर के पहले सप्ताह से दिसंबर के अंत में स्थानांतरित हो गया है²⁸।
- वर्ष 2021 और 2022 में अनियमित वर्षा, भीषण गर्मी के मौसम के साथ-साथ बीमारियों के कारण फसल को नुकसान हुआ है। लगभग 7,200 क्विंटल उपज या लगभग 1.4 करोड़ रुपये का नुकसान (संबंधित वर्षों के प्रचलित MSP द्वारा समर्थित) हुआ।
- किसान प्रति वर्ष ~46 टन यूरिया और अन्य नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों का उपयोग करते हैं जिससे प्रति वर्ष ~94 टन कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष (CO₂e) का ग्रीन हाउस गैस (GHG) उत्सर्जन होता है। किसान कीटनाशकों और खरपतवारनाशी जैसे अन्य रासायनिक आदानों पर भी निर्भर हैं। अशोका में प्राकृतिक खेती नहीं की जाती है।
- जैसा कि क्षेत्रीय सर्वेक्षणों से पता चला है कि कृषि में जल की मांग में वृद्धि हुई है, जिसके कारण जल संरक्षण और बेहतर सिंचाई तकनीकों के उपयोग पर ज़ोर दिये जाने की आवश्यकता है।

उपर्युक्त बातें अनुकूलन क्षमता को बढ़ाने के लिए सतत और सूखा प्रतिरोधी कृषि पद्धतियों को अपनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालती हैं।

27 क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान समुदाय से मिले इनपुट के आधार पर

28 जैसा कि क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत समुदाय द्वारा रिपोर्ट किया गया था



कृषि के लिए सूखा प्रबंधन

चरण

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

	I (2024-25 से 2026-27)	II (2027-28 से 2029-30)	III (2030-31 से 2034-35)
	<ol style="list-style-type: none"> ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिंचाई जैसी सूक्ष्म सिंचाई गतिविधियों को बढ़ावा देना और अपनाना खेतों के चारों ओर पेड़ों से मेड़बंधी का निर्माण फसल की पानी की आवश्यकता को कम करने के लिए धान की सूखे के प्रति सहनशील किस्म को अपनाना और ड्राइ डायरेक्ट सीडेड राइस का उपयोग करना गेहूं की सूखे के प्रति सहनशील किस्मों को अपनाना जहां तक संभव हो खेत में कृषि तालाब बनाकर कृत्रिम पुनर्भरण को बढ़ावा देना कृषि क्षेत्र निगरानी स्टेशन में रणनीतिक/चयनित स्थानों पर स्वचालित/मिनी मौसम स्टेशनों की स्थापना किसानों को फसल के नुकसान से बचाने के लिए विभिन्न बीमा कार्यक्रमों के बारे में जागरूक करना 	<ol style="list-style-type: none"> सूक्ष्म सिंचाई का विस्तार करना मेड़बंधी का विस्तार खेत में अधिक कृषि तालाबों का निर्माण सूखा के प्रति सहनशील किस्मों को अपनाने के लिए चरण I की गतिविधियों का विस्तार बाजरा और दलहन जैसी सूखे के प्रति सहनशील फसलों के साथ फसल चक्रण और मिश्रित फसल किसानों को उनकी फसल के नुकसान से बचाने के लिए विभिन्न बीमा कार्यक्रमों का लाभ उठाने के लिए जागरूक करना और किसानों को सहायता प्रदान करने की पहल जारी रखना 	<ol style="list-style-type: none"> सूक्ष्म सिंचाई का विस्तार करना सूखा के प्रति सहनशील किस्मों को अपनाने के लिए चरण II की गतिविधियों का विस्तार

चरण

लक्ष्य

	I (2024-25 से 2026-27)	II (2027-28 से 2029-30)	III (2030-31 से 2034-35)
	<ol style="list-style-type: none"> 95 हेक्टेयर में पेड़ों से मेड़बंधी किया जाना (कृषि के कुल क्षेत्रफल का 50%) 57 हेक्टेयर में सूक्ष्म सिंचाई की पद्धतियां प्रारम्भ किया जाना (उपयुक्त कृषि भूमि का 30%) 	<ol style="list-style-type: none"> सभी 189.35 हेक्टेयर कृषि भूमि (कृषि भूमि का 100%) में पेड़ों से मेड़बंधी किया जाना 93 हेक्टेयर में सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियां प्रारम्भ किया जाना (उपयुक्त कुल कृषि भूमि का लगभग 70%) 	<ol style="list-style-type: none"> उपयुक्त कृषि भूमि के 103.75 हेक्टेयर (100%) में सूक्ष्म सिंचाई की पद्धतियां प्रारम्भ किया जाना मेड़बंधी और खेत में कृषि तालाबों का रखरखाव मौसम निगरानी स्टेशनों का आवधिक रखरखाव

अनुमानित लागत

<p>3. जहां तक संभव हो, खेत में 300 m³ प्रति क्षमता वाले 10 कृषि तालाबों का निर्माण</p> <p>4. ग्राम पंचायत में उपयुक्त स्थान पर 1 मिनी मौसम निगरानी स्टेशन स्थापित करना</p>	<p>3. जहां तक संभव हो, 1खेत में 15-20 कृषि तालाबों का निर्माण</p> <p>4. मौसम निगरानी स्टेशनों का आवधिक रखरखाव</p>	
<p>1. मेड़बंदी/बंध: लगभग ₹1,46,250</p> <p>2. सूक्ष्म सिंचाई: ₹57,00,000</p> <p>3. खेत में तालाब: ₹4,50,000 से ₹9,00,000</p> <p>4. 1 मिनी मौसम स्टेशन की लागत: ₹1,50,000</p> <p>कुल लागत: ₹64.46 लाख से ₹68.96 लाख</p>	<p>1. मेड़बंदी/बंध: लगभग ₹1,45,650</p> <p>2. सूक्ष्म सिंचाई: ₹93,00,000</p> <p>3. खेत में तालाब: ₹13,50,000 से ₹18,00,000</p> <p>कुल लागत: ₹1.07 करोड़ से ₹1.12 करोड़</p>	<p>सूक्ष्म सिंचाई: 39,35,000</p> <p>कुल लागत: ₹39.35 लाख</p>



प्राकृतिक खेती अपनाना

चरण

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ

	I (2024-25 से 2026-27)	II (2027-28 से 2029-30)	III (2030-31 से 2034-35)
	<p>1. प्राकृतिक उर्वरकों, जैव-कीटनाशकों और जैव-खरपतवारनाशकों के उपयोग के माध्यम से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना।</p> <p>» प्रशिक्षण और प्रदर्शन</p> <p>» नर्सरी और स्थानीय बीज बैंक तैयार करना</p> <p>» जैविक/प्राकृतिक खेती प्रमाणन की प्रक्रिया प्रारम्भ किया जाना</p> <p>» बाजार से संपर्क किया जाना</p> <p>2. मिश्रित फसल, फसल चक्रण, गीली घास से ढकना, शून्य जुताई जैसी प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना और अपनाना</p>	<p>1. कृषि भूमि का प्राकृतिक खेती में परिवर्तन जारी रखना (नर्सरी, बीज बैंक, प्रमाणन तंत्र और बाजार से जुड़ाव स्थापित किया जाना)</p> <p>2. चरण I में कार्यान्वित गतिविधियों को बढ़ावा देना और अपनाना</p>	<p>कृषि भूमि को प्राकृतिक खेती में परिवर्तित करने संबंधी गतिविधियों का शतप्रतिशत विस्तार</p>

लक्ष्य

~29 हेक्टेयर (15%) कृषि भूमि को प्राकृतिक खेती में परिवर्तित करना

~76 हेक्टेयर (कुल 40%) कृषि भूमि को प्राकृतिक खेती में परिवर्तित करना

शेष ~84 हेक्टेयर (शामिल की गई शतप्रतिशत भूमि) कृषि भूमि को प्राकृतिक खेती में परिवर्तित करना

अनुमानित लागत

1. प्रशिक्षण की लागत (एक बार): ₹60,000
2. प्राकृतिक खेती हेतु भूमि का परिवर्तन: ~₹71,65,900
कुल लागत: ₹72.25 लाख

1. प्रशिक्षण की लागत (एक बार): ₹60,000
2. प्राकृतिक खेती हेतु भूमि का परिवर्तन: ~₹1,87,79,600
कुल लागत: ₹1.88 करोड़

1. प्रशिक्षण की लागत (एक बार): ₹60,000
2. प्राकृतिक खेती हेतु भूमि का परिवर्तन: ~₹2,08,42,885
कुल लागत: ₹2.09 करोड़



सतत पशुधन प्रबंधन

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ

1. पशुधन प्रबंधन के लिए पशुपालन में लगे परिवारों की जागरूकता बढ़ाना और क्षमता विकास करना
2. पशुधन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए समुदाय के सदस्यों को पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता/पैरा-पशु चिकित्सक के रूप में प्रशिक्षित करना पशुधन से मीथेन उत्सर्जन को कम करने पर हस्तक्षेप के लिए अनुभाग "विचारार्थ अतिरिक्त संस्तुतियों की सूची" देखें।

1. पशुपालन में लगे परिवारों के लिए स्थायी/सतत पालन क्रियाएँ/ गतिविधियों, बीमारी की रोकथाम और पशुधन स्वास्थ्य के प्रबंधन पर कार्यशालाएं आयोजित करना
2. 2 पैरा-वेट का प्रशिक्षण²⁹

1. प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास गतिविधियों का विस्तार
2. आवश्यकता के अनुसार पैरा-वेट प्रशिक्षण को बढ़ाना

1. रोग की रोकथाम और सतत पालन गतिविधियों पर अतिरिक्त कार्यशालाएं आयोजित करना
2. पशुधन प्रबंधन के लिए निरंतर प्रशिक्षण और क्षमता विकास

1. प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास गतिविधियों का विस्तार
2. आवश्यकता के अनुसार पैरा-वेट प्रशिक्षण को बढ़ाना

1. रोग की रोकथाम और सतत पालन गतिविधियों पर अतिरिक्त कार्यशालाएं आयोजित करना
2. पशुधन प्रबंधन के लिए निरंतर प्रशिक्षण और क्षमता विकास

29 पैरा वेट की संख्या ग्राम पंचायत की आवश्यकता अनुसार



सतत जलीय कृषि

चरण	I (2024-25 से 2026-27)	II (2027-28 से 2029-30)	III (2030-31 से 2034-35)
सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> सतत जलीय कृषि संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देना³⁰ (अधिक जानकारी के लिए 'आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना' अनुभाग देखें) सतत जलीय कृषि पद्धतियों को अपनाने हेतु किसानों/ स्वयं सहायता समूह/ किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) का क्षमता विकास बाजार से जुड़ाव/बाजार तक पहुंच को बढ़ाना 	चरण I की गतिविधियों का विस्तार	चरण I की गतिविधियों का विस्तार
लक्ष्य	उन 4 तालाबों में सतत जलीय कृषि गतिविधियों को बढ़ाना जहां मत्स्य पालन किया जाता है	आवश्यकतानुसार चरण I की गतिविधियों का विस्तार	आवश्यकतानुसार चरण I की गतिविधियों का विस्तार
अनुमानित लागत	सतत जलीय कृषि को 'आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना' अनुभाग में शामिल किया गया है		

30 निवेश की लागत में वृद्धि के बिना मछली के बेहतर उत्पादन के लिए प्लवक की उपलब्धता बनाए रखने हेतु उत्पादकता में वृद्धि, प्राकृतिक चारे और प्रभावी सूक्ष्म जीवों का उपयोग जैसे अभ्यास

वर्तमान में संचालित योजनाएं और कार्यक्रम

- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY), उ०प्र० बाजरा पुनरुद्धार कार्यक्रम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, मौसम आधारित फसल बीमा योजना, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा योजना से धन और सब्सिडी के माध्यम से सूखा प्रबंधन और प्रूफिंग प्रक्रियाओं का समर्थन किया जा सकता है।
- फसल योजना और आपदा प्रबंधन को बढ़ाने के लिए मौसम सूचना नेटवर्क एवं डेटा सिस्टम (WINDS) कार्यक्रम के अंतर्गत स्वचलित मौसम स्टेशन स्थापित किए जा सकते हैं
» उत्तर प्रदेश सरकार ने WINDS कार्यक्रम के कार्यान्वयन की घोषणा की है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक तहसील मुख्यालय में एक स्वचलित मौसम स्टेशन और प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम दो स्वचलित वर्षा मापी स्थापित किए जाएंगे।
- सूखारोधी गतिविधियों, नर्सरी और बीज बैंकों के निर्माण को मनरेगा के माध्यम से सुव्यवस्थित किया जा सकता है
- जैविक खेती गतिविधियों को विभिन्न योजनाओं जैसे- परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY) और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना के अंतर्गत प्रदान की गई धनराशि और सब्सिडी के माध्यम से समर्थन दिया जा सकता है।
- किसानों के लिए तकनीकी और ज्ञान सहायता के साथ-साथ जैविक खेती प्रदर्शनों को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय जैविक खेती केंद्रों (NCOF और RCOF), कृषि विज्ञान केंद्र (KVK), सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के निकटतम जैविक खेती सेल के माध्यम से सक्षम किया जा सकता है।
- प्रौद्योगिकी उन्नयन और सतत खेती के लिए किसानों और किसान उत्पादक संगठन के प्रशिक्षण और क्षमता विकास में सहायता के लिए कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (ATMA) का उपयोग किया जा सकता है।
- कृषि रक्षा योजना विभिन्न पारिस्थितिक संसाधनों के माध्यम से कीट नियंत्रण और जैव-रसायनों के उपयोग को बढ़ावा देने में किसानों को सहायता करती है।
- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) और उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत जलीय कृषि (मत्स्य पालन) के लिए एक स्थायी दृष्टिकोण का समर्थन किया जा सकता है।

वित्त के अन्य स्रोत

- कटाई के बाद के नुकसान को कम करने में मदद करने के लिए कोल्ड-स्टोरेज सुविधा की स्थापना और संचालन ("स्वच्छ, सतत, सस्ती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच" अनुभाग में उल्लिखित योजनाओं के अनुरूप) करना।
» फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए कोल्ड-स्टोरेज की सुविधा
- जागरूकता बढ़ाना: जैविक खेती के तरीकों और लाभों, आवश्यक सुझाव, प्रदर्शन, सूचना और मार्गदर्शन के प्रासंगिक स्रोत, पंजीकरण प्रक्रिया, सत्यापन और प्रमाणन प्रक्रिया, बाजार लिंकेज और मौसम-आधारित सूचना सेवाओं आदि पर जानकारी।
- किसानों, किसान उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह और समुदाय के अन्य सदस्यों को बीमा, विभिन्न योजनाओं के लाभ के साथ-साथ जैविक उर्वरकों को अपनाने, सूखारोधी कृषि और टिकाऊ पशुधन प्रबंधन, अंततः जैविक खेती में परिवर्तन सहित क्लाइमेट स्मार्ट कृषि गतिविधियों को लागू करने के तकनीकी पहलुओं के लिए मार्गदर्शन और प्रशिक्षण प्रदान करना और क्षमता विकास करना।
- इसके अतिरिक्त, अशोका में सतत कृषि में से जुड़े, किसान उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह और अन्य समुदाय के सदस्यों का क्षमता विकास क्षेत्र के तकनीकी विशेषज्ञों और संस्थानों, स्थानीय गैर सरकारी संगठनों, सीएसओ और कॉरपोरेट्स के सहयोग से किया जा सकता है।

प्रमुख विभाग

- कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
- उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
- एकीकृत कीट प्रबंधन केंद्र (CIPM)
- मत्स्य पालन विभाग
- भूमि संसाधन विभाग
- जल शक्ति विभाग
- कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (ATMA)
- पशुपालन विभाग
- उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (UPNEDA)
- क्षेत्रीय जैविक खेती केंद्र
- कृषि विज्ञान केन्द्र, बहराइच

3

हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना



संदर्भ एवं मुद्दे

- अशोका में 0.5 हेक्टेयर चिन्हित वन क्षेत्र है³¹।
- ग्राम पंचायत में 1.5 हेक्टेयर कृषि वानिकी वृक्षारोपण के साथ-साथ राष्ट्रीय राजमार्ग 730 के किनारे भी पेड़ लगाए गए हैं। प्रमुख प्रजातियों में अशोक, ताड़ और फूल वाले पेड़ शामिल हैं।
- इसके अतिरिक्त, मनरेगा के अंतर्गत जुलाई के महीने में वृक्षारोपण गतिविधियां की जाती हैं, जिनकी औसत जीवित रहने की दर 80% बताई गई है³²।

अशोका ग्राम पंचायत में हरित क्षेत्रों को बढ़ाने की क्षमता है, क्योंकि यह न केवल बढ़ते तापमान में सुधार करेगा और छाया प्रदान करेगा अपितु ग्राम पंचायत में कार्बन सिंक को बढ़ाने के साथ-साथ, लंबी अवधि में मिट्टी के स्वास्थ्य और जल स्तर में भी सुधार करेगा।

हरित क्षेत्रों/आवरण में सुधार

चरण	I (2024-25 से 2026-27)	II (2027-28 से 2029-30)	III (2030-31 से 2034-35)
सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ	<p>विभिन्न प्रयासों के माध्यम से वार्षिक समुदाय-आधारित वृक्षारोपण संबंधी गतिविधियाँ³³:</p> <ul style="list-style-type: none"> » छात्रों के लिए ग्रीन स्टीवर्डशिप कार्यक्रम³⁴ (5 छात्र चयनित) » देशी फल वाले पेड़ों को लगाकर खाद्य वन का निर्माण 	<ol style="list-style-type: none"> 1. लगाए गए मौजूदा पेड़ों का रखरखाव 2. बाल वन³⁵ बनाने से वृक्षारोपण गतिविधियाँ जारी रखना और बेहतर बनाना 3. किसानों को कृषि वानिकी अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना 	<ol style="list-style-type: none"> 1. वृक्षारोपण गतिविधियाँ जारी रखना - बाल वन, खाद्य वन और अन्य वृक्षारोपण 2. ~47 हेक्टेयर (कृषिवानिकी के लिए उपयुक्त 100% भूमि) कृषिवानिकी पहल के अंतर्गत शामिल है

31 जैसा कि क्षेत्रीय सर्वेक्षणों के दौरान बताया गया है

32 जैसा कि क्षेत्रीय सर्वेक्षणों के दौरान बताया गया है

33 अनुलग्नक VI में सूचीबद्ध वृक्षों की प्रजातियाँ

34 स्कूल के छात्रों को पेड़ लगाने के कार्यों में शामिल किया जाएगा और प्रत्येक कक्षा से उन छात्र नेताओं को चुना जाएगा जो अपने साथियों के साथ-साथ ग्राम पंचायत समुदाय को भी पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करेंगे।

35 नए माता-पिता को उनके बच्चों के जन्म के उपलक्ष्य में देशी सदाबहार वृक्षों के पौधे उपहार में दिए जाएंगे तथा उन्हें अपने बच्चों के जीवन में इन पौधों की देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

लक्ष्य

3. आरोग्य वन तैयार करना - भूमि की खरीद और तैयारी, प्रजातियों का चयन और विभिन्न औषधीय जड़ी-बूटियों³⁶, झाड़ियों और पेड़ों का रोपण

4. आरोग्य वन की स्थापना करना

3. आरोग्य वन का रखरखाव तथा प्राकृतिक औषधियों और पूरकों के उत्पादन के लिए यूनिट स्थापित करना

1. आम और लुप्तप्राय पेड़ों के 1,000 पौधे लगाया जाना और कम से कम 65% जीवित रहने की दर (ट्री गार्ड का उपयोग करके) सुनिश्चित करना। पौधरोपण से 15-20 वर्षों में पृथक्करण क्षमता 5,600 tCO₂ से 10,000 tCO₂

2. आरोग्य वन स्थापित करने के लिए लगभग 0.1 हेक्टेयर भूमि आवंटित/सीमांकन करना

1. ग्राम पंचायत में सड़कों, रास्तों और जल निकायों के आसपास 1,500 से 2,000 पौधे लगाना। पौधरोपण से 15-20 वर्षों में पृथक्करण क्षमता 8,400 tCO₂ से 17,500 tCO₂

2. 19 हेक्टेयर भूमि में कृषि वानिकी अपनाना (कृषि वानिकी के लिए उपयुक्त³⁷ 40% भूमि), 1,900 पेड़ लगाना सागवन के पेड़ों को लगाने से पृथक्करण क्षमता = 20 वर्षों में 10,600 tCO₂ से 19,000 tCO₂

3. आरोग्य वन की स्थापना एवं रखरखाव

4. प्राकृतिक दवाओं और पूरकों के निर्माण और विपणन के लिए किसान उत्पादक संगठन, महिला समूहों, युवा समूहों का क्षमता विकास

1. 1,500 से 2,000 और पौधे लगाना 15-20 वर्षों में पृथक्करण क्षमता 8,400 tCO₂ से 17,500 tCO₂

2. कृषि वानिकी के लिए उपयुक्त शेष भूमि यानी 28 हेक्टेयर में कृषि वानिकी अपनाना और 2,800 पेड़ लगाना सागवन के पेड़ों को लगाने से 20 वर्षों में पृथक्करण क्षमता = 15,600 tCO₂ से 28,000 tCO₂

3. आरोग्य वन का रखरखाव और प्राकृतिक दवाओं और पूरकों का उत्पादन जारी रखना ("आजीविका और हरित उद्यमिता बढ़ाने" अनुभाग में विस्तृत जानकारी दी गई है)

अनुमानित लागत

1. वृक्षारोपण की गतिविधियाँ: ₹12,70,000
कुल लागत: ₹12.70 लाख

1. वृक्षारोपण की गतिविधियाँ: ₹19,05,000 से ₹25,40,000

2. कृषि वानिकी की गतिविधियाँ: ₹7,60,000

3. बागानों का रखरखाव: ₹1,80,000
कुल लागत: ₹28.45 लाख से ₹34.80 लाख

1. वृक्षारोपण की गतिविधियाँ: ₹19,05,000 से ₹25,40,000

2. कृषि वानिकी की गतिविधियाँ: ₹11,20,000

3. बागानों का रखरखाव: ₹1,80,000
कुल लागत: ₹32.05 लाख से ₹38.40 लाख

36 अनुलग्नक VI में सूचीबद्ध वृक्षों की प्रजातियाँ

37 सब्जी, सरसों और मक्के की खेती वाली कृषि भूमि (~47 हेक्टेयर) कृषिवानिकी के लिए उपयुक्त मानी जाती है।



नर्सरी की स्थापना

चरण	I (2024-25 से 2026-27)	II (2027-28 से 2029-30)	III (2030-31 से 2034-35)
सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> स्वयं सहायता समूहों को नियोजित करके ग्राम पंचायत के लिए एक स्थानीय नर्सरी स्थापित करना नर्सरी का रखरखाव करने एवं उसे संचालन के लिए स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षित करना 	नर्सरी का रखरखाव	नर्सरी का रखरखाव
लक्ष्य	हरित आवरण/कवर को बेहतर बनाने और महिलाओं को अतिरिक्त आय प्रदान करने के लिए एक नर्सरी स्थापित करना		
अनुमानित लागत	नर्सरी के निर्माण और संचालन की लागत: ₹10,00,000 कुल लागत: ₹10 लाख	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार



जन जैवविविधता रजिस्टर

चरण	I (2024-25 से 2026-27)	II (2027-28 से 2029-30)	III (2030-31 से 2034-35)
सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> जन जैवविविधता रजिस्टर अद्यतन करना जागरूकता बढ़ाना 	<ol style="list-style-type: none"> जन जैवविविधता रजिस्टर अद्यतन करना जारी रखना जागरूकता को सुदृढ़ करना 	<ol style="list-style-type: none"> जन जैवविविधता रजिस्टर अद्यतन करना जारी रखना जागरूकता को सुदृढ़ करना

लक्ष्य

1. जैवविविधता प्रबंधन समिति (BMC) का गठन और क्षमता वृद्धि
2. जन जैवविविधता रजिस्टर का सहभागी अद्यतन

जन जैवविविधता रजिस्टर का सहभागी अद्यतन जारी रखना

जन जैवविविधता रजिस्टर का सहभागी अद्यतन जारी रखना

अनुमानित लागत

जैवविविधता प्रबंधन समिति (BMC) का गठन और प्रशिक्षण की लागत³⁸: ₹25,000

वर्तमान में संचालित योजनाएं और कार्यक्रम

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC), ग्रीन इंडिया मिशन, जल जीवन मिशन और उ०प्र० राज्य वृक्षारोपण लक्ष्यों द्वारा 'भारत में वनों के बाहर वृक्ष' पहल के अंतर्गत प्रावधानों के माध्यम से वृक्षारोपण की गतिविधियों को जोड़ा और संचालित किया जा सकता है।
- उ०प्र० राज्य के प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (राज्य कैम्पा निधि) के अंतर्गत वार्षिक बजटिंग निम्नलिखित गतिविधियों के लिए दिया जा सकता है:
 - » ग्राम पंचायत में वनीकरण, जैवविविधता का संवर्धन, वन्यजीव आवास को बेहतर बनाना, और मिट्टी और जल संरक्षण गतिविधियाँ।
- वृक्षारोपण गतिविधियों को मनरेगा के साथ जोड़ा जा सकता है और स्थानीय समुदाय को 'श्रमदान' करने में भी सम्मिलित किया जा सकता है।
- सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत कृषि वानिकी संबंधी उप-मिशन का लाभ उठाया जा सकता है:
 - » कृषि वानिकी वृक्षारोपण के लिए प्रति हेक्टेयर ₹28,000 का लाभ उठाना
 - » वृक्षारोपण हेतु सहायता चार वर्षों के लिए 40:20:20:20 के वर्ष-वार अनुपात में प्राप्त की जा सकती है।
- केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान, लखनऊ के कौशल विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम ग्राम पंचायत में आरोग्य वन स्थापित करने में सहायक हो सकता है।
- जैवविविधता प्रबंधन समिति (BMC) के प्रशिक्षण और क्षमता विकास के लिए राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड के कार्यक्रमों का उपयोग किया जा सकता है।

वित्त के अन्य स्रोत

- 15वें वित्त आयोग और स्वयं के स्रोत राजस्व (OSR) के अंतर्गत ग्राम पंचायत को आवंटित संसाधन
- पौधों की खरीद, वृक्षारोपण अभियान का आयोजन करना, पौधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ट्री गार्ड लगाने हेतु कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी निधि का लाभ उठाया जा सकता है। सीएसआर समर्थन का उपयोग आरोग्य वन को बनाने और हर्बल उत्पादों के लिए उत्पादन इकाइयां स्थापित करने के लिए किया जा सकता है, जैसा कि 'आजीविका को बेहतर बनाने और हरित उद्यमिता को बढ़ावा देने' की संस्तुतियों में वर्णित है।

38 जैवविविधता प्रबंधन समितियों (BMC) के संचालन के लिए दिशानिर्देश, 2013, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। <http://nbaindia.org/uploaded/pdf/Guidelines%20for%20BMC.pdf>

प्रमुख विभाग

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
- राज्य जैवविविधता बोर्ड
- पंचायती राज विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग
- केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान, लखनऊ

4

सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन



संदर्भ एवं मुद्दे

- ग्राम पंचायत में सभी घरेलू गतिविधियों (घरेलू, सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक स्थानों, तथा वाणिज्यिक क्षेत्रों)³⁹ से उत्पन्न होने वाला कुल अपशिष्ट लगभग 260 किलोग्राम प्रतिदिन है। इसमें से 151 किलोग्राम बायोडिग्रेडेबल/जैविक अपशिष्ट और 109 किलोग्राम गैर-बायोडिग्रेडेबल/अजैविक अपशिष्ट है।
- अशोका में अपशिष्ट संग्रहण, अलग करना/पृथक्करण और प्रभावी अपशिष्ट उपचार प्रणाली का अभाव है, जिसके कारण ग्राम पंचायत के अंदर और बाहर जल निकायों और खाली भूखंडों पर अपशिष्ट फेंका जा रहा है⁴⁰। इसके परिणामस्वरूप जल निकाय प्रदूषित हो जाते हैं, मानसून के दौरान नालियों के बंद होने के कारण जलभराव हो जाता है जिससे कई स्वास्थ्य संबंधी खतरे और बढ़ जाते हैं।
- बड़ी मात्रा में कृषि और पशु अपशिष्ट भी अपशिष्ट प्रबंधन की समस्याओं को बढ़ा रहे हैं। ग्राम पंचायत में कुल पशुधन आबादी 1,900 है (गायों, भैंसों और बकरियों सहित) और अनुमानित गोबर उत्पादन लगभग 13 टन प्रति दिन है⁴¹ जिसे अशोका में खाद, वर्मीकम्पोस्ट, प्राकृतिक उर्वरक उत्पादन और बायोगैस उत्पादन जैसे हस्तक्षेपों के माध्यम से स्थायी रूप से प्रबंधित किया जा सकता है।
- ग्राम पंचायत में ~71% घरों में व्यक्तिगत शौचालय है। क्षेत्रीय सर्वेक्षणों और समूह केंद्रित चर्चाओं ने ग्राम पंचायत में सार्वजनिक शौचालयों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

इस पृष्ठभूमि में, ग्राम पंचायत में 100% ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करने के साथ-साथ अर्थव्यवस्था को बढ़ाने और आजीविका के अवसर उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित समाधान प्रस्तावित हैं।

39 अनुमान पद्धति के लिए अनुबंध IV देखें

40 क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान समुदाय से मिले इनपुट के आधार पर

41 अनुमानित है कि गायें प्रति दिन 10 किलोग्राम गोबर पैदा करती हैं, भैंसें प्रति दिन 15 किलोग्राम गोबर पैदा करती हैं, और बकरियां प्रति दिन 150 ग्राम गोबर पैदा करती हैं।



अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना

चरण	I (2024-25 से 2026-27)	II (2027-28 से 2029-30)	III (2030-31 से 2034-35)
सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> ग्राम पंचायत-स्तरीय पृथक्करण एवं भंडारण सुविधाएं स्थापित करना कचरे को एकत्रित करने और उसके परिवहन के लिए 1 इलेक्ट्रिक वाहन: »घरों से लेकर ग्राम पंचायत-स्तरीय भंडारण सुविधाओं तक रणनीतिक/चयनित स्थानों (बाजार, दुकान, चाय की दुकान आदि) पर कचरा एकत्रित करने हेतु कूड़ेदान रखना पंचायत, स्वयं सहायता समूह (SHG), अनौपचारिक कचरा बीनने वालों, स्थानीय स्कैप डीलरों, स्थानीय व्यवसायों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) के बीच साझेदारी करना। 	<ol style="list-style-type: none"> ग्राम पंचायत स्तरीय पृथक्करण और भंडारण सुविधा का रखरखाव रखे गए मौजूदा कूड़ादानों का रखरखाव और आवश्यकतानुसार अन्य रणनीतिक/चिह्नित स्थानों पर अतिरिक्त कूड़ेदान रखना ग्राम पंचायत के अतिरिक्त अन्य गांवों/जिलों तक साझेदारी को बढ़ाना 	<ol style="list-style-type: none"> ग्राम पंचायत स्तर पर रखरखाव: पृथक्करण और भंडारण सुविधा रखे गए मौजूदा कचरे के डिब्बों का रखरखाव ग्राम पंचायत के अतिरिक्त अन्य गांवों/जिलों तक साझेदारी को बढ़ाना
लक्ष्य	<ol style="list-style-type: none"> रोज़ाना कचरा एकत्रित करने के लिए 1 इलेक्ट्रिक वाहन (EV) ग्राम पंचायत की अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत 625 घर (100%) शामिल हैं 50 कूड़ेदान डिब्बे रखना 	मौजूदा सुविधाओं और अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का रखरखाव	मौजूदा सुविधाओं और अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का रखरखाव
अनुमानित लागत	<ol style="list-style-type: none"> 1 इलेक्ट्रिक वाहन: ₹1,05,000 50 कूड़ेदान: ₹2,50,000 कुल लागत: ₹3,55,000	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार



जैविक अपशिष्ट का प्रबंधन

चरण	I (2024-25 से 2026-27)	II (2027-28 से 2029-30)	III (2030-31 से 2034-35)
सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> वर्मीकम्पोस्ट गड्ढे बनाना ग्राम पंचायत में खाद मूल्य श्रृंखला स्थापित करने के लिए पंचायत और संबंधित हितधारकों के बीच भागीदारी का निर्माण 	<ol style="list-style-type: none"> बायोडिग्रेडेबल/जैविक कचरे के निपटान हेतु अतिरिक्त खाद गड्ढे बनाना वर्मीकम्पोस्ट गड्ढों का नियमित रखरखाव ग्राम पंचायत के अतिरिक्त अन्य गांवों/जिलों तक साझेदारी को बढ़ाना 	<ol style="list-style-type: none"> बायोडिग्रेडेबल/जैविक कचरे के निपटान हेतु अतिरिक्त खाद गड्ढे बनाना वर्मीकम्पोस्ट गड्ढों का नियमित रखरखाव ग्राम पंचायत के अतिरिक्त अन्य गांवों/जिलों तक साझेदारी को बढ़ाना
लक्ष्य	<ol style="list-style-type: none"> 20⁴² वर्मीकम्पोस्टिंग गड्ढे बनाना निम्नलिखित हेतु पंचायत, समुदाय के सदस्यों और किसान समूहों के बीच साझेदारी मॉडल ("आजीविका और हरित उद्यमिता को बढ़ाना" अनुभाग में विस्तार से बताया गया है): <ul style="list-style-type: none"> » खाद का उत्पादन एवं विक्रय » कृषि अपशिष्ट का विक्रय 	<ol style="list-style-type: none"> घरों, सार्वजनिक/अर्ध-सार्वजनिक सुविधाओं, वाणिज्यिक सेट अप और कृषि से उत्पन्न होने वाले सभी (100%) बायोडिग्रेडेबल/जैविक कचरे के निपटाने के लिए अतिरिक्त खाद गड्ढे बनाना। खाद गड्ढों का रखरखाव साझेदारी बढ़ाना 	<ol style="list-style-type: none"> घरों, सार्वजनिक/अर्ध-सार्वजनिक सुविधाओं, वाणिज्यिक सेट अप और कृषि से उत्पन्न होने वाले सभी (100%) बायोडिग्रेडेबल/जैविक कचरे के निपटाने के लिए अतिरिक्त खाद गड्ढे बनाना। खाद गड्ढों का रखरखाव साझेदारी बढ़ाना
अनुमानित लागत	20 वर्मीकम्पोस्ट गड्ढे: ₹2,00,000 कुल लागत: ₹2 लाख	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार

42 खतरा, जोखिम, नाजुकता और क्षमता विश्लेषण के अनुसार अशोका और सोहापारा गांव में वर्मीकम्पोस्ट का निर्माण किया जाना है (अनुलग्नक III)

एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध

चरण

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ

लक्ष्य

	I (2024-25 से 2026-27)	II (2027-28 से 2029-30)	III (2030-31 से 2034-35)
	<ol style="list-style-type: none"> निम्नलिखित हेतु जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता विकास कार्यक्रम: <ul style="list-style-type: none"> » ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (VWSC) » छात्र एवं युवा समूह » समुदाय के सदस्य और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान प्लास्टिक के वैकल्पिक उत्पादों से उत्पादों के निर्माण के लिए पंचायत की महिलाओं और स्वयं सहायता समूह (SHG) के बीच साझेदारी मॉडल ('आजीविका और हरित उद्यमिता को बढ़ाना' अनुभाग में विस्तार से बताया गया है) 	<ol style="list-style-type: none"> नियमित जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता -निर्माण कार्यक्रम ग्राम पंचायत के अतिरिक्त अन्य गांवों/जिलों तक साझेदारी को बढ़ाना 	<ol style="list-style-type: none"> नियमित जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता -निर्माण कार्यक्रम ग्राम पंचायत के अतिरिक्त अन्य गांवों/जिलों तक साझेदारी को बढ़ाना
	<ol style="list-style-type: none"> एकल उपयोग प्लास्टिक (SUP) पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध प्लास्टिक के वैकल्पिक उत्पादों के निर्माण में 100-120 महिलाओं को लगाया जाना (150 महिलाओं में से, जो वर्तमान में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई हैं) 	<ol style="list-style-type: none"> एकल उपयोग प्लास्टिक (SUP) पर प्रतिबंध जारी रखना निम्नलिखित की इस ग्राम पंचायत और आसपास के गांवों से सहभागिता बढ़ाना: <ul style="list-style-type: none"> » अतिरिक्त 200 महिलाएं » अतिरिक्त स्वयं सहायता समूह, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) और व्यक्तिगत उद्यमी 	<ol style="list-style-type: none"> एकल उपयोग प्लास्टिक (एसयूपी) पर प्रतिबंध जारी रखना उपभोक्ता-व्यापी प्लास्टिक का उपयोग कम हो रहा है क्योंकि विकल्प आसानी से उपलब्ध हैं



स्वच्छता के बुनियादी ढांचे बेहतर बनाना

चरण	I (2024-25 से 2026-27)	II (2027-28 से 2029-30)	III (2030-31 से 2034-35)
सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> समुदाय के विकलांग सदस्यों के लिए विशेष शौचालयों का निर्माण सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण 	सार्वजनिक शौचालयों का नियमित रखरखाव	सार्वजनिक शौचालयों का नियमित रखरखाव
लक्ष्य	<ol style="list-style-type: none"> समुदाय के विकलांग सदस्यों के लिए विशेष शौचालय 3 सार्वजनिक शौचालय⁴³ 		
अनुमानित लागत	<ol style="list-style-type: none"> 13 विशेष शौचालय -₹3,90,000 3 सार्वजनिक शौचालय -₹24,00,000 कुल लागत: ₹27.9 लाख 	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार

वर्तमान में संचालित योजनाएं और कार्यक्रम

- समुदाय आधारित खाद बनाने की सुविधाओं, अपशिष्ट संग्रहण एवं पृथक्करण गड्डों, पृथक्करण एवं भंडारण शेड के निर्माण के लिए मनरेगा का उपयोग किया जा सकता है।
- बुनियादी ढांचे का विकास, प्रशिक्षण और क्षमता विकास को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत पहलों/प्रयासों द्वारा समर्थित किया जा सकता है।

वित्त के अन्य स्रोत

- कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) निधि और पंचायत-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल संयंत्र, पृथक्करण यार्ड, प्लास्टिक-वैकल्पिक उद्यम, विपणन, अपशिष्ट के परिवहन के लिए ई-वाहनों की खरीद आदि जैसे बुनियादी ढांचे को विकसित और संचालित करने में मदद कर सकते हैं।

⁴³ खतरा, जोखिम, नाजुकता और क्षमता विश्लेषण के अनुसार, सासरपारा, टेमडिया और सोहापारा में सार्वजनिक शौचालयों के बुनियादी ढांचे के लिए स्थान (अनुलग्नक III)।

- इसके अतिरिक्त, प्लास्टिक के लिए वैकल्पिक उत्पादों के उत्पादन, खाद बनाने की प्रक्रिया में शामिल सभी हितधारकों की जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता विकास बढ़ाने और व्यक्तिगत स्तर पर सतत उपभोग व्यवहार को बढ़ावा देने में सीएसआर समर्थन महत्वपूर्ण होगा।
- स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (SBM-G) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, अपशिष्ट प्रबंधन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा तैयार करने हेतु, टाइड और अनटाइड निधि सहित, ग्राम पंचायत के अपने स्वयं के संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है।

प्रमुख विभाग

- पंचायती राज विभाग
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग
- कृषि विभाग
- उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड

5

स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच



संदर्भ एवं मुद्दे

- अशोका ग्राम पंचायत ने 2022-23 में लगभग 2,00,000 यूनिट बिजली की खपत की। हालांकि ग्राम पंचायत के शतप्रतिशत घरों में बिजली कनेक्शन है, लेकिन समुदाय के सदस्यों के अनुसार बिजली की आपूर्ति 24*7 नहीं है। ग्राम पंचायत में औसतन प्रतिदिन लगभग 4 घंटे बिजली की कटौती होती है।⁴⁴
- बिजली कटौती के कारण, ग्राम पंचायत में पावर बैकअप के लिए 20 डीजल जेनरेटर हैं⁴⁵ जो सालाना लगभग ~21 किलोलीटर ईंधन की खपत करते हैं।
- इसके अतिरिक्त, सिंचाई के लिए 300 डीजल पंप का उपयोग किया जाता है⁴⁶ जिससे सालाना 117 किलोलीटर ईंधन की खपत होती है
- कई घरों और सार्वजनिक उपयोगिताओं में इंकेंडेसेंट लैंप, सीएफएल (CFL) (कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट) लाइट और कम दक्षता वाले अन्य विद्युत फिक्स्चर और उपकरण उपयोग में हैं। इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायत ने अतिरिक्त स्ट्रीट लाइट (105 स्ट्रीटलाइट्स) की आवश्यकता बतायी है।⁴⁷
- 150 घरों में खाना पकाने के लिए उपलों और ईंधन की लकड़ी (पारंपरिक ईंधन) का उपयोग किया जाता है।⁴⁸ स्वच्छ खाना पकाने के ऊर्जा के तरीकों में बदलाव की आवश्यकता है जिससे न केवल उत्सर्जन में कमी आएगी अपितु घरों के भीतर की वायु की गुणवत्ता में सुधार जैसे सह-लाभ भी मिलेंगे।
- तापमान में वृद्धि के साथ, घरों के भीतर में तापमान बढ़ रहा है जिसके कारण स्थायी स्थान शीतलन की आवश्यकता है।

ग्राम पंचायत की ऊर्जा संबंधी चिंताओं के आधार पर, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा हाल ही में प्रारम्भ किए गए और साथ ही पूर्व से चल रहे कार्यक्रमों, जैसे कि प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली मुफ्त योजना, प्रधानमंत्री कुसुम योजना, उ०प्र० राज्य की सौर ऊर्जा नीति 2022, अन्य को संयुक्त रूप से जोड़ते हुए, अशोका में क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित समाधान/गतिविधियां प्रस्तावित हैं। प्रस्तावित गतिविधियों का उद्देश्य ग्राम पंचायत में समुदायों के लिए स्वच्छ, सतत, किफायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना है। इससे न केवल उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा अपितु ऊर्जा के उत्पादक उपयोग के माध्यम से आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

44 क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान समुदाय से मिले इनपुट के आधार पर

45 जैसा कि क्षेत्र सर्वेक्षणों के दौरान बताया गया है

46 जैसा कि क्षेत्र सर्वेक्षण में समुदाय द्वारा साझा किया गया है

47 ग्राम प्रधान से प्राप्त जानकारी के आधार पर

48 जैसा कि क्षेत्र सर्वेक्षणों के दौरान बताया गया है



सोलर रूफटॉप स्थापना

चरण

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ

I (2024-25 से 2026-27)	II (2027-28 से 2029-30)	III (2030-31 से 2034-35)
सभी सरकारी भवनों ⁴⁹ - पंचायत भवन, प्राथमिक विद्यालय और आंगनवाड़ी केंद्र - पर सोलर रूफटॉप लगाया जाना	<ol style="list-style-type: none"> सभी नए निर्माणों में सोलर फोटोवोल्टिक (PV) लगाया जाना 186 (40%) पक्के घरों पर लगाए गए सोलर रूफटॉप की क्षमता 	<ol style="list-style-type: none"> सभी नए निर्माणों में सोलर फोटोवोल्टिक (PV) लगाया जाना शेष 280 घरों (मौजूदा 100% पक्के घर) के लिए सोलर रूफटॉप फोटोवोल्टिक सेट अप

लक्ष्य

<p>निम्नलिखित पर स्थापित किए गए सोलर रूफटॉप की क्षमता:</p> <ul style="list-style-type: none"> » पंचायत भवन (~79 वर्ग मीटर छत का क्षेत्रफल): 5.5 kWp » प्राथमिक विद्यालय 1 (~189 वर्ग मीटर छत का क्षेत्रफल): 10 kWp » प्राथमिक विद्यालय 2 (225 वर्ग मीटर छत का क्षेत्रफल): 10 kWp » आंगनवाड़ी केंद्र (30 वर्ग मीटर छत का क्षेत्रफल): 3 kWp स्थापित की गई सोलर रूफटॉप की कुल क्षमता: 28.5 kWp <p>सालाना उत्पादित कुल बिजली: ~38,170 kWh प्रति वर्ष (~104 यूनिट प्रति दिन)</p> <p>ग्रीनहाउस गैस के उत्सर्जन में कमी: लगभग 31 tCO₂e प्रति वर्ष</p>	<p>186 (40%) पक्के घरों पर लगाए गए सोलर रूफटॉप की क्षमता⁵⁰ स्थापित की गई सोलर रूफटॉप की क्षमता: 558 किलो वॉट (kWp)</p> <p>सालाना उत्पादित कुल बिजली: 7,47,274 किलो वॉट (kWh)⁵¹ प्रति वर्ष (~2,047 यूनिट प्रति दिन)</p> <p>ग्रीनहाउस गैस के उत्सर्जन में कमी: लगभग 613 tCO₂e प्रति वर्ष</p>	<p>280 (~100%) पक्के घरों पर लगाए गए सोलर रूफटॉप की क्षमता स्थापित की गई सोलर रूफटॉप की क्षमता: 840 kWp</p> <p>सालाना उत्पादित कुल बिजली: ~11,24,928 किलोवाट प्रति वर्ष⁵² (~3,082 यूनिट प्रति दिन)</p> <p>ग्रीनहाउस गैस के उत्सर्जन में कमी: लगभग 922 tCO₂e⁵³ प्रति वर्ष</p>
---	---	---

49 पीआरआई भवनों में सौर स्थापना की अधिकतम सीमा 10 किलोवाट है

50 प्रति घर अनुमानित 3 kWp के रूफटॉप की स्थापना

51 यह स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन ग्राम पंचायत में विभिन्न प्रयोजनों के ए वर्तमान बिजली खपत से तीन गुना अधिक होने की संभावना है।

52 यह स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन ग्राम पंचायत में वर्तमान बिजली खपत से 5 गुना अधिक होने की संभावना है।

53 उत्सर्जन से बचने से ग्राम पंचायत को कार्बन तटस्थता की ओर ले जाने में मदद मिलेगी।

अनुमानित लागत

हाल ही में प्रारम्भ की गई प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अति आवश्यक और महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, कुछ घर भी छतों पर सोलर PV लगाने के इस चरण का हिस्सा बन सकते हैं।		
कुल लागत: ₹14.25 लाख (₹50,000/kWp)	कुल लागत: ₹2,79,00,000 सांकेतिक सब्सिडी ⁵⁴ : ~40% (राज्य + केन्द्र) प्रभावी लागत: ₹1.67 करोड़	कुल लागत: ₹4,20,00,000 सांकेतिक सब्सिडी: ~40% (राज्य + केन्द्र) प्रभावी लागत: ₹2.52 करोड़



एग्रो-फोटोवोल्टिक

चरण

	I (2024-25 से 2026-27)	II (2027-28 से 2029-30)	III (2030-31 से 2034-35)
सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ	किसानों, किसान समूहों आदि के बीच जागरूकता बढ़ाना	उपयुक्त कृषि भूमि (बागवानी और फली वाली फसलों के अंतर्गत) के क्षेत्रफल वाले भाग पर कृषि-फोटोवोल्टिक स्थापित किया जाना	उपयुक्त कृषि भूमि (बागवानी और फली वाली फसलों के अंतर्गत) के क्षेत्रफल वाले भाग पर कृषि-फोटोवोल्टिक स्थापित किया जाना

लक्ष्य

किसानों के बीच कृषि-फोटोवोल्टिक पहल को प्रोत्साहित करने हेतु जागरूकता अभियान और उन्मुखीकरण सत्रों का आयोजन करना	2 हेक्टेयर में कृषि-फोटोवोल्टेइक स्थापित किया जाना स्थापित की गई क्षमता: 500 kWp उत्पादित बिजली: प्रति वर्ष 6,69,600 kWh ⁵⁵ (~ 1,835 यूनिट प्रति दिन) ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी: 549 tCO ₂ e प्रति वर्ष	2 हेक्टेयर में कृषि-फोटोवोल्टेइक स्थापित किया जाना स्थापित की गई क्षमता: 500 kWp उत्पादित बिजली: प्रति वर्ष 6,69,600 kWh (~ 1,835 यूनिट प्रति दिन) ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी: 549 tCO ₂ e प्रति वर्ष
---	--	--

अनुमानित लागत

आवश्यकतानुसार	कुल लागत: ₹5 करोड़ ⁵⁶	कुल लागत: ₹5 करोड़
---------------	----------------------------------	--------------------

54 सब्सिडी परिवर्तनशील होती है और राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित विभिन्न मापदंडों के अनुसार बदलती रहती है। इसलिए, अनुमानित सब्सिडी की राशि पिछले रुझानों और औसत पर आधारित है और मौजूदा समय में सटीक नहीं हो सकती है।

55 यह मान ग्राम पंचायत में खपत की गई बिजली से 3 गुना अधिक है

56 प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ, एग्रो-फोटोवोल्टिक की लागत कम हो रही है। हालाँकि, उच्चतर लागत का रूढ़िवादी अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा, यह माना गया

चरण	I (2024-25 से 2026-27)	II (2027-28 से 2029-30)	III (2030-31 से 2034-35)
सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ	<p>मौजूदा 60 (20%) डीजल पंप सेटों को सौर पंपों से बदलना*</p> <p>*यदि सौर पंप व्यवहार्य न हों तो ऊर्जा कुशल पंप (ईईएसएल द्वारा किसान ऊर्जा दक्ष पंप) पर विचार किया जा सकता है।</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. मौजूदा 150 (कुल 50%) डीजल पंपों को सौर पंपों से बदलना तथा 1 ग्रिड से जुड़े विद्युत पंप का सोलेराइजेशन 2. सौर ऊर्जा से संचालित होने वाले सभी नए पंप सेट की खरीद/उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना 	<ol style="list-style-type: none"> 1. शेष 90 डीजल पंपों को बदलना (100% कवरेज) 2. सौर ऊर्जा से संचालित होने वाले सभी नए पंप सेट की खरीद/उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना
लक्ष्य	<ul style="list-style-type: none"> स्थापित क्षमता: 330 kW उत्पादित सौर-आधारित बिजली: ~4,41,900 kWh प्रति वर्ष डीजल की खपत में कमी: 23,400 लीटर/वर्ष उत्सर्जन में कमी: 63 tCO₂e प्रति वर्ष 	<ul style="list-style-type: none"> स्थापित क्षमता: 495 kW उत्पादित सौर-आधारित बिजली: 6,62,904 kWh प्रति वर्ष डीजल की खपत में कमी: 35,100 लीटर/वर्ष उत्सर्जन में कमी: ~95 tCO₂e प्रति वर्ष 	<ul style="list-style-type: none"> स्थापित क्षमता: 825 kW उत्पादित सौर-आधारित बिजली: 11,04,840 kWh प्रति वर्ष डीजल की खपत में कमी: 58,500 लीटर/वर्ष उत्सर्जन में कमी: ~158 tCO₂e प्रति वर्ष
अनुमानित लागत	<p>कुल लागत: ₹1,80,00,000 से ₹3,00,00,000</p> <p>(₹3,00,000 से ₹5,00,000/7.5 HP सोलर पंप)</p> <p>सांकेतिक सब्सिडी: 60% (राज्य + CFA)</p> <p>प्रभावी लागत: ₹72 लाख से ₹1.2 करोड़</p>	<p>कुल लागत: ₹2,70,00,000 से ₹4,50,00,000 (₹ 3,00,000 से ₹5,00,000/7.5 HP सोलर पंप)</p> <p>सांकेतिक सब्सिडी: 60% (राज्य + CFA)</p> <p>प्रभावी लागत: ₹1.08 करोड़ से ₹1.8 करोड़</p>	<p>कुल लागत: ₹4,50,00,000 से ₹7,50,00,000 (₹3,00,000 से ₹5,00,000/7.5 HP सोलर पंप)</p> <p>सांकेतिक सब्सिडी: 60% (राज्य + CFA)</p> <p>प्रभावी लागत: ₹1.08 करोड़ से ₹3 करोड़</p>

है कि किसान बागवानी और इसी तरह की अन्य फसलों के लिए निर्धारित भूमि पर भी फसल चक्रण को अपनाते हैं। इसलिए, बागवानी के अंतर्गत उपलब्ध भूमि का केवल एक प्रतिशत ही एग्रो-फोटोवोल्टिक की स्थापना के लिए ध्यान में रखा गया है।



रसोई में स्वच्छ ईंधन का उपयोग

चरण

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ

I (2024-25 से 2026-27)	II (2027-28 से 2029-30)	III (2030-31 से 2034-35)
<p>परिदृश्य 1: घरेलू बायोगैस + रसोई गैस (LPG)</p> <p>परिदृश्य 2: सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव + रसोई गैस (LPG)</p> <p>परिदृश्य 3: सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव + उन्नत चूल्हे + रसोई गैस (LPG)</p>	<p>परिदृश्य 1: घरेलू बायोगैस + रसोई गैस (LPG)</p> <p>परिदृश्य 2: सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव + रसोई गैस (LPG)</p> <p>परिदृश्य 3: सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव + उन्नत चूल्हे + रसोई गैस (LPG)</p> <p>सभी नए घरों के निर्माण में उन्नत चूल्हे/सौर ऊर्जा संचालित चूल्हे और/या घरेलू बायोगैस संयंत्र शामिल हैं</p>	<p>परिदृश्य 1: घरेलू बायोगैस + रसोई गैस (LPG)</p> <p>परिदृश्य 2: सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव + रसोई गैस (LPG)</p> <p>परिदृश्य 3: सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव + उन्नत चूल्हे + रसोई गैस (LPG)</p> <p>सभी नए घरों के निर्माण में उन्नत चूल्हे/सौर ऊर्जा संचालित चूल्हे और/या घरेलू बायोगैस संयंत्र शामिल हैं</p>

लक्ष्य

<p>परिदृश्य 1: 39 परिवार बायोगैस संयंत्र का उपयोग (25% ऐसे परिवार जिनके पास मवेशी हैं) + 586 रसोई गैस (LPG) का उपयोग</p> <p>परिदृश्य 2: 42 परिवार सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन चूल्हों का उपयोग (शीर्ष आय वर्ग वाले 25% परिवार) + 583 परिवार रसोई गैस (LPG) का उपयोग</p> <p>परिदृश्य 3: 42 परिवार सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन चूल्हों का उपयोग (शीर्ष आय वर्ग वाले 25% परिवार) + 38 परिवार उन्नत चूल्हे का उपयोग (वर्तमान में बायोमास का उपयोग करने वाले 25% परिवार) + 545 परिवार रसोई गैस (LPG) का उपयोग</p> <p>इसमें ग्राम पंचायतों में घरेलू गैस (LPG) का निरंतर उपयोग भी सम्मिलित है</p>	<p>परिदृश्य 1: अतिरिक्त 39 परिवार बायोगैस संयंत्रों का उपयोग (कुलमिलाकर 50% घर) + 547 परिवार रसोई गैस (LPG) का उपयोग</p> <p>परिदृश्य 2: 42 से ज्यादा परिवार सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन चूल्हे का उपयोग (शीर्ष आय वर्ग में अतिरिक्त 25% परिवार)</p> <p>परिदृश्य 3: 42 से ज्यादा परिवार सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन चूल्हे का उपयोग (शीर्ष आय वर्ग वाले अतिरिक्त 25% परिवार) + 38 से ज्यादा परिवार उन्नत चूल्हे का उपयोग (वर्तमान में बायोमास का उपयोग वाले अतिरिक्त 25% परिवार) + 465 परिवार घरेलू गैस (LPG) का उपयोग</p> <p>इसमें ग्राम पंचायतों के शेष घरों में घरेलू गैस (LPG) का उपयोग भी सम्मिलित है</p>	<p>परिदृश्य 1: अतिरिक्त 77 परिवार बायोगैस संयंत्रों का उपयोग (100% ऐसे घर जिनके पास मवेशी हैं) + 470 रसोई गैस (LPG) का उपयोग</p> <p>परिदृश्य 2: 86 से ज्यादा परिवार सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन चूल्हे का उपयोग (शीर्ष आय वर्ग में अतिरिक्त 50% परिवार)</p> <p>परिदृश्य 3: 86 से ज्यादा परिवार सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन चूल्हे का उपयोग (शीर्ष आय वर्ग में 100% परिवार) + 74 परिवार उन्नत चूल्हे का उपयोग (वर्तमान में बायोमास का उपयोग करने वाले 100% परिवार) + 305 परिवार घरेलू गैस (LPG) का उपयोग</p> <p>इसमें ग्राम पंचायतों में घरेलू गैस (LPG) का निरंतर उपयोग भी सम्मिलित है</p>
---	---	--

परिदृश्य 1: बायोगैस संयंत्र के लिए ₹19,50,000 (2 से 3 m³ बायोगैस संयंत्र के लिए ₹ 50,000)

परिदृश्य 2: सोलर इंडक्शन कुकस्टोव के लिए ₹18,90,000

परिदृश्य 3: ₹20,04,000 = सोलर इंडक्शन कुकस्टोव ₹18,90,000 + ₹1,14,000

सभी परिदृश्यों में औसत लागत: ₹19,48,000

परिदृश्य 1: बायोगैस संयंत्र के लिए ₹19,50,000 (2 से 3 m³ बायोगैस संयंत्र के लिए ₹ 50,000)

परिदृश्य 2: सोलर इंडक्शन कुकस्टोव के लिए ₹18,90,000

परिदृश्य 3: ₹20,04,000 = सोलर इंडक्शन कुकस्टोव ₹18,90,000 + ₹1,14,000

सभी परिदृश्यों में औसत लागत: ₹19,48,000

परिदृश्य 1: बायोगैस संयंत्र के लिए ₹38,50,000 (2 से 3 m³ बायोगैस संयंत्र के लिए ₹ 50,000)

परिदृश्य 2: सोलर इंडक्शन कुकस्टोव के लिए ₹38,70,000

परिदृश्य 3: ₹40,92,000 = सोलर इंडक्शन कुकस्टोव के लिए ₹38,70,000 + ₹2,22,000

सभी परिदृश्यों में औसत लागत: ₹39,37,300

ऊर्जा कुशल फिक्चर्स

I
(2024-25 से 2026-27)

- सभी सरकारी/सार्वजनिक/अर्ध-सार्वजनिक भवनों (प्राथमिक विद्यालय, पंचायत भवन, आंगनवाड़ी) में सभी लाइट फिक्चर्स और पंखों को ऊर्जा कुशल फिक्चर्स से बदला जाना।
- सभी घरों में कम से कम एक इंकैंडिसेंट/सीएफएल (CFL) बल्ब को एलईडी (एलईडी) बल्ब से बदला जाना या एक फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट को एलईडी (एलईडी) ट्यूबलाइट से बदला जाना
- निवासियों को अन्य घरेलू उपकरणों को ऊर्जा कुशल उपकरणों (BEE द्वारा 4-5 स्टार रेटेड) में अपग्रेड करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना

II
(2027-28 से 2029-30)

- घरों में सभी इंकैंडिसेंट बल्बों को एलईडी (एलईडी) बल्बों से बदला जाना तथा सभी फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइटों को एलईडी (एलईडी) ट्यूब लाइटों से बदला जाना
- कम से कम एक पारंपरिक पंखे को ऊर्जा कुशल पंखे से बदला जाना
- निवासियों को अन्य घरेलू उपकरणों को ऊर्जा कुशल उपकरणों (BEE द्वारा 4-5 स्टार रेटेड) में अपग्रेड करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना।

III
(2030-31 से 2034-35)

सभी घरों में सभी पंखों को ऊर्जा कुशल पंखों से बदला जाना

लक्ष्य

- सभी सरकारी भवनों में सभी ट्यूब लाइट्स और पंखे (लगभग 14 एलईडी ट्यूब लाइटें और 10 पंखे) बदला जाना
- घरों में 625 एलईडी बल्ब और 625 एलईडी ट्यूब लाइट लगाया जाना⁵⁷ (प्रति घर 1 ऊर्जा कुशल बल्ब और ट्यूब लाइट लगायी गई)

- सभी घरों में 1,875 एलईडी बल्ब और 1,250 ट्यूब लाइटें लगाना (प्रत्येक घर में 3 बल्ब और 2 ट्यूब लाइटें लगायी गईं)
- प्रत्येक घर में 625 ऊर्जा कुशल पंखे लगाना (प्रत्येक घर में एक पंखा बदला गया)

सभी घरों में 1,250 ऊर्जा कुशल पंखे लगाना (प्रत्येक घर में 2 पंखे बदले गए)

अनुमानित लागत

एलईडी बल्ब की लागत: ₹43,750
एलईडी ट्यूब लाइटों की लागत: ₹1,40,580
ऊर्जा कुशल पंखों की लागत: ₹11,100
कुल लागत: ₹1,95,430

एलईडी बल्ब की लागत: ₹1,31,250
एलईडी ट्यूब लाइटों की लागत: ₹2,75,000
ऊर्जा कुशल पंखों की लागत: ₹6,93,750
कुल लागत: ₹11 लाख

ऊर्जा कुशल पंखों की लागत: ₹13,87,500
कुल लागत: ₹13,87,500



सोलर स्ट्रीट लाइट

चरण

I
(2024-25 से 2026-27)

सड़क के किनारे, सार्वजनिक स्थानों और अन्य प्रमुख स्थानों पर 55 सोलर एलईडी स्ट्रीटलाइटें लगाना⁵⁸

II

(2027-28 से 2029-30)

सड़क के किनारे, सार्वजनिक स्थानों और अन्य प्रमुख स्थानों पर 50 सोलर एलईडी स्ट्रीटलाइटें लगाना

III

(2030-31 से 2034-35)

नियमित रखरखाव और आवश्यकतानुसार स्ट्रीट लाइटें लगाना

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ

57 ग्राम प्रधान से प्राप्त जानकारी के आधार पर

58 क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत से प्राप्त इनपुट और ग्राम प्रधान के साथ आगे की चर्चा के आधार पर।

लक्ष्य

1. प्रमुख स्थानों (प्राथमिक विद्यालय, पंचायत भवन, खेल का मैदान, उद्यान, जल निकाय) पर 5 हाई-मास्ट सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाना
2. सड़कों और रास्तों के किनारे 50 सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाना

सड़कों और रास्तों के किनारे 50 सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाना

नियमित रखरखाव और आवश्यकतानुसार स्ट्रीट लाइटें लगाना

अनुमानित लागत

हाई-मास्ट स्ट्रीट लाइटों की लागत: ₹2,50,000
एलईडी स्ट्रीट लाइट्स की लागत: ₹5,00,000
कुल लागत: ₹7.5 लाख

एलईडी स्ट्रीट लाइट्स की लागत: ₹5,00,000
कुल लागत: ₹5 लाख

आवश्यकतानुसार

वर्तमान में संचालित योजनाएं और कार्यक्रम

- उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति, 2022⁵⁹ निम्नलिखित प्रदान करती है:
 - आवासीय क्षेत्र में सोलर लगाने पर सब्सिडी: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा केन्द्रीय वित्तीय सहायता के अतिरिक्त प्रति उपभोक्ता ₹15,000/kW से अधिकतम सीमा ₹30,000/- तक।
 - संस्थानों में स्वयं के द्वारा अथवा संयंत्र की लागत का 3% परामर्श शुल्क के साथ यूपीनेडा (UPNEDA) के परामर्श से RESCO⁶⁰ मोड में सोलर लगाने का प्रावधान।
- ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप प्रोग्राम के माध्यम से एमएनआरई द्वारा केन्द्रीय वित्तीय सहायता
 - 3 किलोवाट क्षमता तक के RTS सिस्टम के लिए 40 प्रतिशत तक सीएफए दिया जाएगा। 3 किलोवाट से अधिक और 10 किलोवाट तक की क्षमता वाले RTS सिस्टम के लिए, 40 प्रतिशत सीएफए केवल पहले 3 किलोवाट की क्षमता के लिए लागू होगा और 3 किलोवाट से अधिक (10 किलोवाट तक) की क्षमता के लिए सीएफए 20 प्रतिशत तक ही होगा।
 - ग्रुप हाउसिंग सोसायटी/आवासीय कल्याण संघों के लिए आम सुविधाओं को बिजली की आपूर्ति के लिए RTS संयंत्र की स्थापना हेतु CFA 20 प्रतिशत तक सीमित रहेगा। सोसायटी/आवासीय कल्याण संघों के लिए सीएफए हेतु पात्र क्षमता प्रति घर 10 किलोवाट तक सीमित होगी तथा कुल 500 किलोवाट से अधिक नहीं होगी।
 - गरीब परिवारों के लिए प्रधानमंत्री-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना⁶¹ के माध्यम से सोलर रूफटॉप लगाया जा सकता है। यह योजना 2 kW के सिस्टम्स के लिए प्रणाली लागत का 60% तथा 2 से 3 kW की क्षमता के बीच के सिस्टम्स के लिए अतिरिक्त प्रणाली लागत का 40% CFA प्रदान करती है। केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) की अधिकतम सीमा 3 किलोवाट होगी। मौजूदा बेंचमार्क कीमतों पर, इसका मतलब होगा कि 1 किलोवाट सिस्टम के लिए 30,000 रुपये की सब्सिडी, 2 किलोवाट सिस्टम के लिए 60,000 रुपये की सब्सिडी और 3 किलोवाट सिस्टम या उससे अधिक के लिए 78,000 रुपये की सब्सिडी।
- प्रधानमंत्री कुसुम योजना निम्नलिखित प्रदान करती है:
 - प्रधानमंत्री कुसुम योजना का घटक A, कृषि भूमि पर 500 किलोवाट और बड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित करने को बढ़ावा देता है।

59 https://invest.up.gov.in/wp-content/uploads/2023/02/Uttar_Pradesh_Solar_Energy_Policy_2022.pdf

60 तृतीय पक्ष (रेस्को मोड) (नवीकरणीय योग्य ऊर्जा आपूर्ति कंपनी)

61 <https://pmsuryaghar.gov.in/>

- » प्रधानमंत्री कुसुम योजना के घटक B और C के अंतर्गत, केंद्र और राज्य सरकार प्रति पंप के आधार पर 30 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान करेगी। किसानों को केवल 10 प्रतिशत की अग्रिम लागत का भुगतान करना होगा और बाकी का भुगतान बैंक को किशतों में किया जा सकता है।
- प्रधानमंत्री कुसुम योजना में उत्तर प्रदेश सरकार का योगदान:
 - » घटक C -1 के अंतर्गत: किसानों को 60 प्रतिशत तक की सब्सिडी (अनुसूचित जनजाति, वनटांगिया और मुसहर जाति के किसानों को 70 प्रतिशत सब्सिडी) के साथ स्थापित ऑन-ग्रिड पंपों का सोलराइजेशन; यह एमएनआरई की प्रधानमंत्री कुसुम योजना के माध्यम से केंद्र सरकार के माध्यम से उपलब्ध सब्सिडी के अतिरिक्त है।
 - » घटक C-2 के अंतर्गत: राज्य सरकार द्वारा पृथक कृषि फीडरों का सोलराइजेशन, एमएनआरई की प्रधानमंत्री कुसुम योजना के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सब्सिडी के अलावा प्रति मेगावाट ₹ 50 लाख की व्यवहार्यता अंतर निधि (वीजीएफ) प्रदान करना
- ग्राम पंचायतों में एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग की योजनाएं:⁶²
 - » ईईएसएल पारंपरिक स्ट्रीट लाइटों को अपनी स्वयं की लागत पर एलईडी स्ट्रीट लाइटों से बदलता है और 7 वर्षों तक एलईडी बल्बों का मुफ्त प्रतिस्थापन और रखरखाव करता है।
 - » अटल ज्योति योजना और एमएनआरई सोलर स्ट्रीटलाइट कार्यक्रम 12 वाट की एलईडी और 3 दिनों की बैटरी बैक-अप के साथ सोलर स्ट्रीट लाइटों को लगाने हेतु सब्सिडी प्रदान करते हैं।
- ग्राम उजाला योजना:⁶³
 - » 10 ₹. प्रति बल्ब की कम कीमत पर एलईडी बल्ब उपलब्ध हैं।
 - » ग्रामीण ग्राहकों को काम कर रहे इंकैंडिसेंट बल्बों के बदले में तीन साल की वारंटी के साथ 7-वाट और 12-वाट के एलईडी बल्ब दिए जाएंगे।
- कोल्ड स्टोरेज स्थापित करने के लिए सब्सिडी
 - » परियोजना लागत का 35% क्रेडिट लिंक्ड बैंक एंडेड सब्सिडी के रूप में सरकारी सहायता 2 योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध है:
 - a. कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग (डीएसी एंड एफडब्ल्यू) एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) कार्यान्वित कर रहा है।
 - b. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) बागवानी के उत्पादों के लिए कोल्ड स्टोरेज और स्टोरेज के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पूंजीगत निवेश सब्सिडी "नामक योजना कार्यान्वित कर रहा है
 - » प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना के अंतर्गत, एकीकृत कोल्ड चेन⁶⁴, मूल्य संवर्धन और संरक्षण अवसंरचना पर घटक 35 प्रतिशत की दर से अनुदान-सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है जिसे गैर-बागवानी, बागवानी, डेयरी, मांस और पोल्ट्री के वितरण की सुविधा के लिए संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला के साथ बुनियादी ढांचे की सुविधा के निर्माण हेतु प्राप्त किया जा सकता है। यह योजना कृषि स्तर पर कोल्ड चेन के बुनियादी ढांचे के निर्माण पर विशेष जोर देने के साथ-साथ परियोजना नियोजन में लचीलेपन की अनुमति देती है।
- ईईएसएल ने कार्बन फाइनेंसिंग का लाभ उठाकर सौर ऊर्जा आधारित इंडक्शन कुकिंग समाधान हेतु बाजार आधारित हस्तक्षेपों को प्रारम्भ करने की योजना बनाई है
- 15वें वित्त आयोग और स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (एसबीएम-जी) के अंतर्गत गोबरधन (गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज धन) योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से धन का लाभ उठाना।

62 ईईएसएल द्वारा स्ट्रीट लाइटिंग राष्ट्रीय कार्यक्रम। <https://EESLindia.org/en/oursInp/>

63 ग्राम उजाला योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में एक करोड़ एलईडी बल्ब वितरित किए (फरवरी 2023), पीआईबी

64 अर्थात्. फार्म स्तर पर प्री-कूलिंग, वजन, छंटाई, ग्रेडिंग, वैक्सिंग सुविधाएं, बहु उत्पाद/बहु तापमान कोल्ड स्टोरेज, सीए भंडारण, पैकिंग सुविधा, आईक्यूएफ, वितरण केंद्र और रीफर वैन में ब्लास्ट फ्रीजिंग, मोबाइल कूलिंग इकाइयां

- » एसबीएम-जी के अंतर्गत गोबरधन योजना 2020-21 से 2024-25 की अवधि के लिए क्लस्टर/सामुदायिक स्तर के बायोगैस संयंत्रों की स्थापना हेतु प्रति जिला ₹ 50.00 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है⁶⁵।
- यूपी जैव-ऊर्जा नीति 2022⁶⁶ सरकार से उपलब्ध प्रोत्साहनों के अतिरिक्त गोबरधन योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा सीबीजी संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है:
 - १- कंप्रेसड बायोगैस (सीबीजी) उत्पादन संयंत्र स्थापित करने पर ₹75 लाख/टन से लेकर अधिकतम ₹20 करोड़ तक का प्रोत्साहन।
 - २- विकास प्राधिकरणों द्वारा लगाए गए विकास शुल्क पर छूट।
 - ३- 100% स्टाम्प शुल्क और विद्वत शुल्क से छूट।
- एमएनआरई ने राष्ट्रीय जैव-ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत अपशिष्ट से ऊर्जा (डब्ल्यूटीई) कार्यक्रम लागू किया:
 - १- कार्यक्रम शहरी, औद्योगिक और कृषि अपशिष्ट से बायोगैस उत्पादन के लिए संयंत्रों की स्थापना का समर्थन करता है।
 - २- बायोगैस उत्पादन के लिए उपलब्ध वित्तीय सहायता ₹0.25 करोड़ प्रति 12000 घन मीटर/दिन है।⁶⁷

वित्त के अन्य स्रोत

- सोलर रूफटॉप, सोलर पंप आदि की खरीद हेतु ऋण के लिए स्थानीय बैंकों, सूक्ष्म वित्त संस्थानों और सहकारी बैंकों के साथ साझेदारी करना
- एग्रो-फोटोवोल्टिक के लिए सोलर डेवलपर्स के साथ साझेदारी करने का प्रयास करना
- सीएसआर निधियों का उपयोग निम्नलिखित के लिया जा सकता है:
 - » सूक्ष्म-वित्त संस्थानों द्वारा दी जाने वाली निधि के समान परिक्रामी निधि मॉडल के माध्यम से योजना/कार्यक्रम सब्सिडी के अतिरिक्त सोलर रूफटॉप/एग्रो-फोटोवोल्टिक्स/सोलर पंप की स्थापना हेतु पूंजीगत लागत को कवर करना
 - » ग्राम पंचायत में अपनाई गई विभिन्न स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के लिए ग्राम समुदाय के सदस्यों/ स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को» संचालन एवं रखरखाव « का प्रशिक्षण प्रदान करना
 - » रूफटॉप सोलर (उत्तर प्रदेश सौर नीति, 2022) और सौर सिंचाई (प्रधानमंत्री-कुसुम, उत्तर प्रदेश सौर सिंचाई योजना) को बढ़ावा देने वाली वर्तमान सरकारी योजनाओं/ कार्यक्रमों पर जागरूकता अभियान का आयोजन करना

प्रमुख विभाग

- उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (UPNEDA)
- उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL)
- मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
- पंचायती राज विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग
- कृषि विभाग
- शिक्षा विभाग

65 <https://pib.gov.in/PressReleaseFramePage.aspx?PRID=1883926>

66 <https://invest.up.gov.in/bio-energy-enterprises-promotion-programme-2022/>

67 <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1896067>

6

सतत और उन्नत गतिशीलता



संदर्भ एवं मुद्दे

- अशोका में कुल 655 आंतरिक दहन इंजन (आईसीई) वाले वाहन हैं; 500 दोपहिया वाहन, 30 कार, 100 ट्रैक्टर और 25 ऑटो-रिक्शा।⁶⁸
- इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायत में 15 ई-रिक्शा हैं।
- कृषि उपज/माल के परिवहन के लिए किसानों द्वारा छोटे हाथी (मिनी ट्रक) या ट्रैक्टर का उपयोग किया जाता है। जिन किसानों के पास ऐसे वाहन नहीं हैं, वे पड़ोसी किसानों से इन्हें किराये पर लेते हैं।⁶⁹
- आईसीई वाहनों द्वारा कुल ईंधन की खपत ~182 किलो लीटर (kL) डीजल और ~147 किलोलीटर पेट्रोल प्रति वर्ष है। कुल मिलाकर, परिवहन क्षेत्र में खपत होने वाले ईंधन के कारण ~837 tCO₂e का उत्सर्जन हुआ है।⁷⁰
- इसके अतिरिक्त, क्षेत्र सर्वेक्षण से पता चलता है कि ग्राम पंचायत के अंदर और बाहर सड़कों के कई हिस्से जलभराव से प्रभावित हैं और उन्हें ऊंचा करने की आवश्यकता है

इसलिए, परिवहन अवसंरचना को बेहतर बनाने और ई-मोबिलिटी समाधानों की ओर बदलाव की पहल करने की काफी गुंजाइश है।

मौजूदा सड़क के बुनियादी ढांचे को बेतहर करना

चरण	I (2024-25 से 2026-27)	II (2027-28 से 2029-30)	III (2030-31 से 2034-35)
सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ	मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली सड़क के जलमग्न होने की समस्या के समाधान के लिए सड़क का ऊंचीकरण कार्य	सड़क के बुनियादी ढांचे का नियमित रखरखाव और आवश्यकता पड़ने पर मरम्मत	सड़क के बुनियादी ढांचे का नियमित रखरखाव और आवश्यकता पड़ने पर मरम्मत

68 क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त इनपुट के आधार पर

69 क्षेत्र सर्वेक्षण और ग्राम प्रधान के साथ चर्चा के दौरान समुदाय से मिले इनपुट के आधार पर

70 क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान समुदाय से प्राप्त इनपुट पर आधारित

लक्ष्य	कुल 1 किमी लंबी सड़क को उंचा करना ⁷¹	सभी सड़कों का नियमित रखरखाव और मरम्मत	सभी सड़कों का नियमित रखरखाव और मरम्मत
	सड़क को उंचा करने की लागत: ₹10,00,000 कुल लागत: ₹10 लाख	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार



ई-वाहन और ई-ट्रैक्टर

चरण	I (2024-25 से 2026-27)	II (2027-28 से 2029-30)	III (2030-31 से 2034-35)
	सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> डीजल ट्रैक्टरों और माल परिवहक वाहनों के इलेक्ट्रिक विकल्प को बढ़ावा देना उपयोगकर्ता समूहों (किसानों/लॉजिस्टिक्स मालिकों/उद्यमियों) को आंतरिक दहन इंजन (ICE) वाहनों की तुलना में ई-वाहनों के दीर्घकालिक लाभों के प्रति जागरूक करना ई-ट्रैक्टर और ई-माल वाहनों को किराए पर लेने की सुविधा उपलब्ध कराना 	आंतरिक दहन इंजन (ICE) वाहनों की तुलना में ई-वाहनों के दीर्घकालिक लाभों के साथ-साथ उनके लाभ के लिए उपलब्ध योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रति विभिन्न उपयोगकर्ता समूहों को जागरूक करना जारी रखना।
लक्ष्य	कुल 5 ई-ट्रैक्टर और 5 ई-माल वाहक खरीदा जाना	आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त ई-वाहन और ई-ट्रैक्टर खरीदा जाना	आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त ई-वाहन और ई-ट्रैक्टर खरीदा जाना

71 विवरण के लिए एचआरवीसीए देखें

अनुमानित लागत

<p>5 ई-ट्रैक्टरों की कुल लागत ~₹30,00,000 है</p> <p>5 ई-व्यवसायिक वाहनों की कुल लागत: ₹25,00,00 – ₹50,00,000</p> <p>कुल लागत: ₹55 लाख – ₹80 लाख</p>	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार
---	---------------	---------------



मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाना

चरण

	I (2024-25 से 2026-27)	II (2027-28 से 2029-30)	III (2030-31 से 2034-35)
सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ	ग्राम पंचायत में ऑटोरिक्षा को ई-ऑटोरिक्षा से बदलना	ग्राम पंचायत में ऑटोरिक्षा को ई-ऑटोरिक्षा से बदलना	मांग के आधार पर और अधिक ई-ऑटोरिक्षा खरीदा जाना

लक्ष्य

15 ऑटो-रिक्षा को ई-ऑटोरिक्षा से बदलें	10 ऑटो-रिक्षा को ई-ऑटोरिक्षा से बदलें	आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त ई-ऑटोरिक्षा खरीदा जाना
---------------------------------------	---------------------------------------	---

अनुमानित लागत

<p>एक ई-ऑटोरिक्षा की कीमत⁷²: लगभग ₹3,00,000</p> <p>» उपलब्ध सब्सिडी: ₹12,000 प्रति वाहन तक</p> <p>» 15 ई-ऑटोरिक्षा की प्रभावी लागत: ₹43,20,000</p> <p>जीएचजी उत्सर्जन में कमी: ~45 t CO₂e⁷³</p>	<p>एक ई-ऑटोरिक्षा की कीमत: लगभग ₹3,00,000</p> <p>» उपलब्ध सब्सिडी: ₹12,000 प्रति वाहन तक</p> <p>» 10 ई-ऑटोरिक्षा की प्रभावी लागत: ₹28,80,000</p>	आवश्यकतानुसार
--	--	---------------

72 ई-ऑटोरिक्षा की कीमत ₹1,50,000 से ₹4,00,000 या इससे भी अधिक होती है, जो कॉन्फिगरेशन, बैटरी के प्रकार आदि पर निर्भर करती है। ई-ऑटोरिक्षा की कीमत प्राइस बैंड के मध्य में मानी जाती है, जिसमें मुख्य रूप से परोपकारी संस्थाओं और अन्य फंडिंग एजेंसियों से संभावित सब्सिडी/अनुदान, प्रारंभिक पूंजी/व्यवहार्यता अंतर निधि को ध्यान में रखा जाता है।

73 समुदाय से मिले इनपुट के आधार पर प्रति ऑटो 3.00 tCO₂e अनुमानित GHG उत्सर्जन से बचा गया। डीजल ऑटोरिक्षा को ई-ऑटोरिक्षा से बदलने से यह उत्सर्जन कम हो जाएगा और ग्राम पंचायत को कार्बन तटस्थ या यहां तक कि कार्बन नेगेटिव बनने में योगदान मिलेगा।

वर्तमान में संचालित योजनाएं और कार्यक्रम

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और एमजीएनआरईजीएस की सहायता से सड़क के बुनियादी ढांचे की मरम्मत की जा सकती है और उसे बेहतर बनाया जा सकता है
- उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और गतिशीलता नीति, 2022 निम्नलिखित प्रदान करती है
 - » खरीदारों के लिए 100% पंजीकरण शुल्क और रोड टैक्स में छूट (पॉलिसी अवधि के दौरान)
 - » 1 वर्ष की अवधि में डीलरों के माध्यम से खरीदारों (एक बार) को शुरुआती प्रोत्साहन⁷⁴ के रूप में खरीद सब्सिडी - ई-माल वाहक: प्रति वाहन ₹ 1,00,000 तक पूर्व-फैक्ट्री लागत का 10 प्रतिशत; 2-व्हीलर ई-वाहन: प्रति वाहन ₹5000 तक पूर्व-फैक्ट्री लागत का 15 प्रतिशत; 3-व्हीलर ई-वाहन: प्रति वाहन ₹12,000 तक पूर्व-फैक्ट्री लागत का 15 प्रतिशत
- भारत चरण II (FAME II) योजना में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और विनिर्माण के अंतर्गत ई-रिक्शा के लिए सब्सिडी का लाभ भी उठाया जा सकता है।

वित्त के अन्य स्रोत

- ग्राम पंचायत का रिसोर्स एनवलप और स्वयं की आय के स्रोत (ओएसआर)।
- कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) समर्थन के साथ बैंकों और सूक्ष्म-वित्त संस्थानों से ऋण।

प्रमुख विभाग

- अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास विभाग
- परिवहन विभाग
- पंचायती राज विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग
- उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (UPNEDA)

74 सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी, लाभार्थियों की मात्रा और संख्या दोनों के संदर्भ में समय-समय पर बदलती रहती है। इसलिए, इस योजना के किसी भी अनुभाग में बताया गई सब्सिडी केवल सांकेतिक है, और खरीद के समय इसकी पुष्टि की जानी आवश्यक है।

7

आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना



संदर्भ एवं मुद्दे

कृषि और पशुपालन ग्राम पंचायत का मुख्य आधार है और 50% से अधिक परिवार इन गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। दोनों ही क्षेत्र, विशेष रूप से बदलती जलवायु और पशुपालन और उद्योग गतिविधियों में मौजूदा अस्थायी उत्पादन गतिविधियों के कारण आजीविका संबंधी असुरक्षाओं से भरे हुए हैं। इसलिए, आबादी के एक बड़े हिस्से की आजीविका अनिश्चित है। ग्राम पंचायत में आय के अन्य प्रमुख स्रोत कृषि आधारित या स्थानीय व्यवसाय/दुकानें चलाना हैं। पिछले 5 वर्षों में लगभग 180 लोग बेहतर आजीविका की तलाश में ग्राम पंचायत से पलायन कर गए हैं। यह प्रवृत्ति अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में देखी जाती है।

वर्तमान में, बतायी गई गतिविधियों के अतिरिक्त ग्राम पंचायत में नौकरियों के अवसर सीमित हैं। इस कार्ययोजना में बतायी गई गतिविधियां आने वाले वर्षों में नए व्यवसायों और नौकरी के अवसरों के लिए दिशा प्रदान करती हैं। इनका विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

सतत उत्पादों के निर्माण में पूर्व से गठित एवं सक्रिय स्वयं सहायता समूहों को जोड़ना

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ

1. सतत उत्पादों (बैग, घर की सजावट की सामग्री, कटलरी, स्टेशनरी के आइटम, फर्नीचर, आदि) के निर्माण के लिए महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों को जोड़ना।
2. निम्नलिखित के लिए क्षमता विकास:
 - » उत्पाद श्रृंखला का विविधीकरण
 - » ग्राम पंचायत के भीतर और बाहर उत्पादों का विपणन/बिक्री

निम्नलिखित की प्रारंभिक भागीदारी:

- a. 100 महिलाएं
- b. 17 स्वयं सहायता समूहों (वर्तमान में सिलाई संबंधी गतिविधियों में शामिल)
- c. ग्राम पंचायत में उगाए जाने वाले बांस जैसे स्थानीय रूप से उपलब्ध कच्चे माल का उपयोग करना

इस ग्राम पंचायत और आस-पास के गांवों से दीर्घकालिक जुड़ाव:

- a. अतिरिक्त 200 महिलाएं
- b. अतिरिक्त एसएचजी, एमएसएमई और व्यक्तिगत उद्यमी

लक्ष्य



जैविक कचरे से खाद बनाना एवं उसे उर्वरक के रूप में बेचना

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ

1. खाद बनाने और बेचने के लिए पंचायत, समुदाय के सदस्यों और किसान समूहों के बीच साझेदारी मॉडल
2. समुदाय के सदस्यों और किसान समूहों का क्षमता विकास:
 - a. कम्पोस्टिंग और वर्मिकम्पोस्टिंग की तकनीक
 - b. ग्राम पंचायत के भीतर और बाहर खाद का विपणन और बिक्री

तत्काल लक्ष्य:

घरेलू कचरे (जैविक) से उत्पादित खाद: 260 किलोग्राम प्रतिदिन; 7,800 किलोग्राम प्रति माह (वर्तमान अपशिष्ट उत्पादन के अनुसार)

दीर्घकालिक लक्ष्य:

जैविक अपशिष्ट उत्पादन के अनुसार खाद के उत्पादन को बढ़ाना (जनसंख्या वृद्धि के आधार पर)

लक्ष्य



सतत जलीय कृषि

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ

1. सतत जलीय कृषि को बढ़ावा देना
2. सतत जलीय कृषि पद्धतियों को अपनाने हेतु किसानों/स्वयं सहायता समूहों/ किसान उत्पादक संगठन की क्षमता वृद्धि

तत्काल लक्ष्य:

मौजूदा 4 तालाबों के साथ सतत जलीय कृषि अभ्यासों को बढ़ावा देना

दीर्घकालिक लक्ष्य:

बचे हुए तालाबों के साथ सतत जलीय कृषि अभ्यासों का विस्तार

लक्ष्य



ई-माल वाहक और ई-ट्रैक्टरों को किराए पर लेने की सुविधा

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ

1. ई-माल वाहक और ई-ट्रैक्टरों को व्यवसायिक रूप से किराए पर लेना (किराये के आधार पर) उत्तर प्रदेश इलैक्ट्रिक वाहन नीति 2022 और फेम-इंडिया स्कीम चरण- II के अंतर्गत प्रोत्साहन के माध्यम से हरित उद्यमिता के अवसर प्रस्तुत करता है।
2. ई-ट्रैक्टरों एवं ई-माल वाहकों के उपयोग के प्रति उपयोगकर्ता समूहों (किसानों/लॉजिस्टिक स्वामियों) को संवेदनशील बनाना

तत्काल लक्ष्य:

1. 2 या 3 ई-ट्रैक्टर (अनुमानित लागत: ₹6 लाख प्रति ई-ट्रैक्टर)
2. 2 या 3 इलैक्ट्रिक वाहन मिनी माल परिवहक ट्रक (मिनी माल EV परिवहक ट्रक की अनुमानित लागत: लगभग ₹9.2 लाख)

मध्यावधि लक्ष्य:

2/3 ई-ट्रैक्टर, 2/3 इलैक्ट्रिक वाहन मिनी माल परिवहक ट्रकों की अतिरिक्त खरीद (नोट: यह माना जाता है कि अशोका में आमतौर पर 35 HP ई-ट्रैक्टरों की आवश्यकता होती है, जिसकी कीमत लगभग ₹6 लाख है)

लक्ष्य



सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज के उपयोग के माध्यम से आजीविका को बेहतर बनाना

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ

1. फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए छोटे और मध्यम किसानों (ग्राम पंचायत और आसपास के गांवों के भीतर) को सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज में जगह किराए पर देकर उद्यमिता के अवसर
2. फलों, सब्जियों, दूध और दूध उत्पादों के भंडारण के लिए उद्यमियों, किसान समूहों, सहकारी समितियों (जैसे पारस) और अन्य संस्थागत खरीदारों के बीच बिजनेस/व्यवसाय मॉडल/टाई-अप

5 से 10 मीट्रिक टन क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज की स्थापना (सब्जियों और फलों/और/या दूध उत्पादों के उत्पादन के आधार पर टन)

(सब्जियों की खेती और 900 से अधिक मवेशियों की डेयरी के अंतर्गत ~10 हेक्टेयर सकल फसल का क्षेत्रफल) लागत: लगभग ₹8,00,000 से ₹15,00,000

लक्ष्य



प्राकृतिक औषधियों और पूरकों के उत्पादन और बिक्री के लिए आरोग्य वन

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ

1. प्राकृतिक औषधियों और पूरकों के उत्पादन के लिए आरोग्य वन के विकास और रखरखाव के माध्यम से समुदायों के लिए आजीविका उत्पन्न करना
2. कौशल विकास और प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौधा संस्थान, लखनऊ के साथ साझेदारी करना

लगभग 0.2 हेक्टेयर भूमि को आरोग्य वन के रूप में स्थापित किया जाना



नर्सरी की स्थापना

1. स्वयं सहायता समूहों को नियोजित करके ग्राम पंचायत के लिए नर्सरी की स्थापना के माध्यम से आजीविका उत्पन्न करना
2. नर्सरी का रखरखाव करने एवं उसे चलाने के लिए स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षित करना

नर्सरी के निर्माण और संचालन की लागत: ₹10,00,000



विभिन्न नवीकरणीय उर्जा प्रतिष्ठानों की स्थापना (सोलर और बायो-गैस) का क्रियान्वयन एवं प्रबंधन (O&M)

नवीकरणीय ऊर्जा के रखरखाव पर कौशल विकास के लिए समुदाय के सदस्यों विशेष रूप से स्नातकों, युवा समूहों और किसान समूहों का प्रशिक्षण और क्षमता विकास

सीएसआर के समर्थन से, ग्राम पंचायत के भीतर सोलर और बायो-गैस और O&M व्यवसायों की स्थापना में केंद्र और राज्य सरकार की अपस्किлинг योजनाएं

वित्त पोषण एवं कौशल विकास

- हरित उद्यमिता और आजीविका का समर्थन करने के लिए बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों को संवेदनशील बनाना (विभिन्न क्रेडिट योजनाओं, साझेदारी/राजस्व मॉडल के माध्यम से); सरकारी ऋण योजनाएँ जैसे मुद्रा ऋण, स्त्री शक्ति योजना, आदि महिला उद्यमियों की सहायता कर सकती हैं।
- सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों जैसे: मेक इन इंडिया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा संचालित उद्यमी विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन और अटल इनोवेशन मिशन का समर्थन करके आवश्यक कौशल विकास प्रदान किया जाना।

इस अनुभाग में ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त विचार के लिए संभावित संस्तुतियों की एक सूची दी गई है। इन संस्तुतियों को भारत के विभिन्न हिस्सों और भौगोलिक क्षेत्रों में सफलतापूर्वक लागू किया गया है जिनमें उत्तर प्रदेश के साथ बहुत समानताएं हो सकती हैं।

इन्हें मुख्य अनुशंसाओं में शामिल न करने का कारण यह है कि यह संस्तुतियां/परियोजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार की किसी भी वर्तमान योजना या कार्यक्रम या केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के दायरे में नहीं आती हैं। इसलिए इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन वैकल्पिक वित्तपोषण विकल्पों, जैसे स्व-वित्तपोषण, CSR या ऐसे अन्य स्रोतों के माध्यम से करना होगा।

यदि यह परियोजनाएं लागू की जाती हैं, तो इनके माध्यम से समुदायों की अनुकूली क्षमताओं को और मजबूत करने की संभावना हो सकती है एवं इनके परिणामस्वरूप आजीविका में वृद्धि भी हो सकती है।

1. सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज इकाई (एफपीओ, एसएचजी व किसान):

- फसल कटाई के बाद की दक्षता बढ़ाने और नुकसान को कम करने के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाली कोल्ड स्टोरेज इकाई हैं।
- यह किसानों को संकटपूर्ण बिक्री से बचने में मदद करता है और किसानों की आय में सुधार करता है।

ये गतिविधियाये "आजीविका और उद्यमिता को बढ़ाना" अनुभाग में चर्चा की गई पहलों को मजबूत करने में सहायता करेगी

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण : 75,76,77:

- हैदराबाद, तेलंगाना में कट्टनगुर फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड।
- घुम्मर किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) राजस्थान के पाली जिले की बाली तहसील के नाना गांव में स्थित है।

2. सौर निष्क्रिय डिजाइन और निष्क्रिय शीतलन:

नए निर्माण और रेट्रोफिटिंग के लिए (जहां भी संभव हो): ऊर्जा की मांग को कम करने और ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए आवासीय घरों और प्रशासनिक भवनों में टिकाऊ डिजाइन के साथ स्थानीय और पारंपरिक सामग्री को बढ़ावा देना चाहिए:

- घरों में सौर ज्यामिति के अनुसार भवन का अभिविन्यास करना चाहिए।
- घरों में प्राकृतिक वायु का कुशल संचलन होना चाहिए।
- घरों में सौर चिमनी के साथ पवन टॉवर का उपयोग करना चाहिए।
- घरों में प्राकृतिक प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए (पारंपरिक प्रकाश यानी बिजली से चलने वाले बल्ब, ट्युबलाइट आदि को कम करना)।
- घरों में ऊर्जा संरक्षण गतिविधियाँ करनी चाहिए।
- घरों में जल निकाय और डिजाइन किए गए परिदृश्य (वृक्षारोपण/बागवानी) करना चाहिए।

यह गतिविधि "स्वच्छ, सतत, किफायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच" अनुभाग में चर्चित पहलों को मजबूत करेगी।

75 https://selcofoundation.org/wp-content/uploads/2023/08/Compendium_Updated_20230922.pdf

76 <https://www.opportunityindia.com/article/empowering-women-fpo-through-solar-power-ghummar-fpo-34521>

77 <https://www.ecozensolutions.com/ecofrost/fpos-leverage-agri-infra-funds-for-ecofrost.html>

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

राजकुमारी रत्नावती बालिका विद्यालय⁷⁸ का धार रेगिस्तान, राजस्थान में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली 400 से अधिक लड़कियों के लिए निर्माण किया गया है: जिसमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित उपायों का उपयोग किया गया है :

- थर्मल आराम को अधिकतम करने के लिए बिल्डिंग ओरिएंटेशन पर ध्यान दिया गया है।
- प्रकाश और पंखे चलाने के लिए स्कूल के छतों पर सौर पैनल लगाये गए हैं।
- सोलर पैनल कैनोपी और स्क्रीन स्कूल के कमरों में ज्यादा गर्मी होने से बचाते हैं।
- छत का अण्डाकार आकार शीतलता (वायुप्रवाह) उत्पन्न करता है।
- इमारत की दीवारें हवा के प्रवाह को बढ़ाने में मदद करती हैं और धूप व रेत को स्कूल के कमरों में आने से रोकती हैं।
- निर्माण के लिए स्थानीय सामग्री का उपयोग किया गया है।

सोलर पैसिव कॉम्प्लेक्स, पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी (PEDA), चंडीगढ़⁷⁹:

- भवन में एकीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र से 25 किलोवाट की बिजली का उत्पादन किया जाता है।
- सौर ज्यामिति के अनुसार अभिविन्यास किया गए हैं।
- भवन की छत (डिज़ाइन+सामग्री) गर्मी से रहत देने के उद्देश्य से बनाई गई।
- सौर ऊर्जा से कमरों में एयर कंडीशनर और प्रकाश की जरूरत को पूरा किया जाता है (उदाहरण के लिए, लाइट वॉल्ट, सौर चिमनी के साथ पवन टॉवर)।
- शीतलन और वायु शोधन के लिए छोटे तालाब और वृक्षारोपण (पेड़, झाड़ियाँ और घास)।

3. सौर ऊर्जा संचालित RO जल शोधन प्रणाली/ जल एटीएम कियोस्क का निर्माण:

सौर-आधारित आरओ (RO) जल शोधन प्रणाली स्वच्छ पेयजल की समस्या के लिए एक सतत और लागत प्रभावी समाधान प्रदान करती है। यह पानी के पुनः उपयोग को बढ़ावा देते हुए समुदाय को सुरक्षित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करता है। पेयजल की गुणवत्ता की समस्या से जूझ रही ग्राम पंचायत के लिए यह पहल लाभदायक हो सकती है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

हिवरा लाहे गांव, जिला-वाशिम, राज्य-महाराष्ट्र⁸⁰:

- सीएसआर समर्थन से सौर ऊर्जा संचालित जल शोधन प्रणाली/ जल एटीएम कियोस्क (समुदाय आधारित) को स्थापित किया गया।
- समुदाय की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार देखा गया।
- प्रणाली के संचालन और प्रबंधन के लिए ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति को सक्षम बनाया गया।
- इसी तरह की पहल गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान आदि राज्यों में भी की गई है।

78 <https://www.avontuura.com/rajkumari-ratnavati-girls-school-diana-kellogg-architects>

79 <https://peda.gov.in/solar-passive-complex>

80 <https://yraindia.org/wp-content/uploads/2019/12/RO-plant-Success-story-in-Village-Hiwara-HDB-project.pdf>

4. सौर ऊर्जा संचालित पशु शेड का निर्माण:

पशु शेड मवेशियों को तीव्र गर्मी और शीतलहर से बचाने के लिए सौर ऊर्जा संचालित अनुकूल उपाय हैं। इस पहल में पशु शेड की छतों पर सौर ऊर्जा पैनल लगाकर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का शमन करने में सहायक हैं। यह सौर ऊर्जा संचालित पशु शेड बिजली की मांग को भी पूर्ति कर सकते हैं। यह ऊर्जा की मांग में कमी और निष्क्रिय शीतलन और वेंटिलेशन प्रदान करने में सहायक हैं, इसके अलावा पशु शेड अन्य ऊर्जा की जरूरत को पूरा करता है जैसे की चारे की तैयारी और शेड में संचालन करने में ऊर्जा की जरूरत। अतिरिक्त उत्पादित बिजली को ग्रिड में डाला जा सकता है जिससे किसानों को अतिरिक्त आय उत्पन्न करने का स्रोत मिल सकता है।

इस तरह के पशु शेड बायोगैस उत्पादन और पशु अपशिष्ट (गोबर) से उर्वरक तैयार करने में भी मदद करेंगे। ये पशु शेड उचित पृथक और पशुओं को सुरक्षित स्थान प्रदान करके पशुओं में फैलने वाले रोगों के संचरण को कम करने में भी मदद कर सकते हैं।

यह गतिविधि संस्क्रुतियों के " सतत कृषि" खंड में सतत पशुधन प्रबंधन सुझावों को मजबूत कर सकती है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

जिले: लुधियाना, बठिंडा और तरनतारन, पंजाब^{81,82}

- यह परियोजना 3 जिलों में 1-2 हेक्टेयर भूमि और 5-15 डेयरी पशुओं वाले छोटे और सीमांत किसानों के 3000 परिवारों के लिए कार्यान्वित की गई
- पशु शेडों जलवायु को सुरक्षित करने और छोटे और सीमांत पशुधन किसानों की स्थायी आजीविका को बढ़ावा देते हैं

निर्मल गुजरात अभियान⁸³

- गुजरात के हिममतनगर में पशु छात्रावास गांवों को साफ रखने में मदद करते हैं।
- ऐसे पशु आश्रय स्थल (पशु छात्रावास) में बायोगैस और वर्मिकम्पोस्ट उत्पन्न करने के लिए गोबर एकत्र करने में भी प्रभावी हैं। इसके अतिरिक्त ग्राम कल्याण के लिए धन जुटाने के लिए वर्मिकम्पोस्ट बेचा जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, एक "अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी)⁸⁴" के तहत पशु शेड सब्सिडी योजना है, जिसे गुजरात सरकार के पशुपालन, कृषि, किसान कल्याण और सहयोग विभाग निर्देशालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इस योजना के तहत, अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को 2 जानवरों के लिए मवेशी शेड के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता (या तो ₹30,000/- या मवेशी शेड की लागत का 50%, जो भी कम हो) दी जाती है।

5. कूल रूफ/ठंडी छतें

घरों, सार्वजनिक इमारतों और सरकारी भवनों की छतों को सौर-परावर्तक पेंट से रंगना।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

जोधपुर, भोपाल, सूरत और अहमदाबाद में झुग्गी-झोपड़ी वाले घर⁸⁵

- स्थानीय सामुदायिक कार्यकर्ताओं ने परिवारों को अपनी खुद की ठंडी छत को पेंट करने के लिए प्रशिक्षित किया।
- प्रदर्शन आउटरीच: 460 से अधिक छतें में पेंट किया गया।

81 <https://pscst.punjab.gov.in/en/climate-resilient-livestock-production-system>

82 <https://moef.gov.in/wp-content/uploads/2017/08/Punjab.pdf>

83 <https://jayshaktiengg.com/gujarat-government-launches-solar-scheme-for-farmers/>

84 <https://www.myscheme.gov.in/schemes/cssscscpscc>

85 <https://www.nrdc.org/bio/anjali-jaiswal/cool-roofs-community-led-initiatives-four-indian-cities>

- पारंपरिक छतों की तुलना में घर के अंदर का तापमान 2 - 5°C कम पाया गया ।

यह गतिविधि "स्वच्छ, सतत, किफायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच" अनुभाग से जुड़ी है।

6. चारे की संपूरक के उपयोग से मवेशियों से मीथेन उत्सर्जन को कम करना :

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) 12-राष्ट्रीय पशु पोषण और फिजियोलॉजी संस्थान ने पशुधन से मीथेन उत्सर्जन को कम करने में मदद के लिए फ्रीड सप्लीमेंट (हरित धारा और टैमरिन प्लस) विकसित किए हैं।

यह गतिविधि "सतत कृषि" अनुभाग से जुड़ी है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

- इन संपूरकों के उपयोग से आंत्रिय मीथेन उत्सर्जन में 17-20% तक कम हो सकता है⁸⁶।
- आईसीएआर की रिपोर्ट के अनुसार इन पूरक आहार की कीमत ₹6 प्रति किलोग्राम है।

7. सौर ऊर्जा संचालित ऊर्ध्वार चारा उगाने वाली इकाइयों (घरेलू स्तर/ सामुदायिक स्तर) का निर्माण:

सौर ऊर्जा से संचालित, माइक्रोक्लाइमेट-नियंत्रित, ऊर्ध्वार चारा उगाने वाली इकाई उपयोगकर्ताओं को प्रतिदिन एक बाल्टी से भी कम पानी के साथ ताजा चारा काटने में सक्षम बनाती है। ऐसी इकाइयाँ सूखे की स्थिति में भी पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगी।

यह गतिविधि "सतत कृषि" अनुभाग से जुड़ा है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और बिहार राज्यों में ⁸⁷

- चारा उत्पादक इकाइयों को अपनाने से पशुधन के लिए हरे चारे की उपलब्धता में वृद्धि।
- इससे किसानों की आय में वृद्धि होती है।

8. पंचायत स्तरीय जल बजटिंग

जलवायु-अनुकूल कृषि-आधारित आजीविका के लिए जल प्रबंधन और 'जल बजटिंग'

- वार्षिक/त्रैमासिक जल बजट की गणना।
- ग्राम स्तर पर "जल की कमी" और "जल अधिशेष" की गणना।
- पानी की उपलब्धता के आधार पर वार्षिक फसल उत्पादन योजना।
- जल बर्बादी को रोकने के लिए जल ऑडिट।

यह गतिविधि कार्ययोजना के सतत कृषि और जल संसाधन प्रबंधन अनुभागों से जुड़ी है। यह पहल फसल चयन/योजना, खेत तालाब, बेहतर सिंचाई विधियों, जल पुनर्भरण आदि जैसे कई हस्तक्षेपों को सुदृढ़ बनाएगी।

86 भारतीय कृषि परिषद की रिपोर्ट के अनुसार <https://testicar.icar.gov.in/content/icar-nianp-commercializes-anti-methanogenic-feed-supplement-%E2%80%9Charit-dhara%E2%80%9D>

87 <https://india.mongabay.com/2024/04/amid-fodder-crisis-hydroponics-offers-new-hope-for-indian-farmers/>

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

7 ग्राम पंचायतें (जीपी) और पड़ोसी बस्तियां, रंगारेड्डी और नागौरकुर्नूल जिले, तेलंगाना⁸⁸

- यह गतिविधि पानी की खपत की वर्तमान स्थिति व खपत को अनुकूलित करने के उपाय दोनों को पहचानने में मदद करेगी ।
- इस गतिविधि के द्वारा प्रत्येक कृषि मौसम यानी खरीफ़ (मानसून), रबी (सर्दी), और ज़ैद (गर्मी) के लिए योजना बनाने में भी सहायता मिल सकती है।

9. जलवायु प्रभाव क्षेत्रों में ग्रामीण महिला उद्यमियों को सक्षम बनाना

गांवों में महिलाओं के नेतृत्व वाली जमीनी स्तर की उद्यमिता सहायता पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण:

- महिलाएं स्वच्छ/हरित प्रौद्योगिकी-आधारित उत्पाद की बिक्री करें ।
- महिलाएं समुदायों को स्वच्छ-प्रौद्योगिकियों के महत्व पर शिक्षित करें ।
- उदाहरण के लिए, स्वच्छ खाना पकाने (सौर कुकस्टोव), पोर्टेबल सौर जल शोधक, एनर्जी एफ़िसिएंट लाइट, आदि।
- महिलाओं को व्यवसाय विस्तार ऋण उपलब्ध कराया जाए।
- ग्रामीण विपणन और वितरण संबंधों को सुविधाजनक बनाया जाए।

ग्रामीण महिलाओं को उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र में सक्षम बनाने के लिए व्यावसायिक कौशल विकास, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण।

इस पहल का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों और जलवायु प्रभाव क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका और भागीदारी को मजबूत करना है। यह कार्ययोजना के आजीविका और हरित उद्यमिता को बढ़ाने वाले अनुभाग से जुड़ता है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

4 राज्यों (महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात और तमिलनाडु) में 14 जिले⁸⁹

स्वयं शिशन प्रयोग (एसएसपी) महिलाओं को उनके ग्रामीण समुदायों में स्वच्छ ऊर्जा उद्यमियों और जलवायु परिवर्तन नेताओं के रूप में सक्षम बनाता है:

- 60,000 से अधिक ग्रामीण महिला उद्यमियों को स्वच्छ ऊर्जा, सतत कृषि, स्वास्थ्य और पोषण, और सुरक्षित पानी और स्वच्छता में सक्षम बनाया गया।
- 1,000 से अधिक महिला उद्यमियों ने स्वच्छ-ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षण लिया और व्यवसाय शुरू किया।

10. सामुदायिक बीज बैंक

- सामुदायिक बीज बैंक क्षेत्र में फसल विविधीकरण और स्थिरता को बढ़ावा देंगे जबकि स्थानीय बीज प्रणालियों को मुख्यधारा में लाएंगे, तथा जलवायु परिवर्तन के प्रति सुदृढ़ बनाएंगे।
- ऐसे बीज बैंक किसानों को सूखा-सहिष्णु और जलवायु परिवर्तन अनुरोधक फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित करेगा ।
- किसानों के लिए सुरक्षा जाल सुनिश्चित करें, विशेष रूप से प्रतिकूल मौसम की स्थिति और भोजन की कमी के दौरान।

88 <https://wotr.org/2018/03/31/water-budgeting-in-telangana-the-need-and-the-objective-of-the-campaign/>

89 <https://unfccc.int/climate-action/momentum-for-change/women-for-results/rural-community-leaders-combatting-climate-change>

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

सामुदायिक बीज बैंक, डंगधोरा, जोरहाट, असम (UNEP-GEF परियोजना)⁹⁰

- बीज बैंक से जुड़े किसानों को स्थानीय बाजार में उपलब्ध बीजों की तुलना में बेहतर गुणवत्ता वाले बीजों की कटाई, उपचार, भंडारण और गुणा करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।
- बीज बैंक की पहल सहभागी फसल सुधार और ज्ञान-साझाकरण रणनीतियों को बढ़ावा देती है।
- किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीजों तक सस्ते और आसान पहुंच प्रदान की जाती है व किसानों को बाजार से भी जोड़ती है।
- यह बीज प्रणालियाँ व इनकी मूल्य श्रृंखलाएँ स्थिरता और खाद्य सुरक्षा दोनों की रक्षा करती हैं।

11. जैव-संसाधन केंद्र (बीआरसी) की स्थापना

जैव-इनपुट संसाधन केंद्र (बीआरसी) प्राकृतिक खेती को अपनाने की सुविधा के लिए जैव-इनपुट तैयार करते हैं और आपूर्ति करते हैं। बीआरसी से किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए जैव-इनपुट स्वयं तैयार करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि जैव-इनपुट तैयार करना एक समय लेने वाली और श्रम-गहन गतिविधि है।

- मिट्टी के स्वास्थ्य, फसल उपज की वृद्धि, कीट या रोग प्रबंधन में सुधार के लिए उपयोगी जैविक संस्थाओं या जैविक रूप से व्युत्पन्न इनपुट का उपयोग करने वाले स्थानीय रूप से तैयार उत्पाद किसानों द्वारा खरीद के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं।
- बीआरसी क्षेत्र के किसानों की सभी जैव इनपुट आवश्यकताओं के लिए सिंगल-स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करता है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:








आंध्र प्रदेश राज्य में⁹¹

- सतत जलवायु-अनुकूल कृषि में योगदान देता है।
- किसानों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल ढलने में मदद मिलती है क्योंकि उच्च कार्बनिक पदार्थ की मात्रा मिट्टी को बाढ़, सूखे और भूमि क्षरण प्रक्रियाओं के प्रति अधिक लचीला बनाती है।
- कृषि-पारिस्थितिकी तंत्र और पैदावार में स्थिरता होने के परिणामस्वरूप जोखिम कम हो जाता है, और उत्पादन लागत भी कम हो जाती है।

90 <https://alliancebioiversityciat.org/stories/community-seed-banks-empower-farmers-address-climate-risk-india>

91 <https://www.apmas.org/pdf/csv/casestudy-1.pdf>

जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया ⁹²
क. जल निकायों का कायाकल्प एवं संरक्षण 	<ul style="list-style-type: none"> प्रकृति-आधारित समाधान (एनबीएस) पानी की कमी और पानी के तनाव से निपटने की क्षमता को बढ़ाता है बेहतर भूजल पुनर्भरण पानी की गुणवत्ता में वृद्धि सूखा, लू जैसी आपदाओं के प्रति लचीलापन बढ़ाना कृषि एवं पशुधन उत्पादकता में सुधार स्थानीय जैवविविधता को बढ़ावा 	एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 6.1 लक्ष्य 6.3 लक्ष्य 6.4 लक्ष्य 6.5 एसडीजी 11: सतत शहर और समुदाय <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 11.4 एसडीजी 12: सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करें <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 12.2 एसडीजी 13: जलवायु कार्यवाही <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 13.1 लक्ष्य 13.2 एसडीजी 15: भूमि पर जीवन <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 15.1 लक्ष्य 15.5
ख. जल निकासी के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना 		    
ग. वर्षा जल संचयन 		

92 प्रासंगिक एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों की विस्तृत सूची अनुबंध V में दी गई है

सतत कृषि




सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया ⁹³
<p>क. कृषि के लिए सूखा प्रबंधन</p> 	<ul style="list-style-type: none"> कृषि उत्पादकता एवं लाभ में वृद्धि⁹⁴ मृदा स्वास्थ्य में सुधार रासायनिक आदानों के कम उपयोग के कारण पानी की गुणवत्ता में सुधार कृषि जल सुरक्षा में सुधार शीत लहर और गर्मी की लहर के दौरान पशुधन की हानि कम हुई और उत्पादकता में वृद्धि हुई वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ और उत्सर्जन में कमी आई 	<p>एसडीजी 2: शून्य भूख</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 2.3 लक्ष्य 2.4 लक्ष्य 2.ए ; अनुच्छेद 10.3.ई <p>एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 6.4 लक्ष्य 13.1 <p>एसडीजी 13: जलवायु कार्यवाही</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 13.2 लक्ष्य 13.3
<p>ख. प्राकृतिक खेती अपनाना</p> 		
<p>ग. सतत पशुधन प्रबंधन</p> 		
<p>घ. सतत जलीय कृषि</p> 		



93 अनुलग्नक III में एसडीजी और उनके लक्ष्यों की विस्तृत सूची है

94 पारिस्थितिकी-आपदा जोखिम में कमी




हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया ⁹⁵
<p>क. हरित क्षेत्रों /आवरण में सुधार</p> 	<ul style="list-style-type: none"> जलवायु घटनाओं/आपदाओं से प्राकृतिक बफ़र सूक्ष्म-जलवायु को विनियमित करने से हीटवेव और तीव्र गर्मी के तनाव से अनुकूलन में सहायता मिलेगी औषधीय पौधों तक पहुंच से स्वास्थ्य लाभ होगा 	<p>एसडीजी 11: सतत शहर और समुदाय</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 11.7 लक्ष्य 11.4 <p>एसडीजी 12: सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करें</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 12.2
<p>ख. नर्सरी की स्थापना</p> 	<ul style="list-style-type: none"> बेहतर मृदा स्थिरता, जल संरक्षण और संबंधित कृषि लाभों के लिए प्राकृति-आधारित समाधान (एनबीएस) 	<p>एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्यवाही</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 13.1 लक्ष्य 13.2 लक्ष्य 13.3
<p>ग. जन जैवविविधता रजिस्टर</p> 	<ul style="list-style-type: none"> पशुधन उत्पादकता में सुधार कृषि वानिकी, प्राकृतिक औषधियों के उत्पादन आदि से राजस्व सृजन जैवविविधता के लिए बेहतर पर्यावरण और आवास; पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार 	<p>एसडीजी 15: भूमि पर जीवन</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 15.1 लक्ष्य 15.2 लक्ष्य 15.3 लक्ष्य 15.5 लक्ष्य 15.9



95 अनुलग्नक III में एसडीजी और उनके लक्ष्यों की विस्तृत सूची है

सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया ⁹⁶
<p>क. अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना</p> 	<ul style="list-style-type: none"> जलभराव में कमी जल और भूमि प्रदूषण में कमी/ बेहतर स्वच्छता 100% कुशल अपशिष्ट प्रबंधन और सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों और महामारी की घटनाओं में कमी के कारण अच्छा स्वास्थ्य और अपेक्षाकृत रोग मुक्त वातावरण आजीविका और आय सृजन राजस्व और लाभ सृजन सतत कृषि के लिए उन्नत आदान अपशिष्ट आधारित कृषि सर्कुलर अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देना 	<p>एसडीजी 3: अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 3.3 लक्ष्य 3.9 <p>एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 6.3 लक्ष्य 6.8 <p>एसडीजी 8: सभ्य कार्य और आर्थिक विकास</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 8.3 <p>एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 9.1 <p>एसडीजी 12: सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 12.4 लक्ष्य 12.5 लक्ष्य 12.8 <p>एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्रवाही</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 13.1 लक्ष्य 13.2 लक्ष्य 13.3 <p>एसडीजी 15: भूमि पर जीवन</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 15.1
<p>ख. जैविक अपशिष्ट का प्रबंधन</p> 		      
<p>ग. एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध</p> 		
<p>घ. स्वच्छता के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना</p> 		

96 अनुलग्नक III में एसडीजी और उनके लक्ष्यों की विस्तृत सूची है





स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया ⁹⁷
<p>क. सोलर रूफटॉप स्थापना</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ऊर्जा सुरक्षा उष्ण आराम आजीविका के उन्नत विकल्प अतिरिक्त राजस्व सृजन उच्च तापमान/धूप के संपर्क से राहत प्रदान करता है जिसके परिणामस्वरूप उपज स्थिरता और उत्पादकता में वृद्धि होती है 	<p>एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 6.4 <p>एसडीजी 7: किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 7.1 लक्ष्य 7.2 लक्ष्य 7.3 लक्ष्य 7.a लक्ष्य 7.b
<p>ख. एग्रो-फोटोवोल्टिक</p> 	<ul style="list-style-type: none"> विषैले उत्सर्जन/स्थानीय वायु प्रदूषण में कमी 	<p>एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 9.1
<p>ग. सोलर पंप</p> 	<ul style="list-style-type: none"> चुकौती/पे-बैक अवधि के बाद आर्थिक लाभ घरों के अंदर वायु प्रदूषण में कमी सभी के स्वास्थ्य, मुख्य रूप से महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार 	<p>एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्रवाही</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 13.2 लक्ष्य 13.3
<p>घ. रसोई में स्वच्छ ईंधन का उपयोग</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ईंधन की लकड़ी एकत्र करने के कठिन परिश्रम/शारीरिक श्रम को समाप्त करता है आपदाओं के दौरान ग्रिड विफलताओं से निपटने की क्षमता में वृद्धि 	
<p>ड. ऊर्जा कुशल फिक्स्चर</p> 		
<p>च. सोलर स्ट्रीट लाइट</p> 		




97 अनुलग्नक III में एसडीजी और उनके लक्ष्यों की विस्तृत सूची है

सतत और उन्नत गतिशीलता

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया ⁹⁸
<p>क. मौजूदा सड़क के बुनियादी ढांचे को बेतहर करना</p> 	<ul style="list-style-type: none"> स्थानीय वायु प्रदूषण में गिरावट से मानव और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार जोखिम वाले और कमज़ोर व्यक्तियों के लिए बेहतर पहुंच अतिरिक्त राजस्व सृजन वस्तुओं और सेवाओं की अंतिम-मील कनेक्टिविटी में वृद्धि 	<p>S एसडीजी 7: किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 7.2 <p>एसडीजी 11: स्थायी शहर और समुदाय</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 11.2 <p>एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 9.1 <p>एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्रवाही</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 13.2 लक्ष्य 13.3
<p>ख. ई-वाहन और ई-ट्रैक्टर</p> 	<ul style="list-style-type: none"> जलभराव कम करने जैसे सह-लाभों के साथ सड़क बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने के माध्यम से लचीलेपान में सुधार 	
<p>ग. मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाना</p> 		

आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया ⁹⁹
<p>क. सतत उत्पादों के निर्माण में पूर्व से गठित एवं सक्रिय स्वयं सहायता समूहों को शामिल करें</p> 	<ul style="list-style-type: none"> स्थानीय स्रोतों से प्राप्त कच्चे माल के माध्यम से आजीविका के उन्नत विकल्प जल और भूमि प्रदूषण में कमी सतत कृषि के लिए उन्नत आदान 	<p>एसडीजी 5: लैंगिक समानता हासिल करना और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 5.5 <p>एसडीजी 8: सभ्य कार्य और आर्थिक विकास</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 8.3

98 अनुलग्नक III में एसडीजी और उनके लक्ष्यों की विस्तृत सूची है

99 अनुलग्नक III में एसडीजी और उनके लक्ष्यों की विस्तृत सूची है

ख. जैविक कचरे को खाद बनाकर एवं उसे उर्वरक के रूप में बेचना



ग. सतत जलीय कृषि



घ. ई-माल वाहक और ई-टैक्टरो को किराए पर लेने की सुविधा



ङ. सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज के उपयोग के माध्यम से आजीविका को बेहतर बनाना



च. प्राकृतिक औषधियों और पूरकों के उत्पादन और बिक्री के लिए आरोग्य वन



छ. नर्सरी की स्थापना



ज. विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिष्ठानों की स्थापना (सोलर और बायो-गैस) का क्रियान्वयन एवं प्रबंधन (O&M)



- 100% कुशल अपशिष्ट प्रबंधन और सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों और महामारी की घटनाओं में कमी के कारण अच्छा स्वास्थ्य और अपेक्षाकृत रोग मुक्त वातावरण
- औषधीय पौधों तक पहुंच से स्वास्थ्य लाभ होगा
- कृषि वानिकी, प्राकृतिक औषधियों के उत्पादन आदि से राजस्व सृजन
- जैवविविधता के लिए बेहतर पर्यावरण और आवास; पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार
- स्थानीय वायु प्रदूषण में गिरावट से मानव और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार
- वस्तुओं और सेवाओं की अंतिम-मील कनेक्टिविटी में वृद्धि

एसडीजी 12: सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करें

- लक्ष्य 12.2
- लक्ष्य 12.4
- लक्ष्य 12.5
- लक्ष्य 12.8

एसडीजी 13: जलवायु कार्यवाही

- लक्ष्य 13.1
- लक्ष्य 13.2
- लक्ष्य 13.3



कार्यान्वयन में प्रस्तावित सुझाव/संस्तुतियों/अनुशंसाओं से अशोका के ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन को कम करने में ही नहीं बल्कि ऊर्जा, खाद्य और जल सुरक्षा प्राप्त करने में भी सहायता होगी, जिससे ग्राम पंचायत क्लाइमेट स्मार्ट, लचीली और सतत बनेगी। इससे गांव के निवासियों की आकांक्षाएं पूरी करने के लिए ग्राम पंचायत के समग्र और निरंतर विकास को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, ये संस्तुतियां प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व को बढ़ावा देते हुए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करेंगी। अशोका के लिए यह क्लाइमेट स्मार्ट कार्ययोजना ऊर्जा, कृषि निवेश, पानी, आदि पर व्यय में कमी लाकर अशोका को 'आत्मनिर्भर' बनाएगी जिससे आर्थिक विकास के नए मार्ग खुलेंगे।

इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित हस्तक्षेपों के क्रियान्वयन से जलवायु परिवर्तन पर उत्तर प्रदेश राज्य कार्ययोजना II, 2022 में परिकल्पित के अनुसार, अशोका जलवायु कार्ययोजना पर राज्य के दृष्टिकोण और लक्ष्यों में भी योगदान देगा, जो बदले में, जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए देश के प्रयासों को सशक्त करेगा, जिससे एनडीसी, 2015 और इसके अद्यतन संस्करण, 2022 में सूचीबद्ध योगदान और 2030 तक सतत विकास लक्ष्य भी प्राप्त होंगे।

जलवायु संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए स्थानीय स्तर पर विशेष रूप से तैयार किए गए समाधानों की आवश्यकता है, जो पर्याप्त जलवायु वित्त और कार्यान्वयन के अन्य माध्यमों की उपलब्धता से ही सफल हो सकते हैं। इसे राज्य और केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत समर्थित ग्राम पंचायत विकास योजना में परिकल्पित जारी गतिविधियों में न्यूनीकरण और अनुकूलन दोनों जलवायु कार्यवाही को मिलाकर और अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाकर प्राप्त किया जा सकता है। इससे सभी प्रासंगिक हितधारकों: समुदाय, सरकारी प्रशासन, निर्वाचित प्रतिनिधियों और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग में वृद्धि होगी। कार्ययोजना के कार्यान्वयन के बाद, नई अवसंरचना/प्रौद्योगिकी के कुशल प्रबंधन के रूप में निरंतर कार्यवाही अशोका को एक मॉडल क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनना सुनिश्चित करेगी। वर्तमान योजना की सफलता से संभवतः दूसरे ग्राम पंचायत भी कुशल, लचीले और सतत बनाने की प्रक्रिया का पालन करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। इस दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए, यह महत्वपूर्ण होगा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित लाइफ़ मिशन के समान एक संवहनीय जीवन शैली को अपनाने के लिए सामुदायिक स्वामित्व की भावना और व्यवहार परिवर्तन को प्रेरित किया जाए।

अनुलग्नक I: पृष्ठभूमि और कार्यप्रणाली

पृष्ठभूमि

उत्तर प्रदेश राज्य जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के विरुद्ध उन्नत और नवीन गतिविधियां अपना रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के दूरदर्शी और प्रेरणादायक मार्गदर्शन के अंतर्गत राज्य ने शासन के विभिन्न स्तरों पर जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के विरुद्ध विस्तृत गतिविधियां प्रारंभ की हैं। इनमें से एक है 'क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत' के निर्माण के लिए कार्ययोजनाओं का निर्माण करना। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने इस अवधारणा की परिकल्पना जून, 2022 में की थी। उनकी इस परिकल्पना को वास्तविक रूप देने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के 39 संवेदनशील जिलों में जलवायु अनुकूल ग्राम पंचायतों की पहचान करने के लिए एक त्वरित बहु-मानदंड मूल्यांकन संचालित किया गया¹⁰⁰। 5 जून, 2022 को आयोजित 'पंचायत सम्मेलन' (सीओपी) में इन चयनित ग्राम पंचायतों के नामों की घोषणा की गई और इनमें से कई पंचायतों को सम्मानित भी किया गया।

अशोका के लिए क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना¹⁰¹ का विकास उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा वसुधा फाउंडेशन और गोरखपुर एनवायर्नमेंटल एक्शन ग्रुप के सहयोग से किया गया है। इस कार्ययोजना का लक्ष्य ग्राम पंचायत स्तर पर जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध गतिविधियों को मुख्यधारा में सम्मिलित करने के लिए ग्राम पंचायत विशिष्ट ब्लूप्रिंट प्रदान करना है। यह न केवल स्थानीय जलवायु अभियानों को सुदृढ़ता प्रदान कर ग्राम पंचायत को जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध सहनशील बनाएगा बल्कि वर्ष 2030 तक शून्य कार्बन/कार्बन तटस्थ के लक्ष्य को पूरा करने के लिए उत्सर्जनों में कमी भी लाएगा।

इस कार्ययोजना के निर्माण में भागीदारी दृष्टिकोण अपनाया गया है जो कि ऊर्ध्वगामी (बॉटम अप) योजना निर्माण की अवधारणा के अनुरूप है। इस कार्ययोजना की प्रस्तावित संस्तुतियों को व्यक्तिगत परियोजनाओं के रूप में किया जा सकता है जिन्हें पूरा करने के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व में जुटी कंपनियों, राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं, उन्नत सार्वजनिक-निजी साझेदारियों, कार्बन वित्त और निजी निवेशों से धनराशि की व्यवस्था की जा सकती है।

इसे व्यवहार्य बनाने के लक्ष्य से यह कार्ययोजना पंचायत-निजी-साझेदारी (पीपीपी) के निर्माण के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है और साथ ही, इसके प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य और गैर-राज्य सक्रियकों के बीच सहयोग बढ़ाने की रूपरेखा भी प्रदान करती है।

100 उत्तर प्रदेश के 39 अत्यधिक संवेदनशील जिलों की पहचान उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्ययोजना 2.0 और डीओईएफसीसी (DoEFCC), गोयूपी (GoUP) द्वारा विकसित जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजना हेतु स्कोपिंग आकलन से की गई।

101 इस आलेख में मुख्य क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना सहित निम्न आलेख संलग्नक के रूप में सम्मिलित हैं: विस्तृत कार्यप्रणाली; उत्तर सहित प्रभावली; खतरा, जोखिम, भेद्यता और क्षमता आकलन (एचआरवीसीए) रिपोर्ट, और ग्राम पंचायत का सामाजिक और संसाधन मानचित्र।

कार्यप्रणाली

इस रिपोर्ट में मुख्य क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के सहित भरी हुए प्रश्रावली, एचआरवीसीए (HRVCA) रिपोर्ट, ग्राम पंचायत के सामाजिक और संसाधन मानचित्र के रूप में फ़्रील्ड से मिली जानकारी संलग्नक के रूप में सम्मिलित है।

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के विकास के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए:

- सर्वेक्षण प्रश्रावली की तैयारी: मूलभूत स्थिति को समझने और ग्राम पंचायत के आधारभूत परिदृश्य का विकास करने के लिए मुख्य हितधारकों और क्षेत्रीय विशेषज्ञों के विचारों के आधार पर एक प्रश्रावली तैयार की गई। प्रश्रावली में विभिन्न पहलुओं को सम्मिलित किया गया, जैसे कि जनसांख्यिकी, सामाजिक-आर्थिक संकेतक, जलवायु परिवर्तनशीलता, जलवायु धारणा (पिछले 5 वर्ष की), ऊर्जा, कृषि और पशुधन, भूमि संसाधन, स्वच्छता और स्वास्थ्य। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य ग्राम पंचायत में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की पहुंच को समझना भी था।
- हितधारकों के लिए परामर्श सत्र और क्षमता विकास: स्थानीय गैर-सरकारी साझेदारों, ग्राम प्रधानों, पंचायत सचिवों के लिए परामर्श और क्षमता-निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। हितधारकों को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के उद्देश्यों और घटकों, इन कार्ययोजनाओं के विकास और उनकी व्यक्तिगत भूमिकाओं के विषय में जानकारी प्रदान की गई।
- साथ ही, गैर सरकारी साझेदारों को मुख्य जलवायु परिवर्तन अवधारणाओं, अपनाते जाने वाली सर्वेक्षण प्रक्रियाओं और समूह केन्द्रित चर्चाओं के लिए विकसित प्रश्रावली के बारे में प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया।
 - » क्षेत्र सर्वेक्षण: समुदाय से अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए, ग्राम सभा और समूह केन्द्रित चर्चा के कुछ दौरों का आयोजन किया गया था जिसके माध्यम से प्राथमिक आंकड़ों संग्रह किया गया।
 - » क्षेत्र सर्वेक्षण में ग्राम पंचायत का दौरा (ट्रांसेक्ट वाक) किया गया और उसके आधार पर सामाजिक और संसाधन मानचित्र तैयार किए गए।
 - » ग्राम पंचायत की विभिन्न समस्याओं को समझने के लिए खतरा, जोखिम, नाजुकता और क्षमता विश्लेषण (एचआरवीसीए) भी किया गया।
 - » अशोका ग्राम पंचायत की जलवायु संबंधित समस्याओं को और उसके विकास लक्ष्यों को समझने के लिए समूह केन्द्रित चर्चाओं का भी आयोजन किया गया।
- प्राप्त आदानों के आधार पर, ग्राम पंचायत के लिए कार्ययोजना विकसित की गई और बेसलाइन मूल्यांकन का संचालन किया गया। इसमें जलवायु-स्मार्ट गतिविधियों की पहचान करना सम्मिलित था जो न केवल पहचानी गई पर्यावरणीय और जलवायु संबंधी समस्याओं को संबोधित करती हैं बल्कि ग्राम पंचायत में प्रचलित कृषि-जलवायु विशेषताओं को भी ध्यान में रखती हैं। जानकारियों में कमी और उनमें अधूरेपन की पहचान की गई और ग्राम प्रधान, समुदाय और पंचायत सचिव के साथ चर्चाओं द्वारा जानकारियों को संपूर्ण किया गया।
- जानकारियों में कमी और उनमें अधूरेपन की पहचान की गई और ग्राम प्रधान, समुदाय और पंचायत सचिव के साथ चर्चाओं द्वारा जानकारियों को संपूर्ण किया गया।
- ड्राफ्ट योजना को समीक्षा के लिए ग्राम पंचायत को प्रस्तुत किया गया।
- ग्राम पंचायत से प्राप्त अपडेट को सम्मिलित करने के पश्चात, कार्ययोजना को अंतिम रूप प्रदान किया गया और समर्थन के लिए ग्राम पंचायत को प्रस्तुत किया गया।

अनुलग्नक II: उत्तर सहित प्रश्नावली



उत्तर प्रदेश क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत की सर्वे प्रश्नावली

ग्राम पंचायत : अशोका

विकासखण्ड : चित्तौरा

जनपद: बहराइच

I. गाँव की रूपरेखा

	विवरण	संख्या (सूचना का स्रोत- समुदाय के सदस्य)
1	राजस्व गाँव की संख्या	4
2	टोलों की संख्या	5
3	a कुल जनसंख्या	3250
	b कुल पुरुषों की जनसंख्या	1750
	c कुल महिलाओं की जनसंख्या	1500
	d विकलांगजन की जनसंख्या	13
	e कुल बच्चों की जनसंख्या	417
	f वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग)	350
4	कुल परिवार की संख्या	452
a	गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की संख्या	220
5	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल हेक्टेयर	447.31
6 a	साक्षरता दर	46
7 a	पक्का घरों की संख्या	337
b	कच्चा घरों की संख्या (मुख्य रूप से उपयोग की गई सामग्री का उल्लेख करें)	115 (मिट्टी, छप्पर, टिनशेड)



II. सामाजिक आर्थिक

8	ग्राम पंचायत में केवल कृषि (प्रकार) पर आश्रित परिवार	कुल परिवारों की संख्या	
	निजी भूमि/स्वयं की भूमि	300	
	किराए की भूमि (हुण्डा)	45	
	अनुबंध खेती	15(केला व गन्ना उत्पादन हेतु प्रगतिशील किसान)	
	दिहाड़ी मजदूर	150	
	अन्य व्यवस्था (रेहन, अधिया आदि)	15	
	अन्य सूचनाएं/जानकारी (एक से अधिक कृषि गतिविधि में शामिल परिवार, उल्लेख करें)	150	
9	ग्राम पंचायत में आय के स्रोत	कुल परिवारों की संख्या	
	सेवा क्षेत्र (उदाहरण: अध्यापन, बैंक, सरकारी नौकरी आदि)	15	
	कुटीर उद्योग	0	
	कृषि	380	
	कला/हस्तकला	0	
	पशुपालन	155	
	व्यवसाय (स्थानीय दुकान)	45	
	व्यवसाय/उद्यम	Nil	
	दैनिक/दिहाड़ी मजदूर (अकृषिगत)	175	
	अन्य-वाहन चालक	20	
10	पलायन	हां	नहीं
	a क्या पिछले पांच वर्षों में आप के ग्राम पंचायत से ग्रामीणों ने पलायन किया है?	✓	<input type="checkbox"/>
	b पलायन करने वाले स्थान	180	पलायन के मुख्य कारण- आजीविका के लिए
	अन्य गांव	25	✓ आजीविका के लिए
	निकट के शहर	50	✓ आजीविका के लिए
	राज्य के प्रमुख शहर	25	✓
	देश के प्रमुख महानगर	70	विदेश में 10 आजीविका हेतु सऊदी अरब
	c क्या पिछले पांच वर्षों में आप के ग्राम पंचायत में परिवार/व्यक्ति ने प्रवास किए हैं?	हां	नहीं
		✓ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



d	पिछले पांच वर्षों में आपके ग्राम पंचायत में कितने परिवार प्रवास किए हैं? मुख्य कारण स्पष्ट करें।	5 परिवार बाहर से आकर जमीन लेकर प्रवास किये हैं। बहराइच शहर से सस्ता व ग्रामीण परिवेश के कारण बसना उचित समझा है।
---	--	---

11 महिलाओं की स्थिति		
a	महिला प्रमुख परिवारों की संख्या (आय का मुख्य स्रोत- महिला)	10
b	खेती में कार्यरत महिला	कुल संख्या
	निजी भूमि/स्वयं की भूमि	10
	किराएकी भूमि/हुण्डा	0
	अनुबंध खेती	0
	दिहाड़ी मजदूर	0
	अन्य व्यवस्था	0
	अन्य सूचनाएं/जानकारी (एक से अधिक कृषि गतिविधि में संलग्न महिलाएं, उल्लेख करें)	अधिकांश महिलायें अपनी खेती व बकरी पालन से आजीविका पूरी करती हैं।
c	नौकरी/अन्य क्षेत्र में कार्यरत महिलाएं	कुल संख्या
	सेवा क्षेत्र (उदाहरण: अध्यापन, बैंक, सरकारी नौकरी आदि)	7
	कुटीर उद्योग	0
	कृषि	10
	कला/हस्तकला	0
	पशुपालन	35
	व्यवसाय (स्थानीय दुकान)	2
	दैनिक/दिहाड़ी मजदूर (अकृषिगत)	0
	अन्य	0

3 Survey Climate Smart Village Ashoka Bahraich





12 स्वयं सहायता समूहों					
	स्वयं सहायता समूह का नाम	सदस्यों की संख्या	अपनायी गई गतिविधियाँ	वार्षिक बचत (₹0)	बैंकों से जुड़ाव/अजुड़ाव
1	गायत्री	11	कोयला क्रय-विक्रय	5280	जुड़ाव
2	वन्देमातरम	11	सिलाई	5280	जुड़ाव
3	जयभीम	11	बकरी पालन	5280	जुड़ाव
4	शिवशक्ती	12	बकरी पालन	5760	जुड़ाव
5	बलरंगबली	11	बकरी पालन	5280	जुड़ाव
6	लक्ष्मी	12	—	5760	जुड़ाव
7	दुर्गा	10	—	4800	जुड़ाव
8	तुलसी	12	—	5760	जुड़ाव
9	रक्षा	12	—	5760	जुड़ाव
10	गुलाब	12	—	5760	जुड़ाव
11	ज्योति	12	—	5760	जुड़ाव
12	संतोष	12	—	5760	जुड़ाव
13	दीपक	12	—	5760	✓

13 कृषक उत्पादक संगठन (एफ0पी0ओ0)					
एफ0पी0ओ0 का नाम	क्या इस संगठन की प्रमुख महिला हैं?	प्रत्येक एफ0पी0ओ0 में सदस्यों की संख्या	एफ0पी0ओ0 से प्राप्त वार्षिक राजस्व/ बचत	कृषि उत्पाद	पोस्ट हार्वेस्ट की गतिविधियाँ/ गतिविधियों का क्षेत्र
NIL	<input type="checkbox"/>				
	<input type="checkbox"/>				
	<input type="checkbox"/>				
	<input type="checkbox"/>				
	<input type="checkbox"/>				
	<input type="checkbox"/>				



14	अन्य समुदाय आधारितसंगठन /					
	सामाजिक संगठन / समितियों के नाम	क्या महिला प्रमुख संगठन / समिति हैं?	सदस्यों की संख्या	प्राप्त वार्षिक राजस्व / बचत	उत्पाद / सेवा	विपणन / लक्षित उपभोगकर्ता
	NIL	<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				

15	योजनाएं						
	a	योजना के नाम	पंजीकृत लाभार्थी की संख्या	लाभ प्राप्त लाभार्थियों की संख्या	विगत वर्ष ग्राम पंचायत में प्राप्त कुल भगतान (रु०)	अन्य कोई बकाया (रु०)	की गई गतिविधियाँ / कार्य
		मनरेगा	469	250	1574000	1200000	मिट्टी पटाई, इंटर लाकिंग नाला निर्माण
		प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना / एन.एफ.एस.ए.	426	426			
		प्रधानमंत्री उज्जवला योजना	300	300	सिलेण्डर सहित गैस व चूल्हा		गैस
		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	NIL				
		प्रधान मंत्री कुसुम योजना	NIL				
	b	अन्य योजनाएं	NIL				
		ग्राम उज्जवला योजना	NIL				
		रुर्जा दक्षता योजना	NIL				
		प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	NIL				
		प्रधानमंत्री आवास योजना	21	21			आवास निर्माण हो चुका है।
		सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी०डी०एस०)	426	426			प्रत्येक माह मानक के अनुरूप खाद्यान्न उपलब्ध हो रहा है।



	कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम	-				
	उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन	15	15			
	राष्ट्रीय कौशल विकास योजना (RKVY)	0				
	मौसम आधारित फसल बीमा	NIL				
	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)	40				
	मृदा स्वास्थ्य कार्ड	NIL				
	किसान क्रेडिट कार्ड	300	225			कृषि सम्बन्धी कार्य में प्रयोग किया
	स्वच्छ भारत मिशन	450	450			सभी घरों में शौचालय बना है।
	सौर सिंचाई पम्प योजना	NIL				
	नई/नवीन भारतीय बायोगैस व कार्बनिक खाद कार्यक्रम	NIL				
	विकेन्द्रित अनाज क्रय केन्द्र योजना	NIL				
	गोवर्धन योजना	NIL				
	जल पुनर्भरण योजना	NIL				
	रेनवाटर हार्वेस्टिंग	NIL				
	समन्वित वाटरशेड विकास कार्यक्रम	NIL				
	अन्य वाटरशेड विकास योजनाएं	NIL				
	अन्य (एक जिला-एक उत्पाद, मेक इन इण्डिया, अन्य)	NIL				
	उद्यमितता सहायतित योजनाएं आदि	NIL				



16	सक्रिय बैंक खाताधारकों की संख्या	950
17	ई-बैंकिंग / डिजिटल भुगतान एप / यू.पी.आई आदि से भुगतान करने वाले खाताधारकों की संख्या	100

18	निकट कृषि बाजार / क्रय केन्द्र / सरकारी केंद्र	क्या ग्राम पंचायत द्वारा बाजार / क्रय केन्द्र का उपयोग होता है		यदि नहीं, तो बाजार / केन्द्र का उपयोग क्यों नहीं किया जाता	उत्पादित फसल (कु०)	बिक्री हुई फसल (कु०)	ग्राम पंचायत से दूरी (यदि ग्राम पंचायत से दूर है) (कि०मी०)
		हां	नहीं				
	सरकारी कृषि क्रय केंद्र डीहा	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		गेहूँ 4000कु.	2000	0.5 किमी०
	सरकारी कृषि क्रय केंद्र डीहा	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		धान 4800कु.	2500	0.5 किमी०
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

19		शिक्षा (केवल ग्राम पंचायत में)				
	प्रकार / स्तर	उपलब्ध छत का क्षेत्रफल (वर्ग मी०)	कुल नामांकित विद्यार्थियों की संख्या	विगत वर्ष में कुल ड्राप आउट विद्यार्थियों की संख्या	ड्राप आउट के मुख्य कारण (स्वास्थ्य (1), पहुँच / उपलब्धता (2), आर्थिक समस्या (3), अन्य (4) उल्लेख करें)	
a	प्राथमिक विद्यालय					
	प्राथमिक विद्यालय अशोका	225	254	NIL	कृषि कार्य व अतिवृष्टि के समय उपस्थिति में कमी आ जाती है।	
	प्राथमिक विद्यालय सोहापारा	188.80	116	NIL		
b	जू० हाई स्कूल	NIL				



c	हाई स्कूल	NIL				
d	अन्य संस्थान	NIL				

20	कौशल विकास/व्यवसायिक प्रशिक्षण/पुनः कौशल संस्थान (केवल ग्राम पंचायत में)	उपलब्ध छत का क्षेत्रफल (वर्ग मी0)	संस्थान के प्रकार (सरकारी 1, निजी 2)	नामांकित व्यक्तियों की संख्या	नामांकित व्यक्तियों की आयु
	NIL				

21	राज्य/राष्ट्रीय राजमार्ग की उपलब्धता			
	राजमार्ग का नाम	राज्य मार्ग 1, राष्ट्रीय राजमार्ग 2	ग्राम पंचायत से दूरी	सम्पर्क मार्ग की स्थिति अच्छा (1), खराब (2), घटिया (3), सबसे घटिया (4)
	बहराइच-बलरामपुर NH730	2	0 मध्य से गुजरती है।	1

III. भूमि संसाधनों संबंधित सूचनाएं/जानकारी

22	वन भूमि का विवरण	
a	वन का क्षेत्र	0.5 हेक्टेयर
b	वन विभाग द्वारा अधिसूचित क्षेत्र	0
c	सार्वजनिक उपयोग हेतु उपलब्ध वन क्षेत्र	0.5 हेक्टेयर



d	कितने क्षेत्र पर अतिक्रमण है?	NIL
e	विगत पांच वर्षों में कोई वन उन्मूलन/वन कटाई की गतिविधियां	NIL
f	अनुमानित वन उन्मूलन/वन कटाई का क्षेत्रफल (एकड़)	NIL

23		अन्य भूमि का वर्गीकरण		
a	ग्राम पंचायत के पास ग्राम सभा की कितनी भूमि उपलब्ध है?	2एकड़		
b	कितनी भूमि पर अतिक्रमण है? (एकड़)	1एकड़		
c	ग्राम पंचायत में खनन गतिविधियां	हां <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	नहीं <input type="checkbox"/>	आच्छादित क्षेत्रफल 40 एकड़
	खनन के प्रकार बालू खनन 1, खनिज खनन-(उल्लेख करें) 2, अन्य (उल्लेख करें) 3	3 भूमि खनन ईट भट्टों के लिए		
	अतिरिक्त सूचनाएं	3 ईट भट्टों से काफी कृषि भूमि अच्छादित 2 हाट मिक्स प्लान्ट मिट्टी आदि।		

24		जल निकाय क्षेत्र		
		विवरण		
		हां	नहीं	
a	क्या आप के ग्राम पंचायत में जल निकाय क्षेत्र है?	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b	ग्राम पंचायत में कुल जल निकाय क्षेत्रों की संख्या	6		
c	क्या जल निकाय क्षेत्र में अतिक्रमण है?	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
d	जल निकाय क्षेत्र में अतिक्रमण कब से है?	15 वर्षों से		
e	क्या जल निकाय क्षेत्र के आस-पास के भूमि पर अतिक्रमण किया गया है?	हाँ पड़ोस के लोग कूड़ा आदि फेकते हैं।		

25		जल आपूर्ति	
a	ग्राम पंचायतमें घरों हेतु जल आपूर्ति का मुख्य स्रोत क्या है? नहर (1) वर्षा जल-(2)	(3) भूमिगत जल (5) अन्य- पाइप लाइन द्वारा	



	भूमिगत जल—(3) तालाब / झील—(4) अन्य— (5)	
b	क्या उपरोक्त जल आपूर्ति के स्रोत मौसमी या बारहमासी है?	बारहमासी
c	घरों में जल आपूर्ति कैसे होती है? पाइप जलापूर्ति (1) ग्राम पंचायत में सामान्य संग्रह केन्द्र (2) पानी टंकी (3) महिलाओं / बच्चों द्वारा दूर से लाया गया (4) हैण्डपम्प (5) ऊँचा सतही जलाशय (6) कूआ (7) अन्य (8), उल्लेखित करें। अगर 4 है, तो कितनी दूर से लाया जा रहा है?	(1) पाइप जलापूर्ति (3) जल निगम द्वारा स्थापित।
d	कितने घरों में जलापूर्ति पाइप से है?	452
e	क्या पानी का बहाव / प्रवाह दर कम, अधिक या संतोषजनक है?	अधिक
f	पाइप जलापूर्ति की नियमितता 24x7 घण्टे (1) काफी नियमित (2) अनियमित (3)	(2) सुबह 5 बजे से 10 बजे तक व सायं 5 से 7 बजे तक।
g	ग्राम पंचायत में कृषि सिंचाई हेतु जल आपूर्ति का मुख्य स्रोत क्या है? नहर (1) वर्षा जल (2) भूमिगत जल – (नलकूप (3A), कूआ (3B)) तालाब / झील (4) पानी टैंक (5) नदी (6) अन्य (7)	(2) वर्षा जल 3 A- पाइप की कमी से अधिक क्षेत्र में सिंचाई का अवसर होते हुये वंचित (7) व्यक्तिगत बोरिंग 350 इंचाई



h	क्या उपरोक्त जल आपूर्ति स्रोत मौसमी या बारहमासी है?	बारहमासी
i	क्या जलापूर्ति का बहाव/प्रवाह दर कम/अधिक या संतोषजनक है?	नलकूप व व्यक्तिगत बोरिंग सन्तोषजनक है। वर्षा जल प्राकृतिक रूप परिवर्तन शील रहता है।
j	अतिरिक्त जानकारी (उदाहरण : क्या घरेलू कृषि व संबंधित गतिविधियों, उद्योगों आदि के लिए जल आपूर्ति पर्याप्त है) क्या विगत वर्षों में भूजल, नदी या नहर से जल की उपलब्धता बढ़ी/घटी या सूख गया ? क्या सूखे या गर्मी के मौसम में पानी की टंकियों का उपयोग बढ़ जाता है?	हॉ- तालाबों का पानी सूख जाता है। गाँव पास के तालाब घरेलू जल निकासी के कारण भरे रहते हैं। हॉ



IV. जलवायु की धारणा

तापमान व वर्षा में प्रमुख परिवर्तन/बदलाव				
26				
a	गर्मी के माह में देखा गया			
b	गर्मी के तापमान में देखे गए बदलाव (पिछले पांच वर्षों में)	गर्म दिनों में वृद्धि <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	गर्म दिनों में कमी <input type="checkbox"/>	गर्म दिनों में कोई परिवर्तन नहीं <input type="checkbox"/>
c	दिनों की संख्या	35		
d	अन्य सूचनाएं (गर्मी माह में कोई परिवर्तन)	हॉ मार्च प्रारम्भ से शुरू होना		
27				
a	सर्दी के माह में महसूस किया गया			
b	सर्दियों के तापमान में कोई परिवर्तन पाया गया (विगत पांच वर्षों में)	ठण्ड दिनों में वृद्धि <input type="checkbox"/>	ठण्ड दिनों में कमी <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	ठण्ड दिनों में कोई परिवर्तन नहीं <input type="checkbox"/>
c	दिनों की संख्या		20	
d	अन्य सूचनाएं (सर्दी माह में कोई परिवर्तन)	ठण्डक देर से आती है।		
28				
a	मानसून माह में महसूस किया गया			
b	मानसून ऋतु की वर्षा में कोई परिवर्तन देखा गया (विगत पांच वर्षों में)	वर्षा के दिनों में वृद्धि <input type="checkbox"/>	वर्षा के दिनों में कमी <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	वर्षा के दिनों में कोई परिवर्तन नहीं <input type="checkbox"/>
c	दिनों की संख्या		15	
d	अन्य सूचनाएं (मानसून माह में कोई परिवर्तन)	अगस्त महीना प्रायः सूखा रहता है।		
29				
a	क्या गैर मानसून ऋतु की वर्षा में परिवर्तन हुआ है? (विगत पांच वर्षों में)	वर्षा के दिनों में वृद्धि <input type="checkbox"/>	वर्षा के दिनों में कमी <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	वर्षा के दिनों में कोई परिवर्तन नहीं <input type="checkbox"/>
b	ग्रीष्म ऋतु की वर्षा में देखे गये परिवर्तन	वर्षा दिनों में वृद्धि <input type="checkbox"/>	वर्षा दिनों में कमी <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	वर्षा के दिनों में कोई परिवर्तन नहीं <input type="checkbox"/>
c	दिनों की संख्या		4	
d	शरद ऋतु की वर्षा में देखे गये परिवर्तन	वर्षा के दिनों में वृद्धि <input type="checkbox"/>	वर्षा के दिनों में कमी <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	वर्षा के दिनों में कोई परिवर्तन नहीं <input type="checkbox"/>



e	दिनों की संख्या	4
f	अन्य सूचनाएँ/जानकारी	असमय वर्षा होती है।

13 Survey Climate Smart Village Ashoka Bahraich





चरम मौसम की घटनाएं

30 सूखा						
a	सूखे की घटना	प्रथम वर्ष (2022)	द्वितीय वर्ष (2021)	तृतीय वर्ष (2020)	चतुर्थ वर्ष (2019)	पंचम वर्ष (2018)
		✓ <input type="checkbox"/>	✓ <input type="checkbox"/>	✓ <input type="checkbox"/>	✓ <input type="checkbox"/>	✓ <input type="checkbox"/>
b	किस माह में सूखा देखा गया	जुलाई अगस्त	अगस्त	अगस्त	अगस्त	अगस्त
c	सूखे का प्रबन्धन कैसे किया गया (सरकारी सहायता, निजी सहायता, कुएं खोदा आदि)	घरेलू स्तर पर प्रबन्धन			कृषि स्तर पर प्रबन्धन नलकूप/बोरिंग से अतिरिक्त सिंचाई	
d	सूखे की आवृत्ति : सूखे की घटना (पिछले पांच वर्षों में)	वृद्धि ✓ <input type="checkbox"/>	कमी <input type="checkbox"/>	कोई परिवर्तन नहीं <input type="checkbox"/>		
e	अतिरिक्त सूचना कोई पुरानी प्रमुख घटना-1, स्वास्थ्य पर प्रभाव-2	2				
31 बाढ़NIL						
	बाढ़ की घटना	प्रथम वर्ष (2022)	द्वितीय वर्ष (2021)	तृतीय वर्ष (2020)	चतुर्थ वर्ष (2019)	पंचम वर्ष (2018)
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	किस माह में बाढ़ देखा गया					
c	बाढ़ का प्रबन्धन कैसे किया गया (सरकारी सहायता, निजी सहायता आदि)	घरेलू स्तर पर प्रबन्धन			कृषि स्तर पर प्रबन्धन	
d	बाढ़ की आवृत्ति : बाढ़ की घटना (पिछले पांच वर्षों में)	वृद्धि <input type="checkbox"/>	कमी <input type="checkbox"/>	कोई परिवर्तन नहीं <input type="checkbox"/>		
e	अतिरिक्त सूचना कोई पुरानी प्रमुख घटना-1, स्वास्थ्य पर प्रभाव-2					
32 भूस्खलनNIL						
a	भूस्खलन की घटना	प्रथम वर्ष (2022)	द्वितीय वर्ष (2021)	तृतीय वर्ष (2020)	चतुर्थ वर्ष (2019)	पंचम वर्ष (2018)
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	किस माह में भूस्खलन देखी गई					
c	भूस्खलन का प्रबन्धन कैसे किया गया (सरकारी सहायता, निजी सहायता आदि)	घरेलू स्तर पर प्रबन्धन			कृषि स्तर पर प्रबन्धन	
d	भूस्खलन की आवृत्ति : भूस्खलन की घटना (पिछले पांच वर्षों में)	वृद्धि <input type="checkbox"/>	कमी <input type="checkbox"/>	कोई परिवर्तन नहीं <input type="checkbox"/>		
e	अतिरिक्त सूचना कोई पुरानी प्रमुख घटना-1, स्वास्थ्य पर प्रभाव-2					
33 ओलावृष्टि						



a	ओलावृष्टि की घटना	प्रथम वर्ष (2022)	द्वितीय वर्ष (2021)	तृतीय वर्ष (2020)	चतुर्थ वर्ष (2019)	पंचम वर्ष (2018)
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	किस माह में ओलावृष्टि हुई		मार्च			
c	ओलावृष्टि का प्रबन्धन कैसे किया गया (सरकारी सहायता, निजी सहायता आदि)	घरेलू स्तर पर प्रबन्धन			कृषि स्तर पर प्रबन्धन	
d	ओलावृष्टि की आवृत्ति : ओलावृष्टि की घटना (पिछले पांच वर्षों में)	वृद्धि	कमी	कोई परिवर्तन नहीं		
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
34 फसलों के कीट/बीमारी						
a	कीट/बीमारी की घटनाक्रम	प्रथम वर्ष (2022)	द्वितीय वर्ष (2021)	तृतीय वर्ष (2020)	चतुर्थ वर्ष (2019)	पंचम वर्ष (2018)
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
B	किस माह में कीट/बीमारी को देखा गया?	अगस्त, सितम्बर,	अगस्त, सितम्बर,	अगस्त, सितम्बर,	अगस्त, सितम्बर,	अगस्त, सितम्बर,
B	किस प्रकार के टिडडी /कीट/बीमारी को देखा गया?	अगस्त अन्तिम सप्ताह व सितम्बर मध्य तक धान में गन्धी व झुलसा रोग, सब्जियों में फलछेदक एवं फंगस	अगस्त अन्तिम सप्ताह व सितम्बर मध्य तक धान में गन्धी व झुलसा रोग, सब्जियों में फलछेदक एवं फंगस	अगस्त अन्तिम सप्ताह व सितम्बर मध्य तक धान में गन्धी व झुलसा रोग, सब्जियों में फलछेदक एवं फंगस	अगस्त अन्तिम सप्ताह व सितम्बर मध्य तक धान में गन्धी व झुलसा रोग, सब्जियों में फलछेदक एवं फंगस	अगस्त अन्तिम सप्ताह व सितम्बर मध्य तक धान में गन्धी व झुलसा रोग, सब्जियों में फलछेदक एवं फंगस
c	कीट/बीमारी का प्रबन्धन कैसे किया गया? (सरकारी सहायता, निजी सहायता आदि)	दवा का छिड़काव रासायनिक निजी स्तर पर				
D	कीट/बीमारी की आवृत्ति : कीट बीमारी का घटनाक्रम (पिछले पांच वर्षों में)	वृद्धि	कमी	कोई परिवर्तन नहीं		
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	अतिरिक्त जानकारी/सूचनाएं					

35 ग्राम पंचायत में आपदा की तैयारी					
		ग्राम पंचायत स्तर पर क्या आपदा प्रबन्धन/तैयारी के उपाय उपलब्ध है?		क्या ग्रामीणों तक इसकी पहुँच/उपलब्धता है?	
	आपदा तैयारी के उपाय	हां	नहीं	हां	नहीं
	ग्राम आपदा प्रबन्धन योजना	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



ग्राम आपदा प्रबन्धन समिति	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
पूर्व चेतावनी प्रणाली/मौसमीचेतावनी प्रणाली/कृषि चेतावनी प्रणाली	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
आपातकाल अनाज बैंक	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
अन्य	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

36	अनाज भण्डारण	
a	ग्राम पंचायत के आपातकालिन खाद्य/अनाज बैंक में किस प्रकार का भोजन भण्डारित किया जाता है?	
	अनाज (विवरण दें)	NIL
	तेल	NIL
	चीनी	NIL
	अन्य खाद्य पदार्थ – उल्लेख करें	NIL
b	क्या ग्राम पंचायत में शीतगृह है, अगर है तो उसकी क्षमता क्या है?	
		NIL

37	ग्राम पंचायत में मौसम की चेतावनी, पूर्व चेतावनी प्रणाली, कृषि आधारित चेतावनी के लिए उपलब्ध जानकारी के स्रोत	
	स्थानीय कृषि अधिकारी	NIL
	समाचार पत्र/समाचार/रेडियो	✓
	मोबाईल फोन/एप	✓
	मौखिक	✓
	कृषि विज्ञान केन्द्र/कृषि ज्ञान केन्द्र	NIL
	पशुपालन विभाग	NIL
	उद्यान विभाग	NIL
	अन्य	NIL

कृषि एवं संबंधित गतिविधियों पर प्रभाव (विगत पांच वर्षों में)						
38	फसल हानि					
a	घटना का वर्ष	हानि की ऋतु/मौसम खरीफ (1)	फसल का नाम	हानि के कारण रोग, चरम, घटनाक्रम-	अनुमानित हानि की मात्रा	परिणाम स्वरूप आय में हानि



		रबी(2) जायद/अन्य ऋतु (3)		गर्मी, टण्ड, वर्षा, ओलावृष्टि, मिट्टी आदि	(कुन्तल)	(औसत रु0)
	प्रथम वर्ष (2022)		(1)धान (2)गेहूँ (3)सब्जी	रोग / वर्षा, गर्मी, अधिक गर्मी	2500कुन्तल 2500कुन्तल 500कुन्तल	4400000 5625000 750000
	द्वितीय वर्ष (2021)		(1)धान (2)गेहूँ (3)सब्जी	रोग वर्षा गर्मी,	500 1000 200	900000 2100000 300000
	तृतीय वर्ष (2020)	NIL				
	चतुर्थ वर्ष (2019)	NIL				
	पंचवां वर्ष (2018)	NIL				
b	क्या आप फसल बीमा के बारे में जानते हैं?	हां	नहीं			
		✓ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	अतिरिक्त जानकारी (फसल बीमा के लाभार्थी— बड़े किसान, लघु एवं सीमान्त किसान आदि) फसल बीमा लाभार्थी का संतुष्टि स्तर क्या है?	सामान्यतः कोई लाभ नहीं केवल किश्त भरना पड़ता है कोई रुचि नहीं				



39 फसल पद्धति में बदलाव					
a	सामान्य फसल	खरीफ धान	रबी गेहूँ सरसों	जायद / अन्य ऋतु सब्जी	
b	फसल का नाम	पारम्परिक बोआई का समय	विगत 5 वर्षों में बोआई के समय में परिवर्तन हुआ है / देखा है	अभी बोआई का समय	परिवर्तन के कारण
	धान (खरीफ)	जून तृतीय सप्ताह	हाँ	जुलाई माह	सूखा व अधिक गर्मी
	गेहूँ (रबी)	नवम्बर प्रथम सप्ताह	हाँ	दिसम्बर अन्तिम सप्ताह	वर्षा व गन्ना की देर से कटाई
	सरसों	सितम्बर अन्तिम सप्ताह	हाँ	अक्टूबर	अधिक नमी देर से वर्षा
c	अन्य सूचना / जानकारी (विलुप्त फसल / प्रजाति आदि उल्लेख करें)	अरहर, चना, मटर व मसूर की खेती समाप्त			

40 सिंचाई प्रणाली / पद्धति में परिवर्तन					
a	फसल का नाम	वर्तमान में सिंचाई पद्धति का उपयोग फव्वारा सिंचाई (1), टपक विधि (2), नहर (3), वर्षा आधारित (4), पारम्परिक (5), अन्य (6) (उल्लेखित करें)	वर्तमान में उपयोग किए गए पानी की मात्रा (रूपया / एकड़)	पूर्व में सिंचाई विधि / पद्धति का उपयोग फव्वारा सिंचाई (1), टपक विधि (2), नहर (3), वर्षा आधारित (4), पारम्परिक (5), अन्य (6) (उल्लेखित करें)	पूर्व में उपयोग किए गए पानी की मात्रा (रूपया / एकड़)



	धान	वर्षा आधारित (4), वोरिंग से (6)	1800	वर्षा जल (4), पम्पसेट(6)	1200	
	गेहूँ	पम्पसेट(6) वर्षा जल(4),	2500	वर्षा जल (4), पम्पसेट(6)	2000	
b	ग्राम पंचायत में सिंचाई हेतु पम्पों की संख्या	डीजल आधारित	विद्युत आधारित	सौर पम्प	पारम्परिक सिंचाई विधियां	
		300	0	0	0	
c	अन्य सूचनाएं/जानकारी अगर कोई है	वर्षा होने की स्थिति में सिंचाई खर्च में कमी				
41 पशु पालन/पशुधन						
a	ग्राम पंचायत में प्रचलित पशुधन और पशुपालन सम्बन्धित गतिविधियां श्रेणी : डेयरी (1) मुर्गी पालन (2) मत्स्य पालन (3) सूअर पालन (4) मधुमक्खी पालन (5) अन्य- स्पष्ट करें (6)		(1) (2) (3)			
b	डेयरी पर प्रभाव	पशु हानि गाय (1) भैंस (2) अन्य (3)	पशु हानि की संख्या (प्रत्येक पशु को उल्लेख करें)	हानि के कारण (रोग, आयु, दुर्घटना आदि)	हानि का मौसम	उत्पादकता में कोई परिवर्तन देखा गया? वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं (3)
	प्रथम वर्ष (2022)	(1)	5	दुर्घटना व कंपकपी	बारहमासी	(2)
	द्वितीय वर्ष(2021)	(1)	15	दुर्घटना व कंपकपी	बारहमासी	(2)
	तृतीय वर्ष (2020)	(1)	18	दुर्घटना व कंपकपी	बारहमासी	(2)
	चतुर्थ वर्ष(2019)	(1)	25	रोग	बारहमासी	(2)
	पंचम वर्ष(2018)	(1)	30	रोग	बारहमासी	(2)
	अन्य जानकारी/सूचनाएं	गाय व भैंस में बाझपन बढ़ा है।				
c	मुर्गी पालन पर प्रभाव	पक्षी हानि मुर्गी (1) बत्तख (2) अन्य (3)	पक्षी हानि की संख्या (प्रत्येक पक्षी का उल्लेख करें)	हानि के कारण	हानि के मौसम/ ऋतु	उत्पादकता में कोई परिवर्तन पाया गया है? वृद्धि (1)



						कमी (2) परिवर्तन नहीं (3)
	प्रथम वर्ष (2022)	(1) मुर्गी	100 चूजे	शीतलहर	सर्दी	(2)
	द्वितीय वर्ष(2021)	(1) मुर्गी	150 चूजे	शीतलहर	सर्दी	(2)
	तृतीय वर्ष (2020)	(1) मुर्गी	150 चूजे	शीतलहर	सर्दी	(2)
	चतुर्थ वर्ष(2019)	(1) मुर्गी	180 चूजे	शीतलहर	सर्दी	(2)
	पंचम वर्ष(2018))	(1) मुर्गी	200 चूजे	शीतलहर	सर्दी	(2)
	अन्य जानकारी / सूचनाएं					
d	अन्य पशुओं पर प्रभाव	पशु हानि (कृपया निर्दिष्ट करें कि कौन से हैं)	पशु हानि की संख्या (प्रत्येक पशु का उल्लेख करें)	हानि के कारण	हानि की ऋतु	उत्पादकता में कोई परिवर्तन पाया गया है? वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं (3)
	प्रथम वर्ष (2022)	NIL				
	द्वितीय वर्ष(2021)	NIL				
	तृतीय वर्ष (2020)	NIL				
	चतुर्थ वर्ष(2019)	NIL				
	पंचम वर्ष(2018)	NIL				
	अन्य जानकारी / सूचनाएं	NIL				



V. कृषि व पशुपालन

42	a	प्रमुख उगाई जाने वाले फसलें व सम्बन्धित सूचनाएं/जानकारी									खरपतवारनाशी		
					उर्वरक उपयोग			कीटनाशक उपयोग					
		फसल (अनाज, तिलहन, दलहन, उद्यान एवं फूल आदि)	ऋतु/मौसम	उपज (कु0) प्रति एकड़	उर्वरक के प्रकार	औसत प्रयुक्त मात्रा (किग्रा/एकड़)	क्या विगत पांच वर्षों में उपयोग किये गये उर्वरकों की मात्रा में वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं है (3)	कीटनाशकों के प्रकार	औसत प्रयुक्त मात्रा (किग्रा/एकड़)	क्या विगत पांच वर्षों में उपयोग किये गये कीटनाशकों की मात्रा में वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं है (3)	खरपतवार नाशी के प्रकार	औसत प्रयुक्त मात्रा (किग्रा/एकड़)	क्या विगत पांच वर्षों में उपयोग किये गये खरपतवार की मात्रा में वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं है (3)
		धान	वर्षा	25	डाई, सूरिया	60 75	(1)	कराटे (कीटनाशक) पयूराडान	200ML प्रति एकड़	(1)	24D	200 ML/प्रति एकड़	(1)
		गेहूँ	जाड़ा	15	डाई, सूरिया	50 60	(1)	कराटे (कीटनाशक) / पयूराडान	200ML प्रति एकड़	(1)	24D	200 ML/प्रति एकड़	(1)
		गन्ना	ग्रीष्म कालीन	300	डाई, सूरिया	125किग्रा. 100किग्रा.	(1)	कोराजीन	100ML / प्रति एकड़	(1)	2 4D		(1)
	b	क्या ग्राम पंचायत में फसल अवशेष जलाये जाते हैं	हाँ <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	नहीं	जलाये गये खेतों का कुल क्षेत्रफल (एकड़) 50	क्या यह फसल अवशेष पूर्व में जलाये जाते थे? हाँ	अगर नहीं तो, कब से जलाना आरम्भ किया	क्या फसल अवशेष प्रबन्धन की योजनाओं को जानते/जागरूक है?					
													हाँ



43 जैविक खेती सम्बन्धित गतिविधियां

फसल	क्षेत्रफल	प्रति फसल आय (₹0 / कुन्तल)	बिक्री हेतु बाजार	तृतीय पक्ष द्वारा प्रमाणित / सत्यापित
NIL				

44 अन्य स्थाई खेती सम्बन्धी गतिविधियां (जैसे शून्य/जीरो बजट प्राकृतिक खेती)

फसल	स्थायी गतिविधियां (शून्य जुताई, मल्लिंग, फसल चक्र, अर्न्तःफसलें, वर्मी कम्पोस्ट, कम्पोस्ट, मिश्रित फसलें, प्राकृतिक कीट प्रबन्धन, जैव पदार्थ में वृद्धि आदि)	क्षेत्रफल (एकड़)	प्रति फसल प्राप्त आय (रूपया)
NIL			
NIL			
NIL			
NIL			
NIL			



45 कृषि वानिकी, सामाजिक वानिकी, परती भूमि विकास और अन्य वृक्षारोपण गतिविधियां											
पौध रोपण गतिविधियों के प्रकार	आच्छादित क्षेत्रफल	स्थान	योजना अन्तर्गत राष्ट्रीय कृषि वानिकी मिशन (1), समन्वित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम (2), वर्षा आधारित क्षेत्र कार्यक्रम (3), मनरेगा (4), वृक्षारोपण जन आन्दोलन (5), अन्य (6) - उल्लेख करें	मनरेगा (4)	(1),(2)	रोपित प्रजातियां	आरम्भ दिनांक	सफलता (प्रतिशत)	कृषि वानिकी गतिविधियों के लाभ तक लोगों की पहुंच/अवसर	पिछले 10 वर्षों में पहुंच/अवसर में परिवर्तन, वृद्धि (1), कमी (2), कोई परिवर्तन नहीं (3)	परिवर्तन के कारण- लाभ में वृद्धि (1), लाभ में वृद्धि (2), प्रजाति सम्बन्धित (3), वन उन्मूलन (4) अन्य (5)- उल्लेख करें
अशोका उद्यान	1.5 एकड़	ग्राम सभा की भूमि पर NH7 30				2वर्ष अशोक, ताड़, फूल व उद्यान के पौधे	जुलाई 2019	80%	एक मनोरम स्थल विकसित	(1)	(1)



46	अपनाये गये स्थायी पशुधन प्रबन्धन तकनीक	पशुधन के प्रकार	ग्राम पंचायत में कुल संख्या (लगभग)	अपनाई गई गतिविधियां (चारा में परिवर्तन, पोषण पूरक अर्थात् पशुआहार, खुले में चराई आदि)	प्राप्त / उत्पादित आय प्रति पशुधन वार्षिक (रू0)
		गाय (देशी नस्ल)	100	NIL	6000
		गाय (संकर नस्ल)	0	NIL	NIL
		भैंस (देशी नस्ल)	400	पशु आहार	45000
		भैंस (संकर नस्ल)	400	पशु आहार	6000
		बकरी	1000	खुले में चराई	15000
		सुअर	100	सामान्य	-
		मुर्गी	1000	पूरक आहार	-
		मत्स्य	3 तलाब	पूरक आहार	-
		अन्य			-

VI. स्वच्छता एवं स्वास्थ्य



48	1.						
a	अपने घर में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाला अपशिष्ट पदार्थ/कचरा	1-2 किलो		पॉलीथिन, साफ सफाई का कचरा एवं भोजन सामग्री अपशिष्ट पदार्थ			
b	आपके ग्राम पंचायत में अपशिष्ट पदार्थ/कचरा कैसे इकट्ठा किया जाता है?	इकट्ठा नहीं होता रोज घूर पर डाल दिया जाता है/तालाबा में फेंका जाता है।					
c	कचरा संग्रह कितनी बार होता है?	<input checked="" type="checkbox"/> प्रतिदिन	<input type="checkbox"/> साप्ताहिक	<input type="checkbox"/> वैकल्पिक दिन			
		हाँ	नहीं	लागू नहीं			
d	क्या आपके क्षेत्र में कोई स्थान है, जहाँ कचरा इकट्ठा डाला जा सकता है? यदि हाँ तो कृपया आपकी ग्राम पंचायत से कितनी दूरी पर है या किस स्थान पर है?	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ग्राम पंचायत से दूरी/ग्राम पंचायत में स्थित	घरों के नजदीक तालाब में		
e	क्या आपके ग्राम पंचायत क्षेत्र में सामान्य कूड़ेदान रखे गये हैं?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
f	क्या आप कचरे को सूखे और गीले कचरे की श्रेणी में बांटते हैं?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
g	आप गृह स्तर पर कचरे का उपचार कैसे करते हैं?	पुनःचक्रमण	कम्पोटिंग	वर्मी कम्पोस्ट	अपशिष्ट	जलाना	अन्य (उल्लेखित करें)
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

49	खुले में शौच मुक्त स्थिति			
a	क्या आपका गांव खुले में शौच मुक्त घोषित है?	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हाँ	<input type="checkbox"/> नहीं	
b	स्वयं के शौचालय वाले परिवारों की संख्या	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	325
c	सामुदायिक शौचालय/इज्जत घर की संख्या	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
d	क्या शौचालय का उपयोग किया जा रहा है?	हाँ		
e	अगर शौचालय का उपयोग नहीं किया जा रहा है तो क्यों? (साफ-सफाई का अभाव, रख-रखाव का अभाव, बहुत दूर आदि)	लागू नहीं		



50	अपशिष्ट जल	घरेलू	व्यवसायिक	औद्योगिक	कृषि गतिविधियां	गंदा नाला
a	अपशिष्ट जल का क्या स्रोत है?	✓ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	उत्पन्न अपशिष्ट जल की मात्रा (अनुमानित लीटर प्रतिदिन)	67800ली.				
c	गांव में किया गया अपशिष्ट जल उपचार, यदि कोई है तो-	तालाब				
d	अपशिष्ट जल पुनःचक्रण या पुनः उपयोग की गतिविधि, यदि कोई है तो-	नहीं				

51	स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा			
	स्वास्थ्य केन्द्र की उपलब्धता	हां	नहीं	उपलब्ध छत का क्षेत्रफल (वर्गमीटर)
a	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	<input type="checkbox"/>	✓ <input type="checkbox"/>	
b	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	<input type="checkbox"/>	✓ <input type="checkbox"/>	
c	उपस्वास्थ्य केन्द्र	<input type="checkbox"/>	✓ <input type="checkbox"/>	
d	आंगनवाड़ी	✓ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30 वर्गमीटर
e	आशा	✓ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
f	स्वास्थ्य कैम्प/मेला	<input type="checkbox"/>	✓ <input type="checkbox"/>	
g	डिजीटल स्वास्थ्य देखभाल	<input type="checkbox"/>	✓ <input type="checkbox"/>	

52	रोग/बीमारी								
	विगत वर्ष निम्नवत् बीमारी/रोग से कितने लोग प्रभावित हुए हैं?	प्रभावित कुल व्यक्तियों की संख्या	प्रभावित आयु समूह			सामान्य उपचार का विकल्प			
			प्रभावित बच्चों की संख्या	प्रभावित व्यवस्कों की संख्या	प्रभावित वरिष्ठ नागरिकों की संख्या	स्थानीय स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं (उल्लेख करें)	घरेलू देखभाल	घर-घर जाने वाला	अन्य (उल्लेख करें)
a	वेक्टर-जनित रोग (मलेरिया, डेंगू, चिकेनगुनिया आदि)	200	40	50	110	CHC	✓ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	प्राइवेट चिकित्सालय बहराइच



b	जल-जनित रोग (हैजा / डायरिया / टाईफाईड / हैपेटाइटिस आदि)	250	150	50	50	CHC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	प्राइवेट चिकित्सालय बहराइच
c	श्वास सम्बन्धी रोग जो वायु प्रदूषण से होते हैं (इनडोर एण्ड आउटडोर)	100	10	25	65	CHC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	प्राइवेट चिकित्सालय बहराइच
d	कुपोषण	3	3	-	-	आंगनवाड़ी	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	प्राइवेट चिकित्सालय बहराइच

VII. उर्जा

53		
a	आपके ग्राम पंचायत में कुल कितने घर विद्युतकृत हैं	452
b	ग्राम पंचायत में निम्नलिखित अनुमानित विद्युत उपकरणों की संख्या	
	ए0सी0	0
	एयर कुलर	5
	रेफ्रिजरेटर/फ्रीज	10

54	विद्युत कटौती की आवृत्ति	
a	दिन में कुछ बार	<input checked="" type="checkbox"/>
	दिन में एक बार	<input type="checkbox"/>
	विद्युत कटौती नहीं	<input type="checkbox"/>
b	प्रतिदिन कितने घण्टे गुल रहती है?	4 घण्टे
	यदि प्रतिदिन नहीं तो सप्ताह में कितने घण्टे बिजली गुल होती है?	28 घण्टे

55	वोल्टेज अस्थिरता/ उतार-चढ़ाव की आवृत्ति क्या है?	
	दिन में कुछ बार	<input type="checkbox"/>
	दिन में एक बार	<input type="checkbox"/>
	अस्थिरता/उतार-चढ़ाव नहीं	<input checked="" type="checkbox"/>





56	पावर बैकअप का मतलब विद्युत कटौती के दौरान उपयोग	संख्या
	डीजल चलित जेनरेटर	20
	सौर उर्जा	2
	इमरजेंसी लाईट	452
	इन्टवर्ट्स	10
	अन्य साधन (उल्लेख करें) सर्च लाइट पशुओं को भागने के लिए	200

57	नवीकरणीय/अक्षयऊर्जा के स्रोत		
a	क्या गांव में निम्नलिखित में से कोई स्थापना है?	इंस्टालेशन (स्थापना) की संख्या	कुल स्थापित क्षमता (किलोवाट)
	घर की छतों पर सौर उर्जा स्थापना	0	
	विद्यालय की छत पर सौर उर्जा स्थापना	1	2 किलोवाट
	चिकित्सालय की छत पर सौर उर्जा स्थापना	0	
	ग्राम पंचायत भवन पर सौर उर्जा स्थापना	0	
	अन्य सौर उर्जा स्थापना	0	
	सौर स्ट्रीट लाईट	0	
	बायोगैस	0	
	विकेन्द्रित नवीनीकरण उर्जा/मिनी ग्रीड	0	
b	क्या आप सौर उर्जा स्थापना के लिए उपलब्ध अनुदान के बारे में जानते हैं (कुछ योजनाओं/कार्यक्रमों का उल्लेख करें)	हाँ	

58	भोजन बनाने हेतु प्रयुक्त ईंधन	परिवारों की संख्या	प्रति परिवार प्रयुक्त औसत मात्रा (किग्रा/महीना)
	पारम्परिक जलौनी (उपले/जलौनी लकड़ी)	150	150 किग्रा0
	बायोगैस	0	
	एलपीजी गैस	380	10 किलो



	विद्युत	0	0
	सौर उर्जा	0	0
	अन्य (कोयला, मिट्टी का तेल, चारकोल आदि)	0	0
59	वाहन की संख्या		
	वाहन के प्रकार	ग्राम पंचायत में वाहन संख्या (अनुमानित)	प्रयुक्त ईंधन के प्रकार
a	जीप	0	
b	कार	30	डीजल व पेट्रोल
c	दो पहिया वाहन	500	पेट्रोल
d	विद्युत चालित वाहन	0	0
e	आटो	25	डीजल
f	ई-रिक्शा	15	चार्जिंग
g	अन्य	0	0

60	कृषि यंत्र	ग्राम पंचायत में कृषि यंत्रों/मशीनों की संख्या	प्रयुक्त ईंधन के प्रकार	तय की गई औसत दूरी (किमी प्रतिदिन)
a	टैक्टर	100	डीजल	25 किमी
b	कम्बाईन हारवेस्टर	2	डीजल	फसल कटाई के समय 20 किमी
c	अन्य (कृपया उल्लेख करें) जे0सी0बी0	2	डीजल	मिट्टी का कार्य भट्टों पर 20 किमी

61	ग्राम पंचायत में अवस्थित पेट्रोल पम्प (अगर कोई है)										
	ईंधन के प्रकार	प्रतिदिन की बिक्री	पम्प से आपूर्ति वाले गाँव की संख्या	कितने प्रकार के वाहन एक दिन/महीना में पेट्रोल पम्प से ईंधन लेते हैं? (समय/ अवधि का उल्लेख करें)							
				टैक्टर/ ट्रक	कृषि यंत्र	जीप	कार	दो पहिया वाहन	आटो	ई-रिक्शा	अन्य किसान
a	डीजल	14000	8	180	60	120	200	0	40	0	40



b	पेट्रोल	2500	8	0	0	0	50	600	0	0	0
---	---------	------	---	---	---	---	----	-----	---	---	---

62 औद्योगिक इकाई				
	उद्योग के प्रकार	संख्या	उर्जा के स्रोत: ग्रिड विद्युत (1), डीजल जेनरेटर (2), नवीनीकरण/अक्षय उर्जा (3)	उर्जा की खपत प्रति माह विद्युत का उपयोग (किलोवाट) ईंधन उपयोग (लीटर प्रतिदिन)
	गिट्टी मिक्सर	2	(2)	100 लीटर
	मिनी आक्सीजन प्लान्ट	1	(1)	08 किलोवाट
	मिनी दुग्ध अवशीतन केन्द्र	1	(1) (2)	10 किलोवाट

अनुलग्नक III: एचआरवीसीए रिपोर्ट



क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत अशोका

विकास खण्ड चित्तौरा जनपद-बहराइच

खतरा, जोखिम, नाजुकता एवं क्षमता विश्लेषण

जलवायु परिवर्तनशीलता- प्रवृत्ति/परिवर्तन, मुख्य चुनौतियां/ झटके एवं तनाव

ग्राम पंचायत अशोका में गर्मी को छोड़कर सभी मौसम की अवधि में कमी आयी है। 20-25 वर्ष पहले जाड़ा, गर्मी, बरसात प्रायः सभी अपने समय पर शुरू होते थे और लगभग अपने तय समय पर ही समाप्त होते थे। इस पूरे मौसम चक्र में गर्मी के दिनों में वृद्धि हुई है और धीरे-धीरे अगस्त महीने में सूखे जैसी स्थिति बनते रहने से पूरा मौसम चक्र प्रभावित हो रहा है। वर्ष 2022 के अक्टूबर महीने में एक सप्ताह हुई भारी बारिश ने धान की फसल पूरी तरह से समाप्त कर दी और मार्च महीने में तेज तापमान ने गेहूँ की फसल को 65 प्रतिशत हल्का कर दिया। इसके पहले 2021 में गेहूँ की फसल के समय बारिश ने भारी नुकसान किया था। गर्मी अब मार्च महीने से शुरू होकर अक्टूबर महीने तक होने से जाड़े के दिनों में कमी हुई है। वर्षा का समय बदलता जा रहा है। जून जुलाई में कम वर्षा होती है और अगस्त में प्रायः सूखा हो जाता है। अन्त में भारी बारिश अधिक होती है। समुदाय से हुई चर्चा में यह सभी तथ्य सामने आये।

सहभागी ग्रामीण आकलन (पीआरए) के विभिन्न विधियों का उपयोग करते हुए अशोका गांव से प्राप्त सूचना एवं प्राथमिक आँकड़ों के आधार पर जलवायुगत आपदा, खतरा जोखिम प्रोफाइल में अपेक्षित सूचनाओं का संकलन किया गया। आपदा खतरा जोखिम प्रोफाइल से सम्बन्धित सूचनायें निम्न क्रमवार दी गयी हैं :-

1. गांव को प्रभावित करने वाले आपदाओं की पहचान करना एवं इनका प्राथमिकीकरण :-

समुदाय से हुई चर्चा से पता चला कि अशोका गांव घरेलू व बरसाती जल जमाव से बहुत प्रभावित है। ग्राम पंचायत में तीन ईट के भट्टे यहां की वातावरण को जहाँ प्रभावित करते हैं वहीं 50 एकड़ से अधिक भूमि इनके गिरफ्त में है। 2 गिट्टी क्रशर गांव के दक्षिणी हिस्से में मिक्सिंग का काम व तारकोल जैसी चीजों को गर्म करते हैं। हाट मिक्स प्लान्ट से वातावरण प्रदूषित है। ग्राम पंचायत के बीचो बीच से NH 730 गुजरती है जिस पर प्रतिदिन वाहनों के आपसी टक्कर के साथ जानवर व मानव क्षति भी प्रायः होती रहती है। वर्ष 2017 में प्रारम्भ हुए टंकी द्वारा घरेलू जल सप्लाई से पानी का उपयोग बढ़ा है और अधिक मात्रा में प्रदूषित जल तालाब में पहुंचता है और जल जमाव बढ़ रहा है, जिससे बीमारी काफी बढ़ गयी है।

आपदा का इतिहास एवं क्षति :-

1 - Ashoka, Bahraich

ग्राम पंचायत अशोका में पिछले 40.-50 सालों के आपदाओं के बारे में चर्चा करने पर पता चला कि 1982 में आयी भीषण बाढ़ ने गांव को बुरी तरह से प्रभावित किया था और ठीक उसके अगले साल सूखा पड़ गया था एवं अकाल जैसी स्थिति बनने के कारण गांव में दुख का माहौल दो साल तक बना रहा। ठीक 2 साल बाद 1985 में बड़ी चेचक जैसी स्थिति बनने से सोहापार गांव में 15 बच्चों की मृत्यु हो गयी थी। इसी प्रकार फरवरी 2001 में ओलावृष्टि की अधिकता रही और फसलें लगभग पूरी तरह नष्ट हो गयी।

पूरे ग्राम पंचायत में भौगोलिक स्थिति और बनावट के कारण अशोका खास गांव के मध्य में बरसाती व सामान्य दिनों में जल जमाव की स्थिति बनती है जो बहुत परेशानी पैदा करता है। गांव में आवागमन जहाँ प्रभावित होता है वहीं बीमारियां भी अधिक होती हैं।

(विस्तृत विवरण संलग्नक-01 देखें)

आपदा की पहचान एवं प्राथमिकीकरण के आधार पर निम्न आपदाएं ग्राम पंचायत अशोका को प्रभावित करते हैं:-

आपदा का नाम	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर
जल जमाव												
शीतलहर												
ओला पत्थर												
आंधी तूफान												
लू												
सूखा												

आपदाओं का मानचित्रण करने के दौरान आपदा का मौसमी कैलेंडर व मौसम विश्लेषण किया गया जिसके दौरान पता चला कि अब चरम वर्षा के दिन बढ़े हैं और बरसात के मौसम में भी लम्बे अन्तराल तक वर्षा की कमी रहती है। अशोका ग्राम पंचायत में खास अशोका गांव के मध्य में जल जमाव स्थिति बरसात के दिनों में आवागमन की बड़ी दुर्दशा होती है। आवागमन बुरी तरह प्रभावित होता है। घरों का गन्दा पानी गांव के मध्य में बना तालाब अपनी बनावट के कारण मुसीबत बना हुआ है। केवल मार्च अप्रैल व मई महीने में सड़क सूखता है बाकी सभी महीनों में यह कष्टकारी है। जुलाई मध्य से पूरा अगस्त का महीना सूखा रहने लगा है। फसल पकने के समय प्रायः सूखा या भारी वर्षा क्षति का कारण बनता है।

2. जलवायु परिवर्तन जनित आपदा के जोखिम/खतरों का मानचित्रण एवं आंकलन:-

2 - Ashoka, Bahraich

उपरोक्त आपदाओं के स्वरूप के आधार पर होने वाले क्षति, संभावित जोखिम एवं सभी संसाधनों पर पड़ने वाले प्रभाव एवं उससे प्रभावित हो रहे लोगों के साथ संसाधनों का क्षरण जैसी परिस्थितियों की विस्तृत जानकारी संकलित की गयी जिसमें महिला, पुरुष, बच्चे एवं हितधारकों की भागीदारी सक्रिय रही।

ग्राम पंचायत अशोका के सभी राजस्व गांव व उसके एक टोले में भ्रमण करने के दौरान सभी लोगों से चर्चा होती रही जिसमें आपदाओं के जोखिम व खतरों पर विस्तृत मंथन के बाद निम्न तथ्य सामने आये।

अशोका खास में 250 घर, सासरपारा— 85, सोहापारा—50, टेमरिया 55 व गौरा—12 घर

खतरा एवं जोखिम विश्लेषण से प्राप्त सूचनाएं

क्रम	आसन्न आपदा / खतरे	संभावित जोखिम का क्षेत्र	संभावित जोखिम प्रभावित क्षेत्र			
			जोखिम	आबादी	घर	संसाधन
1	जल जमाव	स्वच्छता	नालो में अधिक पानी कचरों का आना	750 अशोका खास मध्य गांव	100 घर	सड़क पर गन्दे पानी का फैलाव आवागमन जोखिम पूर्ण।
		स्वास्थ्य	जल जनित बीमारी की बहुतायत	पूरा गांव	250 घर	प्रति वर्ष बरसात में 250 लोग प्रभावित।
		शिक्षा	प्राथमिक विद्यालय पहुँचना जोखिम	125 बच्चे	100 घर	गांव को जाने वाली मुख्य सड़क पर जल जमाव
		सामाजिक सुरक्षा	बच्चों महिलाओं व विकलांग जनों का घायल होना	पूरा गांव	100 घर	गांव को जाने वाली मुख्य सड़क पर जल जमाव
		पशुपालन	पड़ोस में रहने वाले परिवारों के बकरी सहित बड़े जानवर अधिक बीमार	पूरा गांव	100 घर	गाय, भैंस व बकरी पालन प्रभावित
		कृषि उत्पादन	अरहर, चना, मसूर, मटर का समाप्त होना	पूरा गांव	452 घर	पूरे अशोका ग्राम पंचायत से 4 फसलें समाप्त
2	शीतलहर	स्वास्थ्य	मानव एवं पशुओं की परेशानी बढ़ती है	वृद्ध/बीमार लोग व बकरी की क्षति अधिक	400घर	मानव एवं पशुधन की क्षति
		कृषि	आलू व सरसों के फसलों का नुकसान	पूरा गांव	452घर	खेत
		पशुपालन	बकरियों में बीमारी अधिक	पूरा गांव	452घर	बकरी व खेत
3	लू	स्वास्थ्य	मानव व पशुओं को अत्यधिक परेशानी स्वास्थ्य खराब	पूरा गांव	425 घर	ठंडे स्थानों की कमी व पशुओं के लिए बागीचों की कमी व चारों का संकट

		शिक्षा	स्कूल में अधिक गर्मी	सभी पढ़ने वाले विद्यार्थी	452 घर	अधिक गर्मी से बच्चों का स्वास्थ्य संकट में
4	सूखा	कृषि	जून व अगस्त महीना सूखा होने से धान की रोपाई में देरी व नमी की कमी	पूरा गांव	452 घर	300 हेक्टेयर कृषि भूमि पर फसल उत्पादन का संकट
		पशुपालन	गर्मी महीने में चारे का घोर संकट	पूरा गांव	452	चारे का संकट
5	आधी तूफान	कृषि	अप्रैल व मई महीने में भयानक आंधी तूफान होने पर आम व गहूँ का फसल चौपट	पूरा गांव व बगीचा	452 घर	फसल, मानव तथा पशु क्षति
6	ओलावृष्टि	मानव पशु व कृषि पर क्षति	प्रत्येक 4-5 वर्ष में एक बार अप्रैल माह में भयानक ओलावृष्टि की बारम्बारता	पूरा गांव	452 घर	फसल, मानव तथा पशु क्षति

आजीविका संसाधनों पर आपदा का प्रभाव :-

अशोका पंचायत में आजीविका का प्रमुख क्षेत्र खेती व पशुपालन है। ईट भट्टे भी आजीविका के साधन हैं जिस पर अधिकतर बाहरी मजदूर काम करते हैं। आजीविका से यह साधन सर्वाधिक आपदाओं से प्रभावित होते हैं जिससे सम्बन्धित सूचनाएं संकलित हैं जो संलग्न हैं।

(विस्तृत विवरण हेतु संलग्नक-02 देखें)

3. नाजुकता विश्लेषण :-

अशोका ग्राम पंचायत में समुदाय व हितधारकों से नाजुक वर्ग (जैसे बुजुर्ग, विकलांग व आर्थिक रूप से कमजोर परिवार) की जानकारी प्राप्त की गयी। आपदाओं की बढ़ती बारम्बारता से प्रभावित समुदाय सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर होता है। आपदा की दृष्टि से सक्षम बनाने हेतु नाजुक समुदाय, संसाधन व स्थल की जानकारी आवश्यक है। इसके लिए पंचायत सहायक, आशा बहू, स्वयं सेवक एवं रोजगार सेवक की मदद से नाजुक वर्ग, जाति, लिंग, उम्र, आय के आधार पर गांव में नाजुक स्थल एवं प्रभावित होने वाले संसाधन व उनके ब्यौरा की जानकारी प्राप्त की गयी जो निम्न है :-

1. जल-जमाव :-

अशोका गांव के मध्य में तालाब स्थित होने के कारण पूरे गांव का गन्दा पानी इकट्ठा होता है वहीं बरसात के मौसम में बाहरी पानी भी आता है। बरसात में 100 से अधिक घर व अन्य सभी महीनों में 50 से अधिक घर बुरी तरह से प्रभावित होते हैं।

- अशोका ग्राम पंचायत के मध्य में स्थित तालाब उथला है और चारों ओर का ढलान तालाब की ओर है।
- हमेशा पूरे गांव का गन्दा घरेलू पानी तालाब में आता है और इसी कारण से दक्षिण पश्चिम व पूरब को जोड़ने वाला सम्पर्क मार्ग डूब जाता है।
- हर वर्ष इस तालाब से जुड़ने वाले नाले व सड़क टूट जाते हैं।
- तालाब की ओर से NH 730 को दक्षिण में जाने वाला सम्पर्क खडंजा हर वर्ष टूट जाता है।
- सभी सम्पर्क मार्गों के किनारे बनी नालियां खराब हो चुकी हैं।
- तालाब से पानी निकल कर NH 730 के सहारे बाहर निकलता था जो बीच में अशोका पेट्रोल पम्प बन जाने से जल निकासी बाधित है।

समुदाय स्तर पर जल जमाव का प्रभाव:—

- जल जमाव से ग्राम पंचायत के अशोका खास गांव में 100 से अधिक घर बुरी तरह प्रभावित हैं। घर की दीवार व फर्श में नमी हमेशा बनी रहती है।
- राहगीर प्रायः नालों पर पानी रहने से गिरते और चोटिल होते रहते हैं आवागमन बाधित रहता है।
- बरसात के सभी दिनों में मच्छर व मलेरिया का प्रकोप गम्भीर रूप से बना रहता है।
- छोटे बच्चों को प्राथमिक विद्यालय आने जाने में परेशानी होती है। छोटे पशुओं को बहुत परेशानी होती है और उनमें बीमार होने की घटनायें बहुत बढ़ गयी हैं।

2 सूखा:—

- कृषि प्रधान ग्राम पंचायत अशोका में खरीफ के समय सूखे का बहुत प्रभाव पड़ता है जून व अगस्त में प्रायः सूखा पड़ जाने से धान की रोपाई व उसे बार-बार सिंचाई करने का खर्च बढ़ जाता है। अनियमित जलवायु से यह परिस्थिति लगातार गम्भीर हो रही है।
- गांव में एक राजकीय नलकूप है किन्तु नाली के अभाव में मात्र तीन लोगों के खेत की सिंचाई हो पाती है।

- गांव में 6 तालाब हैं जिसका जल गर्मी के दिनों में सूख जाता है। पशुपक्षियों व जानवरों के लिए पेयजल संकट बना रहता है।
- अशोका खास गांव में नलकूप होने के बावजूद नाली के अभाव में सूखा की स्थिति में कोई लाभ नहीं मिलता।
- पेयजल की व्यवस्था पानी की टंकी के संचालन से सूखा प्रभाव मुक्त है।
- वृक्षारोपण अभियान जुलाई में चलता है और सूखे के कारण प्रत्येक वर्ष सारे पौधे सूख जाते हैं।

सूखा का समुदाय पर प्रभाव:-

- फसल विशेषकर धान की रोपाई व उसकी उपज प्रभावित होती है।
- स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उल्टी-दस्त व मलेरिया का प्रकोप अधिक होता है।
- पशुओं के लिए चारे का संकट बढ़ जाता है।
- भविष्य की सारी व्यवस्थायें आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है।

3. लू :-

ग्राम पंचायत में जन उपयोगी बड़े बगीचे की कमी है जिससे लू अधिक दुष्प्रभाव डालता है। राष्ट्रीय राजमार्ग होने से गर्मी अधिक लगती है। बच्चों को विद्यालय में देर तक पढ़ाई के लिए ठहराव मुश्किल होता है। आवागमन बाधित व लोगों की कार्यक्षमता घट जाती है। पशुओं के लिए पेयजल संकट हो जाता है। बीमारी अधिक होती है। सुरक्षित हरा चारा की कमी हो जाती है।

4-शीतलहर :-

शीतलहर के दौरान बुर्जुग जन व बकरियों की मृत्यु की घटनायें बढ़ जाती हैं। लोग इन्हें बचाने का प्रयास करते हैं। यद्यपि गर्मी के दिनों की वृद्धि के बाद अचानक ठण्ड बढ़ती है तो उसकी गम्भीरता और अधिक बढ़ जाती है। बकरियों की मृत्यु व बुर्जुग जनों के ऊपर अधिक प्रभाव पड़ता है। छोटे बच्चों की बीमारियां बढ़ जाती है और गरीब लोगों को गर्म कपड़ों के अभाव में बहुत परेशानी होती है।

उपरोक्त के अतिरिक्त आपदाओं से निपटने के लिए समुदाय की व्यवहारगत व ढाँचागत संरचना में कमियाँ हैं जिनका विवरण निम्नवत् है :-

- आपदाओं से निपटने के लिए लोगों में जानकारी का अभाव है। ग्राम पंचायत में कोई स्वैच्छिक संगठन कार्यरत नहीं है।
- आपदाओं से निपटने के लिए पूर्व तैयारी अथवा ग्राम पंचायत स्तर पर कोई बैठक और चर्चा नहीं होती है।
- सूखे, गीले एवं अन्य प्रकार के कचरे खुले में अथवा नालियों व तालाबों में फेके जाते हैं।
- मानसून के समय बच्चों के साथ सभी को मलेरिया व उल्टी दस्त की बीमारी प्रायः होती रहती है।
- पशुओं के गोबर का प्रयोग कंडा बनाने में अधिक होता है। गैस मंहगा होने के कारण लोग लकड़ी व कंडे का प्रयोग अधिक करने लगे हैं।
- ग्राम पंचायत स्तर पर कोई रोजगार व कुटीर उद्योग नहीं हैं केवल राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुकाने हैं व टैले लगाकर 50 लोग अपनी आजीविका चला रहे हैं।
- ईट भट्टों के कारण स्थानीय स्तर पर कृषि भूमि कम होती जा रही है।
- गांव में मिश्रित फसलों के साथ खेती नहीं होती है। एकल फसलों से जोखिम अधिक हो रहा है।

4. क्षमता विश्लेषण:-

आपदाओं के सन्दर्भ में गांव को क्लाइमेट स्मार्ट बनाने की दृष्टि से गांव स्वयं में कितना सक्षम है, इसकी जानकारी हेतु समुदाय के साथ मिलकर पूरे ग्राम पंचायत अशोका ग्रामीण का आकलन किया गया। जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले आपदाओं एवं खतरों के साथ ही आस-पास उपलब्ध संसाधन भी प्रभावित होते हैं। यह संसाधन, भौतिक, पर्यावरणीय एवं मानव संसाधन के रूप में उपलब्ध होते हैं। इनकी पहचान होने से आपदा के दौरान उसके होने वाले खतरों से निपटने में आसानी होती है।

ग्राम पंचायत अशोका जनपद मुख्यालय के बहुत करीब स्थित है। इस ग्राम पंचायत में सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था नियमित रूप से उपलब्ध है। सम्पर्क मार्ग पक्के खण्डजे लगे हैं। गांव में एक राजकीय नलकूप सक्रिय है। ग्राम पंचायत के अन्दर प्राथमिक विद्यालय स्थित है। अशोका उद्यान भी ग्राम पंचायत का दर्शनीय स्थल एवं मनोहारी है। यहां व्यायाम के साधन उपलब्ध हैं।

ग्राम पंचायत में 337 परिवारों के घर पक्के हैं और 115 परिवार के कच्चे छप्पर व टीनशेड के हैं। गांव में 13 महिला स्वयं सहायता समूह है जिसमें से सभी बैंक से जुड़े हैं और 5 समूह आर्थिक गतिविधियों से जुड़े हैं। ग्राम में दो प्राथमिक विद्यालय हैं जिसमें 370 बच्चे पढ़ते हैं।

सुविधा, संसाधन, मानचित्रण के आकड़े व तथ्य :-

संसाधन मानचित्रण पर भौतिक एवं प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता अंकित की गयी है जो ग्राम पंचायत अशोका में है। मानव संसाधनों एवं अन्य सहयोगी संसाधनों की उपलब्धता निम्न है-

भौतिक संसाधनों की उपलब्धता एवं गांव से दूरी :-

क्रम	विवरण	संख्या	सम्पर्क व्यक्ति का नाम व संख्या	गांव से दूरी
1	प्राथमिक विद्यालय अशोका	01	श्रीमती प्रियमदा 99188227877	0
2	प्राथमिक विद्यालय सासरपारा	01	श्रीमती आरती साहू 9450767976	0
3	पंचायत भवन	01	श्रीमती मंजू देवी 9648825464	0
4	पानी टंकी	01	ग्राम पंचायत में	0.5 किमी
5	सरकारी राशन की दुकान	01	श्री मनीराम 9628703214	0
6	पशु चिकित्सालय	01	डीहा	0.5 किमी
7	पेट्रोल पम्प	02	ग्राम पंचायत-हाईवे पर	0.5 किमी
8	थाना कोतवाली देहात	01	-	7 किमी
9	तहसील बहराइच	01	बहराइच शहर	8 किमी
10	विकास खण्ड चित्तौरा	01	-	8 किमी
11	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चित्तौरा	01	-	8 किमी
12	आपदा केन्द्र बहराइच	01	बहराइच शहर	10 किमी.
13	पोस्ट आफिस डीहा	01	-	1 किमी.
14	बिजली विभाग बहराइच	01	बहराइच शहर	8 किमी.
15	फॉयर स्टेशन बहराइच	01	बहराइच शहर	10 कमी.
16	बस स्टेशन बहराइच	01	बहराइच शहर	10 किमी.
17	रेलवे स्टेशन बहराइच	01	बहराइच शहर	9 किमी.
18	खाद बीज भण्डार डीहा	01	ग्राम पंचायत सीमा पर	01 किमी.
19	अनाज क्रय केन्द्र डीहा	01	ग्राम पंचायत सीमा पर	01किमी.
20	बैंक बहराइच	04	बहराइच शहर	08 किमी.

क्रम	विवरण	संख्या	सम्पर्क व्यक्ति का नाम व संख्या	गांव से दूरी
1	तालाब	6	—	01 किमी
2	बाग	2	—	01 किमी
3	पार्क	1	अशोका उद्यान	2 किमी
4	कृषिगत क्षेत्र	350 एकड़	धान, गेहूँ, केला, गन्ना	गाँव के परिधि में
5	खुला क्षेत्र	2 एकड़	गाँव की सीमा में	1 किमी

मानव संसाधन:-

क्रम	मानव संसाधन	संख्या	सम्पर्क व्यक्ति का नाम	गांव से दूरी
1	ग्राम प्रधान	01	श्री रामराज 9140638787	गांव में
2	शिक्षक शिक्षिका	02	श्रीमती पियमदा व आरती साहू	गांव में
3	आंगनवाड़ी	03	नीता 8795478250 पूनम 9696678216 मधु 7800742975	गांव में
4	आशा बहू	04	रेनू 8188096282 खुशबू 8874172596 सविता 9838806872, रेनू 6396013836	गांव में
5	पशु चिकित्सालय	01	मधु 7800742975	0.5 किमी.
6	वाहन चालक	25	गांव में	गांव में
7	पंचायत सहायक	01	श्रीमती मंजू देवी 9648825464	गांव में
8	सफाई कर्मी	02	—	—
9	रोजगार सेवक	01	श्री राजेन्द्र प्रसाद 7355002996	गांव में
10	पंचायत सचिव	01	श्री दिनेश मिश्रा 9453546426	बहराइच शहर

आपदा के समय सुविधाओं व उपलब्ध संसाधनों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। यही सुविधाएं व संसाधन आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए क्षमताओं के रूप में ढाल के रूप में खड़े होते हैं। इन सुविधाओं तक समुदाय की पहुंच व समुदाय की सहभागिता का स्तर आपदाओं में क्षति को न्यून करते हैं और जीवन सहज बनाते हैं। उपरोक्त सभी तथ्य का समावेश इस विवरण में संकलित है।

वित्तीय संसाधन:-

उपरोक्त सभी तीन संसाधनों के अतिरिक्त गांव के पास वित्तीय संसाधन की उपलब्धता है जो वर्ष 2023-24 में संभावित हैं:-

क्रम	मद	वर्ष 2023-24 (रुपये में)
1	15वां वित्त आयोग	13,00,000
2	स्वयं के राजस्व का स्रोत	—
3	मनरेगा-रोजगार के अनुरूप	20,00,000

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत अशोका की कार्य योजना का निर्माण

सहभागी ग्रामीण आंकलन विधि से प्राप्त सूचनाओं और जानकारियों के आधार पर सेक्टरवार कार्य योजना निर्माण के प्रारूप के अनुरूप ग्राम पंचायत की वर्तमान स्थिति, उससे सम्बन्धित समस्यायें, उन समस्याओं के निराकरण हेतु विशिष्ट कार्य योजना के बारे में जानकारी प्राप्त की गयी। इन्हीं सूचनाओं, तथ्यों एवं पंचायत के लोगों से हुई चर्चा व विचार विमर्श के पश्चात "क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत" अवधारणा के तहत कार्ययोजना तैयार किया गया है जिसमें आपदा जोखिम, जोखिम के कारण व समाधान आदि के बारे में तथ्यों का संकलन तैयार किया गया है। क्षेत्रवार क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत अशोका की कार्ययोजना निम्न है-

क्रम	कार्य क्षेत्र	कार्य का नाम	कार्य विवरण	परिसम्पत्ति का स्थान	अनुमानित धनराशि	अवधि	योजना का परिब्यय
1	सेक्टर 1 मानव विकास एवं सामाजिक सुरक्षा, साफ-सफाई एवं स्वच्छता	कूड़ा पात्र रखवाना	पूरे ग्राम पंचायत अशोका में 50 गीला व सूखा कचरा उठाने के लिए कूड़ा पात्र रखवाना	ग्राम पंचायत	2.5 लाख	3 माह	15 वां वित्त आयोग
2		शौचालय निर्माण	13 विकलांग परिवारों हेतु विशेष शौचालय निर्माण	सभी विकलांग परिवार	3.90 लाख	3 माह	स्वच्छ भारत मिशन
3		सार्वजनिक शौचालय निर्माण	3 सार्वजनिक शौचालय निर्माण सासरपारा, टेमड़िया और सोहापारा	ग्राम पंचायत के पुरवा	24 लाख	6 माह	स्वच्छ भारत मिशन

4		जैविककूड़ा प्रबन्धन केन्द्र	20 परिवारों में जैविक कूड़ा प्रबन्धन का मॉडल तैयार करना	अशोका 10 सोहापारा 10	3लाख	4 माह	स्वच्छ भारत मिशन
5		वर्मी कम्पोट की स्थापना	20 परिवारों में मॉडल के रूप में वर्मी कम्पोट तैयार किया जाना	अशोका व सोहापारा	2लाख	3 माह	उद्यान विभाग
6		जल निकासी हेतु नाला निर्माण	अशोका गांव में अली अहमद के घर से दसई प्रधान के घर तक 800 मीटर पूरे गांव का घरेलू जल सड़क व आस-पास जमा होता है जो गांव का मुख्य सड़क है के निकासी हेतु 1 मीटर चौड़ा नाला निर्माण किया जाना। 750 मीटर लम्बा ककरही तालाब को जोड़ने के लिए	अशोका खास	18 लाख	5 माह	स्वच्छ भारत मिशन
7		जल संग्रहण क्षेत्र विकसित किया जाना	ककरही तालाब को गहरा किया जाना	अशोका खास	6 लाख	4 माह	15 वां वित्त आयोग
8		नाला निर्माण	सासरपारा गांव में घरेलू जल निकासी हेतु 250 मीटर लम्बा 1 मीटर चौड़ा नाला निर्माण किया जाना	सासरपारा	5 लाख	4 माह	15 वां वित्त आयोग
9	बुनियादी आधारभूत संरचना एवं पर्यावरण	पंचायत भवन का पुनरोद्धार	पंचायत भवन में सोख्ता गड़ढ़ एवं परिसर को सुदृढ़करण करना	पंचायत भवन	4 लाख	3 माह	15 वां वित्त आयोग
10		सोलर प्लांट स्थापना	प्राथमिक विद्यालय सोहापारा पर सोलर प्लान्ट की स्थापना	सेहापारा	4 लाख	3 माह	शिक्षा विभाग

11		सौर्य ऊर्जा संचालित नलकूप स्थापना	सोहापारा में केले की सघन खेती करने वाले 20 कृषकों को सोलर पम्प सिंचाई योजना से जोड़ना	सेहापारा	10 लाख कृषक अंशदान का 50 प्रतिशत	6 माह	कृषि विभाग
12		जलाशय सुधार	सभी 6 तालाबों का संरक्षण व सफाई	ग्राम पंचायत	30 लाख	6 माह	15 वां वित्त आयोग
13		सम्पर्क मार्ग का पुनरोद्धार	गांव के अन्दर 1 किमी सम्पर्क मार्ग को ऊँचा किया जाना	अशोका खास में	10 लाख	4 माह	15 वां वित्त आयोग
14		वातावरण शुद्धीकरण	घनी छाया वाले 500 पौधेरुपण एवं देखरेख	सीमा क्षेत्र में	10 लाख	2 वर्ष	15 वां वित्त आयोग
15	सेक्टर-3 आजीविका, कृषि एवं पशुपालन	नर्सरी स्थापना	स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से दो लाख पौधों के नर्सरी की स्थापना	अशोका खास	10 लाख	2 वर्ष	मनरेगा

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास योजना के निरूपण की सहभागी प्रक्रिया :-

वातावरण निर्माण:-

12 - Ashoka, Bahraich

योजना तैयार करने के लिए ग्राम पंचायत भ्रमण कर प्रारम्भिक जानकारी लेने के साथ सभी 4 राजस्व गाँव का भ्रमण किया गया। गाँव के भीतरी व बाहरी क्षेत्र का भ्रमण कर भौगोलिक परिस्थिति के साथ-साथ आवासीय व्यवस्था व जल सम्बन्धी नाली नाले आदि का अवलोकन किया गया। गाँव में पेड़ पौधे के साथ तालाबों की स्थिति की जानकारी प्राप्त की गयी। समुदाय के व्यवहार व गाँव की समस्याओं के साथ अपनायी जा रही उपयोग एवं व्यवस्था के आधार पर समझ विकसित कर योजना निर्माण की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई।

खुली बैठक:-

ग्राम पंचायत अशोका में 16 फरवरी 2023 को पूर्व सूचना के अनुसार एक बैठक को आयोजन पंचायत भावन अशोका पर किया गया जिसमें ग्राम प्रधान, सचिव श्री दिनेश चन्द्र मिश्रा, पंचायत सहायक श्रीमती मंजू, रोजगार सेवक, सफाई कर्मी एवं कई हितभागी व ग्रामवासी उपस्थित रहे। सभी उपस्थित सदस्यों को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत की अवधारणा के बारे में विस्तृत रूप से परिचित कराने के पश्चात ग्राम प्रधान अशोका श्री रामराज की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई जिसमें ग्राम पंचायत में उपस्थित संसाधनों व परिस्थितियों के आधार पर भविष्य के लिए क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत अशोका कैसे बने सेक्टरवार सुझाव लिया गया। ग्राम पंचायत में उपस्थित 3 ईट भट्टे, सड़क निर्माण हेतु गिट्टी मिक्सर के दो संयंत्र व राष्ट्रीय राजमार्ग 730 से उत्पन्न प्रदूषण आदि को ध्यान में रखते हुये प्राकृतिक संसाधनों के साथ-साथ कृषि क्षेत्र में रसायनिक उर्वरकों व कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल व वर्तमान मानव व्यवहार पर विस्तृत चर्चा हुई। उपरोक्त सभी के आधार पर योजना का प्रारूप तैयार किया गया।



ट्रांजेक्ट वाक (ग्राम भ्रमण) :-

ग्राम पंचायत अशोका में कुल 4 राजस्व गांव हैं। बैठक से एक दिन पूर्व सभी गाँवों का गहन भ्रमण किया गया और देखा गया कि ग्राम पंचायत में तालाब के अलावा अशोक वाटिका, सासरपारा में प्राथमिक विद्यालय, अशोका खास में पानी की टंकी, पशु चिकित्सालय, 2 पेट्रोल पम्प, पंचायत भवन व सामुदायिक शौचालय के साथ प्राथमिक विद्यालय, दुग्ध अवशीतल केन्द्र व आक्सीजन प्लान्ट स्थिति है।

ग्राम पंचायत में एक मदरसा व 3 ईट भट्ठे के अलावा दो गिट्टी मिक्सर प्लान्ट व नेशनल हाईवे 730 बहराइच – बलरामपुर मार्ग स्थित है।

बहराइच से बलरामपुर मार्ग पर स्थित अशोका ग्राम पंचायत पश्चिम से पूरब की ओर बसा है। शहर से 6 किमी. पूरब की ओर सबसे पहले पेट्रोल पम्प, पानी की टंकी, पशु चिकित्सालय सामुदायिक शौचालय, पंचायत भवन व प्राथमिक विद्यालय है। अशोका खास गांव एन.एच. 730

से उत्तर दिशा की ओर बसा है जिसमें 250 घर है। पंचायत भवन के पूरब उत्तर को जाने वाला मार्ग गांव की मध्य रेखा बनाता है और तालाब से पूरब पश्चिम की ओर बट जाता है।

अशोका गांव में 62 घर कच्चे व 188 घर पक्के है। गांव में पूर्वी छोर पर फिर एक पेट्रोल पम्प अशोका नाम से है। अशोका के पूरब टेमरिया गांव 1.5 किमी. पर स्थिति है जिसमें 55 घर है उनमें से 25 कच्चे घर है। इसी गांव से एन.एच. 730 पर ही 0.5 किमी. की दूरी पर उत्तर दिशा में सोहापारा गांव है जिसमें 50 घर है उनमें से 10 घर कच्चे है। एन.एच. 730 के दक्षिण दिशा में सासरपारा गाँव है। जिसमें 85 घर हैं और उनमें से 13 घर कच्चे है। सासरपारा गाँव के पूरब एन.एच. 730 पर ही 12 घर का पुरवा गौरा है जिसमें 3 घर कच्चे हैं।

अशोका खास में 4 तालाब है जबकि सासरपारा में एक तालाब स्थित है और टेमरिया में एक तालाब स्थित है। सभी तालाब एक एकड़ से क्षेत्र में बड़े हैं जिसमें अशोका खास गांव के मध्य में स्थित तालाब गांव के गंदे पानी से भरा रहता है। इस ग्राम पंचायत में कुल 6 तालाब हैं।

अशोका वाटिका लगभग 1.5 एकड़ में बनाया गया है और 8 नवम्बर 2019 को सार्वजनिक किया गया जो अब एक बेहतर भ्रमण योग्य पार्क बनता जा रहा है जिसमें खेल कूद के सामान भी लगाये गये है। वाकिंग ट्रैक के साथ हरा भरा यह बगीचा पर्यावरण के लिए सुखद है। पूरे ग्राम पंचायत में व राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनो ओर पेड़ लगे है।

पंचायत भवन के पश्चिम में समुदायिक शौचालय उत्तर में प्राथमिक विद्यालय अशोका साथ में (आंगनवाड़ी केन्द्र) पश्चिम में पानी की टंकी, पशु चिकित्सालय पेट्रोल पम्प व पूरब में सासरपारा ग्राम में प्राथमिक विद्यालय स्थिति है। आशा एवं रोजगार सेवक के अतिरिक्त गांव में सफाई कर्मी व ग्राम प्रधान भी निवास करते हैं और हमेशा गांव के लिए उपलब्ध रहते है।

सामाजिक मानचित्रण:-


सभी गांवों के भ्रमण के पश्चात पंचायत भवन में समुदराय की उपस्थिति में सामाजिक मानचित्रण तैयार किया गया जिसके आधार पर प्राप्त सूचनायें निम्न हैं:-

क्रम	विवरण	संख्या	
1	ग्राम पंचायत की चौहद्दी का क्षेत्रफल	447.31 हेक्टेयर	पूरे ग्राम पंचायत की बसाहट व कृषि क्षेत्र मिलाकर।
2	कुल टोलो की संख्या	4	अशोका खास, टेमरिया, सोहापारा व सासरपारा
3	कुल घरों की संख्या	452	अशोका 250 टेमरिया 55 सोहापारा 50 सासरपारा 85 गौर 12
4	कुल पक्के घरों की संख्या	339	अशोका 188, टेमरिया 30, सोहापारा 40, सासरपारा 72, गौर 9
5	कुल कच्चे घरों की संख्या	113	अशोका 62, टेमरिया 25, सोहापारा 10, सासरपारा 13, गौरा 3
6	आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की संख्या	220	पूरे ग्राम पंचायत में
7	विकलांग जनों की संख्या	13	पूरे ग्राम पंचायत में
8	महिला मुखिया परिवारों की संख्या	10	पूरे ग्राम पंचायत में
9	पेयजल कनेक्शन	452	सभी घरों में



17 - Ashoka, Bahraich

सोशल मानचित्र ग्राम पंचायत अशोका, चित्तौरा बहराइच ①



जातिगत / श्रेणीगत विवरण:-

सामान्य जाति के घरों की संख्या	60
पिछड़ी जाति के घरों की संख्या	272
अनुसूचित जाति के घरों की संख्या	120
कुल घरों की संख्या	452

ग्राम पंचायत अशोका की कुल आबादी 3250 है जिसमें 1750 पुरुष व 1500 महिलायें हैं। 60 वर्ष से ऊपर उम्र के लोगों की संख्या 350 है और छोटे बच्चों की संख्या (0-6 वर्ष) कुल संख्या 417 है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार 220 हैं जबकि कुल परिवारों की संख्या 452 है।

आपदाओं का ऐतिहासिक समय रेखा एवं घटना क्रम:-

क्रम	वर्ष	आपदा/खतरा	घटनाओं का कारण	मृतको की संख्या	प्रभावित लोगो की संख्या	आर्थिक क्षति	न्यूनीकरण हेतु किया गया कार्य
1	1982	बाढ़	पहाड़ी पानी नदी के रास्ते आया व भारी बारिस	0	पूरा गाँव	400 एकड़ धान की फसल व सभी घरों में दवाओं पर भारी खर्च	पक्के मकानों के बनाने का क्रम बढ़ा
2	1982	उल्टी दस्त बीमारी	बाढ़ के कारण	20	पूरा गाँव	दवाओं में खर्च बढ़ा	साफ सफाई बढ़ा
3	1985	बड़ी चेचक	बच्चों को चेचक के बाद शरीर में घाव व मौत	15	पूरा गाँव		साफ सफाई पर विशेष ध्यान बढ़ा
4	2001	ओलावृष्टि					
5	2022	सूखा	अधिक तापमान माह मार्च 2022	0	पूरा कृषि क्षेत्र	गेंहूँ कम	अनियन्त्रित
	2022	अति वृष्टि	अक्टूबर दूसरा सप्ताह	0	खरीफ फसल नष्ट		अनियन्त्रित

आजीविका के साधनों पर आपदाओं का प्रभाव:-

क्रम	आजीविका के प्रकार	परिवार संख्या	आपदा	आपदा का प्रभाव (अधिक, मध्य, कम)	क्या प्रभाव पड़ता है
1	कृषि	380	सूखा		<ul style="list-style-type: none"> ● धान व गेहूँ उत्पादन लागत बढ़ रही है। ● पूरी फसल सिंचाई करके करना पड़ता है। ● सिंचाई का साधन केवल डीजल इंजन पर आधारित है जो अधिक महंगा है। ● उत्पादन घटता है। ● गन्ने की उत्पादन लागत बहुत बढ़ गयी है।
			शीतलहर		<ul style="list-style-type: none"> ● सरसों फसल पर माहो का प्रभाव अधिक हो जाता है। ● आलू की फसल पर झुलसा रोग हो जाता है।
			अतिवृष्टि		<ul style="list-style-type: none"> ● असामयिक अतिवृष्टि से धान व गेहूँ की फसल कटाई प्रभावित होती है। अधिक नुकसान होता है।
			ओलावृष्टि		<ul style="list-style-type: none"> ● ओलावृष्टि से विशेष कर गेहूँ की फसल मड़ाई के समय में नष्ट हो जाती है। ऐसा 2-3 वर्ष के अन्तराल पर अवश्य होता है।
2	मजदूरी	150	सूखा		<ul style="list-style-type: none"> ● रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं। ● शहरों में मजदूरी कम हो जाती है। ● बड़े शहरों को जाना पड़ता है।
		150	शीतलहर		<ul style="list-style-type: none"> ● कोई काम का अवसर नहीं बचता

						<ul style="list-style-type: none"> ● स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता। ● घरेलू खर्चा बढ़ जाता है।
		150	अतिवृष्टि			<ul style="list-style-type: none"> ● काम के अवसर शून्य हो जाते हैं। ● गांव में व बाहर काम नहीं मिलता है।
3	पशुपालन गाय, भैंस, बकरी पालन व मुर्गी पालन	155	शीतलहर			<ul style="list-style-type: none"> ● बकरी की मौत अधिक होती है। ● बड़े पशु भी बीमार हो जाते हैं। ● दूध उत्पादन कम हो जाता है। ● मुर्गी पालन में जोखिम बढ़ जाता है।
		155	सूखा			<ul style="list-style-type: none"> ● पशु चारा की परेशानी हो जाती है। ● भूसा महंगा हो जाता है ● बीमारी बढ़ने लगती है ● मुर्गी पालन में बीमारी का जोखिम बढ़ जाता है।
4	स्वयं का व्यवसाय	45	शीतलहर			<ul style="list-style-type: none"> ● बिक्री कम हो जाती है। ● आमदनी घटती है।
			अतिवृष्टि			<ul style="list-style-type: none"> ● दुकान बन्द रहती है। ● सामान खराब हो जाता है।

क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्लान को तैयार करने हेतु सहयोगी दल

पंचशील डेवलपमेन्ट ट्रस्ट, बहराइच

1. ध्रुव कुमार
2. श्री राम तेज यादव
3. श्री आलोकित कश्यप
4. सुश्री रिंकी वर्मा
5. सुश्री रिंकी देवी

अनुलग्नक IV: लक्ष्य, लागत, उत्सर्जन से बचाव और अनुक्रमण क्षमता का अनुमान

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियाँ	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना				
1	वृक्षारोपण गतिविधियाँ	<p>चरण 1: वर्तमान में ग्राम पंचायत में हो रही गतिविधियों के सामान (प्रधान के साथ परामर्श के दौरान जानना अनिवार्य है)</p> <p>चरण 2: भूमि की उपलब्धता के आधार पर वृक्षारोपण लक्ष्य को 500-1000 तक बढ़ाना।</p> <p>चरण 3: भूमि की उपलब्धता के आधार पर लक्ष्य को 500-1000 तक और बढ़ाना।</p>	<p>वृक्षारोपण (तैयारी, पौधारोपण, श्रम आदि)¹⁰² = ₹ 70 प्रति पेड़ (पौधे डीओईएफसीसी, उत्तर प्रदेश सरकार से निःशुल्क उपलब्ध हैं)</p> <p>ट्री गार्ड (धातु)¹⁰³ = ₹ 1,200 प्रति इकाई</p> <p>वृक्षारोपण का रखरखाव: ₹ 1.5 लाख/हेक्टेयर</p>	<p>सागौन की प्रजातियों के आधार पर अनुक्रमण क्षमता का अनुमान - प्रति पेड़ 5.6 से 10 टन कार्बन डाइऑक्साइड (tCO₂e)</p>
2	आरोग्य वन	<ul style="list-style-type: none"> 300-400 हेक्टेयर से कम क्षेत्र वाले ग्राम पंचायत के लिए, 0.1 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ एक आरोग्य वन का सुझाव दिया जा सकता है। लगभग 1000 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाली ग्राम पंचायत के लिए, भूमि की उपलब्धता के आधार पर 0.2-0.5 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले एक आरोग्य वन का सुझाव दिया जा सकता है। 		<p>कृषि वानिकी के लिए वृक्षारोपण घनत्व 100 पेड़/ हेक्टेयर माना जाता है</p>
3	कृषि वानिकी	<p>(यह व्यक्तिपरक हो सकता है और कृषि-वानिकी गतिविधियाँ चरण 1 से शुरू की जा सकती हैं)</p> <p>चरण 2: कुल कृषि भूमि का 40% ; साथ ही + प्रति हेक्टेयर 100 पेड़ लगाया जाना</p> <p>चरण 3: शेष कृषि भूमि ; साथ ही + प्रति हेक्टेयर 100 पेड़ लगाया जाना</p>	<p>कृषि वानिकी की लागत¹⁰⁴ = ₹ 40,000/हेक्टेयर¹⁰⁵</p>	

102 वृक्षारोपण दिशानिर्देशों और ग्राम पंचायत से प्राप्त सुझावों के अनुसार लागत

103 लागत बाजार भाव के अनुसार

104 कृषि वानिकी दिशानिर्देशों पर उप-मिशन, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन के अनुसार लागत

105 <https://link.springer.com/article/10.1007/s42535-022-00348-9>

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
----------	----------------------	---	--	-----------------------------------

सतत कृषि

1	सूक्ष्म सिंचाई- ड्रिप एवं स्प्रिंकलर (छिड़काव) सिंचाई	<p>चरण 1: कुल कृषि भूमि का 30% सम्मिलित किया जाना</p> <p>चरण 2: कुल कृषि भूमि का 70% सम्मिलित किया जाना</p> <p>चरण 3: कुल कृषि भूमि का 100% सम्मिलित किया जाना</p>	₹ 1 लाख प्रति हेक्टेयर	
2	बांधों का निर्माण	<p>चरण 1: सम्मिलित की जाने वाली कुल कृषि भूमि का 50%</p> <p>चरण 2: सम्मिलित की जाने वाली कुल कृषि भूमि का 100%</p> <p>चरण 3: मेड़ों का रखरखाव</p> <ul style="list-style-type: none"> - मेड़ों का निर्माण कृषि क्षेत्रों की परिधि पर किया जाता है - ग्राम पंचायत में किसानों के पास विभिन्न आकारों की भूमि होती है। अनुमान : सभी खेत वर्गाकार होते हैं। 	1 मी. मेड़बंदी के लिए ¹⁰⁶ = ₹ 150 रुपये	
3	कृषि तालाबों का निर्माण	<p>चरण 1: 5-10 तालाब</p> <p>चरण 2: 15-20 तालाब चरण : यदि आवश्यक हो तो अधिक + तालाबों का रखरखाव</p> <p>1 कृषि तालाब की क्षमता = 300 m³</p> <p>ग्राम पंचायत में बड़े खेतों की संख्या + तालाबों की आवश्यकता पर निर्भर करता है (प्रधान से की गई बातचीत के आधार पर)</p>	1 कृषि तालाब का निर्माण ¹⁰⁷ = ₹ 90,000 मिनी मौसम स्टेशन की लागत** = ₹1,50,000 ¹⁰⁸	

106 एचआरवीसीए में ग्राम पंचायत से प्राप्त इनपुट के अनुसार लागत

107 एचआरवीसीए में ग्राम पंचायत से प्राप्त सुझावों के अनुसार लागत

108 <https://www.indiamart.com/proddetail/mini-automatic-weather-station-2707861533.html>

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
4	स्वचालित मिनी मौसम निगरानी स्टेशन की स्थापना	<p>चरण 1: एक स्वचालित मिनी मौसम निगरानी स्टेशन की स्थापना</p> <p>चरण 2: एक स्वचालित मिनी मौसम निगरानी स्टेशन का नियमित रखरखाव</p> <p>चरण 3: एक स्वचालित मिनी मौसम निगरानी स्टेशन का नियमित रखरखाव</p>		
5	प्राकृतिक खेती की ओर कदम बढ़ाना	<p>चरण 1: कुल कृषि भूमि का 15% सम्मिलित किया जाना</p> <p>चरण 2: कुल कृषि भूमि का 40% सम्मिलित किया जाना</p> <p>चरण 3: कुल कृषि भूमि का 100% सम्मिलित किया जाना</p>	<p>a. प्रशिक्षण और प्रदर्शन (3 सत्र): ₹ 60,000</p> <p>b. प्रमाणीकरण (विशेषज्ञ परामर्श के आधार पर): ₹ 33,000</p> <p>c. फसल प्रणाली का परिचय- जैविक बीज खरीद; नाइट्रोजन संचयन संयंत्र लगाना--> प्रति एकड़ लागत = ₹ 2,500</p> <p>d. एकीकृत खाद प्रबंधन- तरल जैव उर्वरक की खरीद और उसका उपयोग; तरल जैव कीटनाशकों की खरीद और उसका उपयोग; प्राकृतिक कीट नियंत्रण तंत्र की स्थापना; फॉस्फेट युक्त जैविक खाद---> प्रति एकड़ लागत = ₹ 2,500</p> <p>e. गणना (प्रति एकड़ परिवर्तन की लागत) = a + b + c + d =</p> <p>₹ 1,00,000 कुल लागत¹⁰⁹: क्षेत्र (हेक्टेयर) * e--> 2.471 * 1,00,000 = ₹ 2,47,100</p>	

109 यूपी राज्य जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी (UPSOCA_Tariff_20March.pdf (apeda.gov.in)) और राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA) दिशानिर्देश

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
----------	----------------------	---	--	-----------------------------------

जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प

1	वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) संरचनाएं	<p>चरण 1: सभी सरकारी/पीआरआई भवनों में</p> <p>चरण 2: सभी पीआरआई भवनों + पुनर्भरण गड्डों में वर्षा जल संचयन संरचनाओं (आरडब्ल्यूएच) की स्थापना (एचआरवीसीए में सुझाई गई)</p> <p>चरण 3: 1000 वर्ग फुट के आवासीय भवनों में आरडब्ल्यूएच संरचनाओं की स्थापना + सभी नए भवनों में आरडब्ल्यूएच प्रणाली को सम्मिलित करना</p>	<p>10 m³ क्षमता वाली 1 वर्षा जल संचयन संरचना की लागत¹¹⁰ = ₹35,000</p> <p>1 पुनर्भरण गड्डे की लागत = ₹35,000</p>	
2	जल निकायों का रखरखाव (यदि ये वृक्षारोपण समग्र हरित स्थान को बढ़ाने के प्रयासों का हिस्सा हैं, जैसा कि ऊपर बताया गया है तो लागत की दोगुनी गणना नहीं की जाएगी)	<p>चरण 1: जल निकायों की सफाई, गाद निकालना और बाड़ लगाना + जल निकायों की परिधि के आसपास वृक्षारोपण (1000) (ट्री गार्ड के साथ)</p> <p>चरण 2: जल निकायों के आसपास अतिरिक्त 100 वृक्षारोपण (वृक्ष रक्षकों के साथ) + जल निकायों का निरंतर रखरखाव</p> <p>चरण 3: जल निकायों का निरंतर रखरखाव</p>	<p>अनुमानित लागत¹¹¹: 1. 1 तालाब का जीर्णोद्धार (सफाई, गाद निकालना, जलग्रहण क्षेत्र में वृद्धि, आदि) = ₹ 7 लाख</p> <p>2. 1 रिटेंशन तालाब (300 मीटर³ क्षमता) का निर्माण = : ₹ 7 लाख</p> <p>3. ट्री गार्ड के साथ वृक्षारोपण = ₹ 1,200 प्रति यूनिट</p> <p>4. रखरखाव की लागत:</p> <p>a. 1 तालाब/जल निकाय = ₹ 3, 75,000</p> <p>b. 1 प्रतिधारण तालाब = ₹ 50,000</p> <p>c. ट्री गार्ड वाला पेड़ = ₹ 20 प्रति यूनिट</p>	
3	जल निकासी के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना	<p>चरण 1: मौजूदा नालियों की सफाई और गाद निकालना + जल निकासी के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना (नए नालों का निर्माण)</p> <p>चरण 2 और 3: चरण 1 में जारी गतिविधियाँ जारी जायें</p>	अधिकतर एचआरवीसीए दस्तावेज़ में दी गई लागतों को देखें	

110 छत पर वर्षा जल संचयन दिशानिर्देश, भारतीय मानक (IS 15797:2008)

111 एचआरवीसीए में ग्राम पंचायत से प्राप्त इनपुट के अनुसार लागत

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
----------	----------------------	---	--	-----------------------------------

सतत और उन्नत गतिशीलता

1	मौजूदा सड़क बुनियादी ढांचे को बढ़ाना	चरण 1: सड़क मरम्मत/रख-रखाव कार्य + सड़क आरसीसी/इंटरलॉकिंग कार्य चरण 2 और 3: सड़कों का निरंतर रखरखाव	सड़क रख-रखाव /मरम्मत की प्रति किमी लागत ¹¹² : ₹ 50,00,000 प्रति किलोमीटर	
2	माध्यम आकर के सार्वजनिक परिवहन (आईपीटी) को बढ़ाना	ग्राम पंचायत की आवश्यकतानुसार सुझावों के अनुसार ई-ऑटोरिक्षा	1 ई-ऑटोरिक्षा की कीमत: ~₹ 3,00,000 उपलब्ध सब्सिडी: प्रति वाहन ₹12,000 रुपये तक	
3	ई-ट्रैक्टर और ई-माल वाहन किराए पर लेने की सुविधा	चरण 1: डीजल ट्रैक्टरों और माल परिवहन वाहनों के इलेक्ट्रिक विकल्पों को बढ़ावा देना + किसानों को ई-वाहनों के दीर्घकालिक लाभों के बारे में जागरूक करना चरण 2 & 3: निरंतर जागरूकता	1 ई-ट्रैक्टर की कीमत = ₹ 6,00,000 1 कमर्शियल ई-वाहन की कीमत = ₹ 5 से 10 लाख	

सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

1	अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना	चरण 1: a. ग्राम पंचायत की घर-घर कचरा संग्रहण प्रणाली के अंतर्गत 100% घरों को सम्मिलित करना b. मौजूदा कचरे का 100% एकत्र करने के लिए इलेक्ट्रिक कचरा वैन की व्यवस्था c. कूड़ादानों की स्थापना d. अन्य हितधारकों (एसएचजी, स्थानीय स्कैप डीलर, स्थानीय व्यवसाय और एमएसएमई) के साथ साझेदारी बनाना	कुल उत्पन्न कचरा = प्राथमिक डेटा, यदि उपलब्ध नहीं है, तो ग्राम पंचायत में उत्पन्न प्रति व्यक्ति औसत कचरा लगभग 80 ग्राम प्रति दिन लें; बायोडिग्रेडेबल/जैविक अपशिष्ट- 58% गैर-बायोडिग्रेडेबल/ अकार्बनिक अपशिष्ट - 42% आवश्यक ई-कचरा वैन की संख्या ¹¹³ = कुल उत्पन्न कचरा/प्रत्येक वैन की क्षमता (310 किग्रा) कूड़ेदानों की संख्या = एचआरवीसीए से या उचित स्थानों की पहचान करके अनुमान लगाया जा सकता है स्थान (पीआरआई भवन, सार्वजनिक भवन, पार्क, आदि)	
---	--------------------------------------	--	--	--

112 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) दर/किमी के अनुसार लागत और एचआरवीसीए में जीपी से प्राप्त इनपुट

113 लागत बाज़ार भाव के अनुसार

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
		चरण 2: a. ग्राम पंचायत-स्तरीय पुनर्चक्रण और प्लास्टिक श्रेडर इकाई b. अतिरिक्त कूड़ादानों की स्थापना c. अतिरिक्त इलेक्ट्रिक कचरा वैन की व्यवस्था d. मौजूदा सुविधाओं/बुनियादी ढांचे का रखरखाव e. साझेदारी को बढ़ाना	प्लास्टिक श्रेडर इकाई की संख्या = 1 प्रति पंचायत अतिरिक्त कूड़ादान = एचआरवीसीए से या उचित स्थानों (पीआरआई भवन, सार्वजनिक भवन, पार्क, आदि) की पहचान करके अनुमानित करना ।	
		चरण 3: a. रखरखाव कार्य b. साझेदारी को बढ़ाना	लागत ¹¹⁴ : 1. 1 इलेक्ट्रिक कचरा वैन = ₹ 95,000 से 1,00,000 2. 1 कूड़ादान/कंटेनर ¹¹⁵ = ₹ 15,000 3. प्लास्टिक श्रेडर यूनिट ¹¹⁶ = ₹ 50,000 प्रति यूनिट	
2	जैविक अपशिष्ट का प्रबंधन	चरण 1: a. सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से कम्पोस्ट और वर्मी-कम्पोस्ट गड्डों की स्थापना b. पंचायत, समुदाय के सदस्यों और किसान समूहों के बीच साझेदारी मॉडल: 1. कम्पोस्ट का उत्पादन एवं विक्रय 2. कृषि अपशिष्ट की बिक्री	संभावित खाद की मात्रा (किलो प्रति दिन) जो उत्पन्न की जा सकती है ¹¹⁷ = मात्रा (किलो/दिन) जैविक अपशिष्ट / 2	

114 लागत बाजार भाव के अनुसार

115 एसबीएम दिशानिर्देशों और एचआरवीसीए रिपोर्ट में इनपुट के अनुसार लागत

116 लागत बाजार भाव के अनुसार

117 <https://www.biocycle.net/connection-co2-math-for-compost-benefits/#:~:text=In%20the%20process%20of%20making%20compost%20the%20microbes,food%20waste%20turns%20into%2050%20kg%20of%20>

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
		<p>चरण II और III:</p> <p>a. रखरखाव और कम्पोस्ट गड्डों की क्षमता बढ़ाना</p> <p>b. साझेदारी को बढ़ाना</p>	<p>लागत¹¹⁸:</p> <p>1. कम्पोस्ट गड्डों की लागत संदर्भ: 30 वर्मीकम्पोस्टिंग और 15 नाडेप कम्पोस्ट गड्डे = ₹ 4,50,000</p> <p>2. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन यार्ड (जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के कचरे के लिए) लागत संदर्भ¹¹⁹: ₹ 35,00,000</p>	
3	एकल-उपयोग-प्लास्टिक पर प्रतिबंध	<p>चरण 1:</p> <p>a. सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध</p> <p>b. जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण कार्यक्रम</p> <p>c. रेस अभियान और लाइफ़ मिशन का लाभ उठाना</p> <p>d. पंचायत, महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों के बीच साझेदारी मॉडल</p>	विनिर्माण के क्षेत्र में 100 महिलाओं की भागीदारी	
		<p>चरण 2:</p> <p>a. निरंतर जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम</p> <p>b. पंचायत और आस-पास के गांवों में महिलाओं, एसएचजी, एमएसएमई और व्यक्तिगत उद्यमियों की भागीदारी बढ़ाना</p>	अतिरिक्त 200 महिलाएं	
		<p>चरण 3:</p> <p>a. निरंतर जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम</p> <p>b. पंचायत और आसपास के गांवों में महिलाओं, एसएचजी, एमएसएमई और व्यक्तिगत उद्यमियों की भागीदारी बढ़ाना</p>	अतिरिक्त 300 महिलाएँ	

118 एचआरवीसीए में जीपी से प्राप्त इनपुट के अनुसार लागत

119 एचआरवीसीए में जीपी से प्राप्त इनपुट के अनुसार लागत

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
----------	----------------------	---	--	-----------------------------------

स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच

1.	सौर छतें	<p>चरण 1: सरकारी/पीआरआई भवन (पंचायत भवन, स्कूल, आंगनवाड़ी, पीएचसी, सीएचसी, सीएससी आदि)</p> <p>अनुमान- छत के 70% क्षेत्र की सोलर रूफटॉप लगाने के लिए उपलब्धता</p>	<p>वार्षिक बिजली का उत्पादन (किलोवाट में) = स्थापित क्षमता (किलोवाट) * 310 (धूप वाले दिन) * 24 (घंटे) * 0.18 (सीयूएफ) (प्रत्येक पीआरआई भवन के लिए इसकी गणना करें और कुल जोड़ें)</p> <p>स्थापित क्षमता- उपरोक्त वेबसाइट से</p> <p>कुल स्थापित क्षमता=पंचायत भवन+स्कूल 1+स्कूल 2....+कोई अन्य पीआरआई भवन</p> <p>प्रति किलोवाट लागत = ₹ 50,000¹²⁰</p> <p>प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या = उत्पादित बिजली/365</p>	<p>उत्पन्न वार्षिक बिजली (किलोवाट)* 0.82/ 1000 = ___ tCO₂e</p>
		<p>चरण 2 और 3:</p> <p>परिवार</p> <p>अनुमान- छत के 70% क्षेत्र की सोलर रूफटॉप लगाने के लिए उपलब्धता</p> <p>मानी गई स्थापित क्षमता - 3 किलोवाट पॉवर</p> <p>चरण 2: स्थापित करने के लिए कुल पक्के घरों का 40%</p> <p>चरण 3: स्थापित करने के लिए कुल पक्के घरों का 100%</p>	<p>प्रति परिवार औसत स्थापित क्षमता = 3 किलोवाट पॉवर</p> <p>परिवार स्तर पर स्थापित कुल क्षमता = परिवारों की संख्या * 3 किलो वाट पॉवर</p> <p>वार्षिक स्वच्छ बिजली का उत्पादन (किलोवाट में)= पारिवारिक स्तर पर स्थापित कुल क्षमता (किलोवाट) *310 (धूप वाले दिन)*24 (घंटे)*0.18 (सीयूएफ)</p> <p>प्रति किलोवाट लागत = ₹ 50,000</p> <p>प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या= वार्षिक उत्पादित बिजली/365</p>	

120 एमएनआरई और मौजूदा बाजार दरों के अनुसार लागत

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
2	कृषि-फोटोवोल्टिक	<p>चरण 2: उपयुक्त कृषि क्षेत्र का 25%</p> <p>चरण 3: उपयुक्त कृषि क्षेत्र का 50%</p> <p>उपयुक्त कृषि क्षेत्र – दलहनों और सब्जियों के अंतर्गत क्षेत्र (मूल्य 10 हेक्टेयर से कम रखें)</p>	<p>प्रति हेक्टेयर 250 किलोवाट स्थापित</p> <p>कुल स्थापित क्षमता = क्षेत्रफल (हेक्टेयर) * 250 किलोवाट पॉवर</p> <p>वार्षिक स्वच्छ बिजली का उत्पादन (किलोवाट में)=कुल स्थापित क्षमता (किलोवाट) *310 (धूप वाले दिन)*24 (घंटे)*0.18 (सीयूएफ)</p> <p>प्रति किलोवाट लागत = ₹ 1 लाख²¹</p> <p>प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या= वार्षिक उत्पादित बिजली/365</p>	
3	सौर पंप	<p>चरण 1: 20% डीजल पम्पों का बदला जाना</p> <p>चरण 2: 50% डीजल पम्पों का बदला जाना</p> <p>चरण 3: 100% डीजल पम्पों का बदला जाना</p>	<p>स्थापित क्षमता = 5.5 किलोवाट प्रति पंप</p> <p>कुल स्थापित क्षमता = बदले गए पंपों की संख्या * 5.5 किलोवाट</p> <p>वार्षिक स्वच्छ बिजली उत्पन्न= कुल स्थापित क्षमता (किलोवाट) *310 (दिन)*24 (घंटे)*0.18 (सीयूएफ)</p> <p>प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या= वार्षिक उत्पादित बिजली/365</p> <p>प्रति पंप लागत = ₹ 3 से 5 लाख²²</p>	<p>डीजल की खपत को कम करना =390 लीटर/ प्रति/वर्ष</p> <p>प्रति वर्ष कम कुल डीजल खपत = बदले गए पंपों की संख्या * 390</p> <p>उत्सर्जन से बचाव = प्रति पंप प्रति वर्ष 1.05 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन (CO₂e)</p>

121 स्थापना की लागत बाजार दर के अनुसार

122 एमएनआरई और मौजूदा बाजार दरों के अनुसार लागत

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
4	रसोई में स्वच्छ ईंधन का प्रयोग/ क्लीन कुकिंग	<p>चरण 1: 25% घरों में बायोगैस स्थापित करने के लिए मवेशी + शीर्ष आय वर्ग में 25% घरों में सौर इंडक्शन कुकस्टोव + 50% परिवार जो वर्तमान में बायोमास का उपयोग करते हैं उनके पास बेहतर चूल्हों की उपलब्धता</p> <p>चरण 2: 50% घरों में बायोगैस स्थापित करने के लिए मवेशी + 50 शीर्ष आय वर्ग के % घरों में सौर इंडक्शन चूल्हे + वर्तमान में बायोमास का उपयोग करने वाले 100% घरों में बेहतर चूल्हों की उपलब्धता</p> <p>चरण 3: 100% घरों में बायोगैस स्थापित करने के लिए मवेशी + शीर्ष आय समूहों में 100% घरों में सौर इंडक्शन और खाना पकाने का चूल्हे की उपलब्धता</p>	<p>1 बायोगैस प्लांट की लागत = ₹ 50,000 2 से 3 m³ बायोगैस संयंत्र की लागत, बिना बैटरी वाले डबल बर्नर वाले सोलर कुकस्टोव की लागत = ₹ 45,000</p> <p>1 बेहतर चूल्हे की लागत = ₹ 3,000¹²³</p>	
5	ऊर्जा दक्षता (ईई)	<p>चरण 1: सभी सरकारी/पीआरआई भवनों को सभी फिक्स्चर और पंखों को ऊर्जा कुशल फिक्स्चर और पंखों से बदलना + सभी परिवारों के 1 तापदीप्त/सीएफएल बल्ब को एलईडी बल्ब से या 1 फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट को एलईडी ट्यूब लाइट से बदलना</p> <p>चरण 2: सभी तापदीप्त/सीएफएल बल्बों को एलईडी बल्ब से और सभी फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइटों को एलईडी ट्यूब लाइट से बदला जाना + सभी परिवारों में 1 पारंपरिक पंखे को ईई पंखे से बदला जाना ।</p> <p>चरण 3: सभी परिवारों में सभी पंखों को ईई पंखों से बदला जाएगा</p>	<p>1 एलईडी बल्ब की लागत = ₹ 70</p> <p>1 एलईडी ट्यूबलाइट की लागत = ₹ 220</p> <p>1 ईई पंखे की लागत = ₹ 1,110¹²⁴</p>	

123 बाजार दर के अनुसार लागत

124 विद्युत मंत्रालय द्वारा उजाला योजना दिशानिर्देशों के अनुसार लागत (<https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specialdocs/documents/2022/jun/doc202261464801.pdf>)

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
6	सौर स्ट्रीटलाइट्स	प्रधान से प्राप्त जानकारी के आधार पर हाई-मास्ट सोलर स्ट्रीट लाइट - प्रत्येक सरकारी / पीआरआई भवन, तालाब/झील, हरित स्थान/पार्क/खेल का मैदान/उद्यान/आरोग्य वन के लिए 1 (या आवश्यकता के अनुसार अधिक)।	1 हाई-मास्ट की लागत = ₹ 50,000 1 सौर एलईडी स्ट्रीट लाइट की लागत = ₹ 10,000 ¹²⁵	

आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना

1	सौर ऊर्जा चालित कोल्ड स्टोरेज का निर्माण एवं किराये पर देना	कोल्ड स्टोरेज की स्थापना	क्षमता: 1 इकाई = 5 - 10 मीट्रिक टन सब्जियाँ और फलों और/या दूध और दूध उत्पादों के उत्पादन पर आधारित लागो: ₹ 8-15 लाख प्रति वॉल्यूम लागत: 8-15 लाख प्रति यूनिट ¹²⁶	
---	---	--------------------------	--	--

125 बाजार दर के अनुसार लागत

126 बाजार मानदंडों के अनुसार लागत

अनुलग्नक V: प्रासंगिक एसडीजी और लक्ष्य

एसडीजी 2: जीरो हंगर



लक्ष्य 2.3: भूमि, अन्य उत्पादक संसाधनों और इनपुट, ज्ञान, वित्तीय सेवाओं, मूल्यवर्धन और गैर-कृषि रोजगार के लिए बाजार और अवसर तक सुरक्षित और समान अभिगम सहित, छोटे पैमाने के खाद्य उत्पादकों, विशेष रूप से महिलाओं, स्वदेशी लोगों, पारिवारिक किसानों, चरवाहों और मछुआरों की कृषि उत्पादकता और आय को दोगुना करना।

लक्ष्य 2.4: वर्ष 2030 तक, सतत खाद्य उत्पादन प्रणाली सुनिश्चित करना तथा लचीली कृषि पद्धतियों को लागू करना जो उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ाती हैं, जो पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में मदद करती हैं, जो जलवायु परिवर्तन, चरम मौसम, सूखा, बाढ़ और अन्य आपदाओं के अनुकूलन की क्षमता को सुदृढ़ करती हैं एवं जो भूमि और मिट्टी की गुणवत्ता में उत्तरोत्तर सुधार करती हैं।

लक्ष्य 2.a; अनुच्छेद 10.3.e.: सतत सिंचाई कार्यक्रमों का विकास

एसडीजी 3: अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली



लक्ष्य 3.3: एड्स, तपेदिक, मलेरिया और उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों की महामारी को समाप्त करना तथा हेपेटाइटिस, जल-जनित रोगों और अन्य संचारी रोगों से मुकाबला करना।

लक्ष्य 3.9: खतरनाक रसायनों और वायु, जल और मिट्टी के प्रदूषण और संदूषण से होने वाली मौतों और बीमारियों की संख्या में काफी कमी लाना।

एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता



लक्ष्य 6.1: पीने के पानी तक सार्वभौमिक और न्यायसंगत पहुंच प्राप्त करना।

लक्ष्य 6.3: वर्ष 2030 तक, प्रदूषण को कम करके, डंपिंग को समाप्त करके और खतरनाक रसायनों और सामग्रियों की रिहाई को कम करके, अनुपचारित अपशिष्ट जल के अनुपात को आधा करके और वैश्विक स्तर पर रीसाइक्लिंग और सुरक्षित पुनः इस्तेमाल को बढ़ाकर पानी की गुणवत्ता में सुधार करना।

लक्ष्य 6.4: सभी क्षेत्रों में जल-इस्तेमाल दक्षता में पर्याप्त वृद्धि करना और स्थायी निकासी सुनिश्चित करना

लक्ष्य 6.5: सभी स्तरों पर एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन लागू करना

लक्ष्य 6.8: स्थानीय समुदायों की भागीदारी को समर्थन और सुदृढ़ करना

लक्ष्य 6.a : अपशिष्ट जल उपचार, पुनर्चक्रण और पुनः इस्तेमाल प्रौद्योगिकियों सहित जल और स्वच्छता संबंधी गतिविधियों और कार्यक्रमों में विकासशील देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और क्षमता निर्माण सहायता का विस्तार करना।

एसडीजी 7: किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा



लक्ष्य 7.1: किफायती, विश्वसनीय और आधुनिक ऊर्जा सेवाओं तक सार्वभौमिक अभिगम सुनिश्चित करना।


लक्ष्य 7.2: ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाना

लक्ष्य 7.3: ऊर्जा दक्षता में सुधार की वैश्विक दर को दोगुना करना

लक्ष्य 7.a : नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और उन्नत और स्वच्छ जीवाश्म-ईंधन प्रौद्योगिकी सहित स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान और प्रौद्योगिकी तक अभिगम की सुविधा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना, और ऊर्जा अवसंरचना और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी में निवेश को बढ़ावा देना।

लक्ष्य 7.b: विकासशील देशों में उनके समर्थन कार्यक्रमों के अनुसार सभी के लिए आधुनिक और सतत ऊर्जा सेवाओं की आपूर्ति के लिए अवसंरचना का विस्तार और प्रौद्योगिकी का उन्नयन।

एसडीजी 8: अच्छा कार्य और आर्थिक विकास



लक्ष्य 8.3: विकास-उन्मुख नीतियों को बढ़ावा देना जो उत्पादक गतिविधियों, सही रोजगार सृजन, उद्यमिता, रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा देती हैं, और वित्तीय सेवाओं तक अभिगम सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों की औपचारिकता और विकास को प्रोत्साहित करती हैं।

एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और अवसंरचना



लक्ष्य 9.1: गुणवत्तापूर्ण, विश्वसनीय, टिकाऊ और लचीला बुनियादी ढाँचा विकसित करना

एसडीजी 11: संधारणीय शहर और समुदाय



लक्ष्य 11.2: सभी के लिए सुरक्षित, किफायती, सुलभ और सतत परिवहन प्रणाली

लक्ष्य 11.4: विश्व की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत की रक्षा और सुरक्षा के प्रयासों को सुदृढ़ करना

लक्ष्य 11.7: वर्ष 2030 तक, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों, वृद्ध व्यक्तियों और विकलांग व्यक्तियों के लिए सुरक्षित, समावेशी और सुलभ, हरे और सार्वजनिक स्थानों तक सार्वभौमिक अभिगम प्रदान करना।

एसडीजी 12: सतत खपत और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना



लक्ष्य 12.2: प्राकृतिक संसाधनों का सतत प्रबंधन और कुशल इस्तेमाल प्राप्त करना

लक्ष्य 12.4: वर्ष 2020 तक, सहमत अंतरराष्ट्रीय ढाँचे के अनुसार रसायनों और उनके पूरे जीवन चक्र में सभी अपशिष्टों का पर्यावरणीय रूप से सुदृढ़ प्रबंधन प्राप्त करना, और मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर उनके प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए हवा, पानी और मिट्टी में उनकी रिहाई को काफी कम करना।

लक्ष्य 12.5: वर्ष 2030 तक रोकथाम, कमी, पुनर्चक्रण और पुनः इस्तेमाल के माध्यम से अपशिष्ट उत्पादन को काफी हद तक कम करना।

लक्ष्य 12.5: वर्ष 2030 तक रोकथाम, कमी, पुनर्चक्रण और पुनः इस्तेमाल के माध्यम से अपशिष्ट उत्पादन को काफी हद तक कम करना।

लक्ष्य 12.8: वर्ष 2030 तक, सुनिश्चित करें कि हर जगह लोगों के पास सतत विकास और प्रकृति के साथ सद्भाव में जीवन शैली के लिए प्रासंगिक जानकारी और जागरूकता हो।

एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्रवाई



लक्ष्य 13.1: सभी देशों में जलवायु संबंधी खतरों और प्राकृतिक आपदाओं के प्रति लचीलापन और अनुकूली क्षमता को सुदृढ़ करना।

लक्ष्य 13.2: जलवायु परिवर्तन उपायों को राष्ट्रीय नीतियों, रणनीतियों और योजना में एकीकृत करना।

लक्ष्य 13.3: जलवायु परिवर्तन शमन, अनुकूलन, प्रभाव में कमी और प्रारंभिक चेतावनी पर शिक्षा, जागरूकता बढ़ाने और मानव और संस्थागत क्षमता में सुधार करना।

एसडीजी 15: भूमि पर जीवन



लक्ष्य 15.1: अंतरराष्ट्रीय समझौतों के अंतर्गत दायित्वों के अनुरूप स्थलीय और अंतर्देशीय मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र और उनकी सेवाओं, विशेष रूप से जंगलों, आर्द्रभूमि, पहाड़ों और शुष्क भूमि के संरक्षण, बहाली और सतत इस्तेमाल को सुनिश्चित करना।

लक्ष्य 15.2: वर्ष 2020 तक सभी प्रकार के वनों के स्थायी प्रबंधन के कार्यान्वयन को बढ़ावा देना, वनों की कटाई को रोकना, नष्ट हुए वनों को पुनर्स्थापित करना और विश्व स्तर पर वनीकरण और पुनर्वनीकरण में पर्याप्त वृद्धि करना।

लक्ष्य 15.3: वर्ष 2030 तक, मरुस्थलीकरण से निपटना, मरुस्थलीकरण, सूखे और बाढ़ से प्रभावित भूमि सहित खराब भूमि और मिट्टी को बहाल करना, और भूमि क्षरण-तटस्थ दुनिया को प्राप्त करने का प्रयास करना। लक्ष्य 15.5: प्राकृतिक आवासों के क्षरण को कम करने, जैवविविधता के नुकसान को रोकने के लिए तत्काल और महत्वपूर्ण कार्रवाई करना।

लक्ष्य 15.9: वर्ष 2020 तक, पारिस्थितिकी तंत्र और जैवविविधता मूल्यों को राष्ट्रीय और स्थानीय योजना, विकास प्रक्रियाओं, गरीबी उन्मूलन रणनीतियों में एकीकृत करना।

अनुलग्नक VI: वृक्षारोपण गतिविधियों के लिए उपयुक्त प्रजातियाँ

पौधों का नाम	प्रजाति (फैमिली)	स्थानीय नाम	उपयोग/औषधीय गुण
इमारती लकड़ी के पेड़			
अकेसिया निलोटिका	फैबेसी	बबूल	गाड़ियों के फ्रेम और पहियों, उपकरणों और औजारों जैसे उत्पादों को बनाने के लिए किया जाता है।
फ़िकस रिलिजियोसा	मोरेसी	पीपल	इसमें औषधीय गुण और इसका धार्मिक महत्व है।
आज़ादिराक्टा इंडिका ए. जस	मेलियासी	नीम	नीम के पेड़ के सभी भाग - पत्ते, फूल, बीज, फल, जड़ और छाल का उपयोग पारंपरिक रूप से उपचार के लिए किया जाता रहा है। इसकी लकड़ी फर्नीचर के लिए आदर्श है, क्योंकि यह मजबूत और दीमक प्रतिरोधी दोनों है।
डालबर्गिया सिस्सो	फैबेसी	शीशम	इसके कई उपयोग हैं, हवाई और समुद्री जहाज में, कोयले के रूप में भोजन को गर्म करने और पकाने के लिए, संगीत वाद्ययंत्र बनाने आदि
मधुका लॉगिफोलिया	सैपोटेसी	महुआ	यह विभिन्न उपयोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण इमारती लकड़ी प्रदान करता है।
शोरिया रोबस्टा	डिएट्रोकार्पेसी	साल	इसका उपयोग रेलवे स्लीपर, जहाज और पुलों के निर्माण के लिए किया जाता है।
सिनामोमम तमाला	लौरैसी	भारतीय तेज पत्ता	यह विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं को ठीक करने में मदद करता है और खाना पकाने में इसका उपयोग किया जाता है।
फल और जंगली खाद्य पौधे			
मैंगीफेरा इंडिका	एनाकार्डिएसी	आम (मैंगो)	इसके सभी भागों का उपयोग पारंपरिक उपचार में किया जाता है
आर्टोकार्पस हेटरोफिलस	मोरेसी	कटहल, (जैकफ्रूट)	इसकी लकड़ी का उपयोग फर्नीचर बनाने के लिए किया जाता है। पौधे के कई हिस्से, जिनमें छाल, जड़ें, पत्तियां और फल सम्मिलित हैं, पारंपरिक और लोक चिकित्सा में अपने औषधीय गुणों के लिए जाने जाते हैं।
सिडियम गुजावा	मायर्टेसी	अमरूद (गुआवा)	यह विभिन्न गैस सम्बन्धी रोगों के लिए एक सामान्य और लोकप्रिय पारंपरिक उपचार है।

पौधों का नाम	प्रजाति (फैमिली)	स्थानीय नाम	उपयोग/औषधीय गुण
एगारिकस कैम्पेस्ट्रीस एल	एगारिकेसी	धरती का फूल	एक प्रकार का मशरूम।
अंकोलसाल्विफोलियम (एलएफ) वांग	अलंगियासी	ढेरा (एको)	इसके पके फल खाए जाते हैं।
अमोर्फोफैलस पेओनीफोलियसडेनस्ट	अरेसी	हाथीपाँव, जिमी कंद	इसे सब्जी के रूप में खाया जाता है।
क्रोटोलारियाजंशिया एल.	फैबेसी	सनई	हल्की उबली हुई कलियाँ सब्जी के रूप में खाई जाती हैं।
मणिलकारा हेक्सेंड्रा (रोक्सब) डब	सैपोएटेसी	खिरनी	इससे प्राप्त फलों से अचार और सॉस बनाया जाता है।
यूजेनिया जाम्बोलाना	मायर्टेसी	जामुन	इसकी जड़, पत्तियाँ, फल और छाल में असंख्य औषधीय गुण होते हैं।
एगल मार्मेलोस	रूटेसी	बेल	कच्चे फल, जड़, पत्ती और शाखा का उपयोग औषधि बनाने के लिए किया जाता है।
मोरस रूबरा	मोरेसी	शहतूत	शहतूत को कच्चा खाया जा सकता है और इसका उपयोग जैम, प्रिजर्व, पाई बनाने के लिए भी किया जाता है। इनमें औषधीय गुण भी होते हैं।

औषधीय गुणों वाले पेड़

विथानियासोमिफेरा	सोलानेसी	अश्वगंधा	यह विभिन्न प्रकार के रोगों में उपयोगी है।
बकोपा मोनिएरी	प्लांटैगिनेसी	ब्राह्मी	इसका उपयोग विभिन्न सांस रोगों को ठीक करने के लिए किया जाता है।
एंद्रोग्राफीस पैनिकुलता	एकैथेसी	कालमेघ	यह प्रतिरक्षा को बढ़ाने में मदद करता है और इसका उपयोग सामान्य सर्दी, साइनसाइटिस और एलर्जी के लक्षणों को ठीक करने के लिए किया जाता है।
राउवोल्फिया सर्पेन्टिना	एपोसिनेसी	सर्पगंधा	इसका उपयोग कई अलग-अलग बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है।

पौधों का नाम	प्रजाति (फैमिली)	स्थानीय नाम	उपयोग/औषधीय गुण
औषधीय गुणों वाले लुप्तप्राय पेड़			
एकोरस कैलमस एल.	अरेसी	बाख, बाल, घोर्बच	ब्रोंकाइटिस, खांसी और सर्दी के इलाज के लिए एक उपयोगी जातीय औषधीय पौधा।
ऐस्पैरैगस ऐडसेंडेंसरॉक्सबी	लिलिएसी	शतावरी	हार्मोन असंतुलन से संबंधित स्थितियों के उपचार में मदद करता है।
सेलास्ट्रस पैनिकुलैटस वाइल्ड ।	सेलास्ट्रेसी	उमजैन , मुजहानी , मलकांगनी, ककुंदन	विभिन्न प्रकार की बीमारियों के उपचार में उपयोगी है।
अन्य पेड़			
पोपुलस सिलियाटा	सैलिकैसी	सेमल, कपोक	इसकी पत्तियों का उपयोग पशुओं के चारे और हर्बल चाय के लिए किया जाता है।
यूकेलिप्टस ग्लोब्युलस	मायर्टेसी	तैलपत्र	खांसी और सामान्य सर्दी के उपचार के लिए दवाओं में उपयोग किया जाता है और आवश्यक तेल बनाने के लिए भी उपयोग किया जाता है।

नोट्स

नोट्स

